खण्ड-315, अंक-3
शुक्रवार, 14 चैत्र, शक संवत् 1897
(4 अप्रैल, 1975 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 315 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

1975

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, 4 अप्रैल, 1975

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री वासु देव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—350

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमाल, श्री उर्फ जिमी मियां (एडवोकेट)
अनवार मोहम्मद, श्री
अनिरुद्ध राय, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
आगा जैदी, श्री
आबिद अली, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ , श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैया लाल मोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का० मु० मुहीउद्दीन श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशीनाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी प्रसाद, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण वीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कम्मेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)

चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायण त्रिपाठी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आज़मी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेज नरायण त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दलसिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीनानाथ सेवक, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दीपनारायण बन महन्थ, श्री
दुर्योधन, श्री

दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजु राम, श्री
नत्थू सिंह यादव, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नियाज़ हसन खां, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम लाल बधवार, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्यारे लाल वर्मा, श्री (जिला एटा)
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभु नारायण, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी. श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवान सिंह, श्री
बल्देव श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री

बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर (जिला जालौन)
मलखान सिंह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद खां, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूलचन्द्र राजपूत, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर, श्री
राज बहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राजमंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह , श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधाचरण सिंह, ठाकुर
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टन
रामचन्द्र बक्श सिंह. श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी लाल केन, श्री
रामजी लाल सहायक, , श्री
रामजी सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
राम देव यादव, श्री

राम नाथ बाबा,
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर. श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम् पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम बचन, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति बिन्द एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायण पान्डे, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विजय कुमार, श्री
विजय पाल सिंह. श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार ,चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी. श्रीमती
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा. श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिव प्रसाद श्री
शिव प्रसाद, गुप्त, श्री
शिवलाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)

स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री

नोट--सार्वजनिक निर्माण मन्त्री, श्री शिव प्रसाद सिंह भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 4 अप्रैल, 1975

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जिला सहकारी बैंक, बाराबंकी की प्रबन्ध समिति का चुनाव

**1--श्री जंग बहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी) तथा श्री केशरी लाल (जिला कानपुर)--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि जिला सहकारी बैंक, बाराबंकी का चुनाव कब से नहीं कराया गया है, और कब-कब चुनाव की तिथियों की घोषणा करने के बाद पुन : उन्हें रद्द किया गया है तथा क्यों ? इस बैंक का चुनाव कब कराने का विचार सरकार कर रही है ? यदि नहीं कर रही है, तो क्यों ?

सहकारिता मन्त्री (श्री नारायण सिंह)--

जिला सहकारी बैंक, बाराबंकी की वर्तमान प्रबन्ध कमेटी का चुनाव दिनांक 30 दिसम्बर, 1969 को हुआ था। जबकि दिनांक 30 सितम्बर, 1974 तक की निर्धारित अवधि में बैंक की प्रबन्धक कमेटी ने चुनाव कराने की कार्यवाही नहीं की तो निबन्धक द्वारा धारा २९ के अन्तर्गत नोटिस दिया गया कि चुनाव 90 दिन में अवश्य कराया जाय। प्रबन्ध कमेटी द्वारा नोटिस की अवधि के अन्दर चुनाव न कराने पर निबन्धक द्वारा नयी कमेटी मनोनीत कर दी गयी है जिसके गठन के 6 महीने के अन्दर चुनाव कराना अनिवार्य है।

(श्री जंगबहादुर वर्मा का नाम पुकारने पर)

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

हमने एक प्रस्ताव दिया है उसे प्रश्नों के पहले ले लिया जाय। आपने यह परम्परा डाल दी है कि किसी समय भी यह प्रस्ताव लिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष--

चौधरी साहब हैं नहीं। चौधरी साहब ने उसे पेश किया है, लेकिन वह वहां हैं नहीं।

श्री जंगबहादुर वर्मा--

कमेटी ने 20 फरवरी, तारीख निर्धारित की थी लेकिन उसको ए0 आर0 तथा चेयरमैन ने मिल कर दबा दिया और स्वीकृति नहीं ली ?

श्री नारायण सिंह--

बाराबंकी का चुनाव दिनांक 30 दिसम्बर, 1969 को हुआ था। अब दिनांक 31 दिसम्बर, 1969 तक चुनाव हो जाना चाहिए था। दिनांक 3 नवम्बर, 1972 को सहकारी समितियों की एनुअल जनरल मीटिंग करने का नोटिस दिया गया। उसके बाद दिनांक

31 अक्तूबर, 1974 को 90 दिन का नोटिस दिया गया लेकिन उस समय के भीतर भी उन्होंने चुनाव नहीं कराया और अपनी मर्जी के बिना रजिस्ट्रार के एप्रूवल के दिनांक 23 फरवरी 1975 को चुनाव कर लिया जो कि सेक्शन 414-416 के मातहत नहीं कर सकते थे। फिर उन्होंने कहा कि दिनांक 30 मार्च, 1975 को चुनाव कराते है लिहाजा हमने दिनांक 19 मार्च, 1975 को नामिनेशन कर दिया।

श्री जंग बहादुर वर्मा---

23 फरवरी, 1975 को कमेटी ने प्रस्ताव पास किया कि चुनाव कराया जाय और उसका एजेंडा सारे डेलीगेटों को जारी कर दिया गया लेकिन ए0 आर0 तथा चेयरमैन ने मिल कर उसी की स्वीकृति डी0आर0 से नहीं ली और फिर दुबारा 18 मार्च को प्रस्ताव पास किया गया नामिनेशन के लिए और 30 मार्च को चुनाव किया गया, उसके लिए भी ए0 आर0 ने डी0 आर0 से मिलकर उसे दबा दिया ?

श्री नारायण सिंह---

दिनांक 30 मार्च, 1975 को चुनाव वह कराना चाहते थे, लेकिन वह गैर कानूनी हो जाता क्योंकि उन्होंने रूल 414-416 के मातहत रजिस्ट्रार से परमिशन नहीं ली थी जिसका लेना अवश्यक था। हमको यह शक था कि वह चुनाव नहीं करना चाहते थे इसलिये दिनांक 19 मार्च, 1975 को हमने नामिनेशन कर दिया।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---

उत्तर में बार-बार यह कहा गया कि चुनाव कराने के लिए फलां तारीख को हुक्म भेजा गया। तो चुनाव न कराने की किसी अधिकारी पर जिम्मेदारी है अथवा संस्था पर जिम्मेदारी है ?

श्री नारायण सिंह---

यह तो संस्था ही पर है।

श्री जंग बहादुर वर्मा---

16, 17 तथा 28 तारीख को डी0 आर0 फैजाबाद और ए0 आर0 बाराबंकी एक साथ रहे और प्रस्ताव ए0 आर0 के पास मौजूद था, लेकिन फिर भी चुनाव की स्वीकृति नहीं दी गयी। तो इसका कारण माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायण सिंह---

इसकी मुझे कोई सूचना नहीं है। दिनांक 31 मार्च, 1975 को नामिनेशन किया गया था, लेकिन उसके बाद वह कहां रहे इसकी मुझे कोई सूचना नहीं है।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)---

दो चीजें स्पष्ट हैं। रजिस्ट्रार ने बराबर बैंक को लिखा कि चुनाव करा दिया जाय। जब तक स्वीकृति रजिस्ट्रार न दे तब तक चुनाव हो नहीं सकता है। स्पष्ट बात यह है कि चुनाव कराने की जिम्मेदारी किस पर आयद करते हैं ? दूसरा जो डायरेक्टर नामिनेट किया गया सरकार द्वारा वह किस आधार पर किया गया है ? डायरेक्टर नियुक्त करने का आधार क्या है ? रजिस्ट्रार स्वयं कर देता है या नीचे से लिस्ट जाती है ?

श्री नारायण सिंह---

श्रीमन्, आमतौर पर जो बैंक की कमेटियां हैं वह निर्धारित समय पर चुनाव कराते नहीं हैं। लगातार सूचना देते हैं 1, 2, 3, 4 बार सूचना दी है। शासन की तरफ से 90 दिन का टाइम दिया जाता है इनको भी दिया गया। जिस वक्त टाइम आता है तो वह हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं या बैंक के प्रबंधक जो हैं किन्हीं कारणों से चुनाव नहीं कराते हैं इसलिए यह ऐक्शन लेना पड़ा है। जहां तक नामिनेशन किस आधार पर होता है, की बात है वह मैं मंगा कर बता सकता हूं।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)---

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जब कोई बोर्ड आप भंग करते हैं और उसके बाद नया संचालक मन्डल नियुक्त करते हैं तो उस वक्त जो अयोग्य संचालक होते हैं जैसे कोई डिफाल्टर है या दूसरे किसी कारण से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं तो क्या आप इस बात का ख्याल रखते हैं अथवा नहीं ?

श्री नारायण सिंह---

जो नियम की बात है या जो वैधानिक बात है वह होनी चाहिए अगर कहीं ऐसा चुनाव हुआ है तो आप लिख कर दें ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्री जंग बहादुर वर्मा---

मान्यवर बाराबंकी में जब से सहकारी बैंक कायम हुआ है तब से एक ही परिवार के लोग चेयरमैन रहे हैं बाप के बाद लड़के को चेयरमैन बनाया गया, यदि ऐसा है तो क्यों? यह इसलिए कि वहां पर लाखों रुपए का गबन हुआ है इसलिए ऐसा किया गया है ?

श्री नारायण सिंह---

मुझे इसकी सूचना नहीं है बाप के बाद बेटा या पोता बना। अगर ऐसी गबन की कोई बात है तो आप लिख कर दें या मुझ से बात करें मैं जरूर कार्यवाही करूंगा।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)---

मान्यवर, एक सवाल इसमें पूछना चाहता हूं कि जब पुराना संचालक मन्डल निरस्त किया जाता है और उसकी जगह आप दूसरा नियुक्त करते हैं तो उसमें चेयरमैन का चार्ज किसी जिलाधिकारी को क्यों नहीं देते हैं ? राजनीतिक व्यक्ति को क्यों देते हैं ? डायरेक्टर आप भले ही और लोगों को बनाये लेकिन चेयरमैन का काम तो जिलाधिकारी को देना चाहिए ताकि ऐसा विवाद उत्पन्न न हो।

श्री नारायण सिंह---

कहीं ऐसा किया गया है तो आप बतायें।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

देवरिया और बाराबंकी में।

श्री शिव कुमार पाण्डेय (जिला सुल्तानपुर)---

मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा फैसला दिया है कि सहकारिता बैंकों के चुनाव में एक मेम्बर को एक ही वोट देने का अधिकार है और इस हिसाब से कांस्टीटुएंसी अलग बनाई जानी चाहिए ? तो क्या यह भी कारण है कि चुनाव विलम्ब से होते हैं ?

श्री अध्यक्ष ---

यह अलग प्रश्न है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त (जिला देवरिया)---

मैं सहकारिता मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि देवरिया सहकारी बैंक में जो मनोनयन हुआ है उसमें डिफाल्टर्स का किया गया है तो क्या उनको इस बात की जानकारी है ?

श्री अध्यक्ष---

यह आप दूसरा सवाल कर रहे हैं। इससे सम्बन्ध नहीं रखता।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

माननीय मन्त्री जी ने अभी कहा क्या कहीं ऐसा हुआ है। तो मैं बताना चाहता हूं कि जनपद सहकारिता बैंक देवरिया में हुआ है जिसमें श्रीमती मालती पाण्डेय को किया गया है और जिलाधिकारी को चार्ज नहीं दिया गया ?

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न है कि नियमानुसार किया गया है ?

श्री नारायण सिंह---

बाराबंकी में हमने किसी को अध्यक्ष नहीं बनाया जो डायरेक्टर नामिनेट किए गए उन्होंने अपना अध्यक्ष चुना। जहां तक देवरिया का प्रश्न है उसके बारे में मैं मालूम कर रहा हूं। मेरे पास शिकायत जरूर आई है उसको देख कर ही जवाब दे सकता हूं।

श्री जंग बहादुर वर्मा---

क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर जो डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं, जो कि कांग्रेसी एम0एल0ए0 हैं, इनके एक दामाद वहीं पर क्लर्क है? और पिछली बार वहां दामाद को नौकरी मिलने के कारण ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, किन्तु वह पुन: नियुक्त किए गए हैं तथा जो उसका कर्ज चाहते हैं, फिर भी उनको डाइरेक्टर नियुक्त किया गया है? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री नारायण सिंह---

पहले भी सूचना दी थी, उसकी मुझे मालुमात नहीं है। किसी का भाई किसी का बाप, किसी का मामा नियुक्त किया गया है, इतनी हमें सूचना नहीं है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

*1-2---श्री इन्द्र लाल---

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर 5वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 2-3 पर स्थानान्तरित।]

कलकलवा दाखिली टैंगपसरी, जिला बहराइच के निवासियों का चरागाह भूमि पर अनधिकृत कब्जे रोकने हेतु प्रार्थना-पत्र

*3---श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)---

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें अक्तूबर, 1974 में कलकलवा दाखिली टैंगपसरी, परगना तुलसीपुर, तहसील व जिला बहराइच के निवासियों का कोई प्रार्थना-पत्र चरागाह भूमि पर अनधिकार कब्जा रोकने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व मन्त्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)---

जी हां, चरागाह भूमि के आबंटन तथा कब्जे पर रोक लगा दी गई है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा---

कलकलवा दाखिली टैंगपसरी गांवों के असामियों ने जो दरख्वास्त दी है, उसमें कौन कौन से मुख्य लोग हैं और उसमें मुख्य प्रार्थना किस बात की की गई है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

प्रार्थना-पत्र जो दिया गया था वह यह दिया गया था कि वहां उक्त गांव की चरागाह भूमि पर अनधिकृत कब्जे रोके जाएं, यह अक्तूबर, 1974 में दिया था। ऐसा ही एक प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी बहराइच की ओर अक्तूबर, 1974 में ही प्राप्त हुआ था। ये सभी प्रार्थना पत्र परगनाधिकारी को जांच के लिए भेज दिए गए थे। उससे यह पता चला कि 4 जून, 1974 को वहां की भूमि प्रबन्धक समिति ने भूखन्ड संख्या 124/1 मि0 (क्षेत्रफल 20,000 एकड़) को चरागाह के लिए सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास किया था और उसमें यह भी कहा था कि शेष भूमि पर भूमिहीनों के असामी पट्टे कर दिए जाएं। उसी अनुसार 9 व्यक्तियों के नाम 11-805 एकड़ भूमि का पट्टा कर दिया गया, लेकिन उसका वहां के व्यक्तियों ने विरोध किया। इस पर एस0 डी0 एम0 ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और उसने इसे स्थगित कर दिया ताकि इसका पट्टा न किया जाए।

श्री कमला प्रसाद वर्मा---

क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो आपने उत्तर दिया कि 11-805 एकड़ भूमि के पट्टे बढ़ा दिए गए थे, जो बाद में रोक दिए गए हैं। ये पट्टे क्या उस गांव के उस जिले के लोगों के ही नाम हैं या दूसरे जिले के लोगों के नाम भी हैं, क्योंकि मेरी सूचना है कि गोंडा जिले के पं0 राम लगन के नाम भी एक पट्टा बना है, तो क्या ऐसे लोगों के पट्टे आप निरस्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

उन पट्टेदारों की सूचना आवश्यक है, क्योंकि उनकी सूची नहीं है। लेकिन यदि अनाधिकार दूसरे जिले के लोग आए हों तो उनकी इन्क्वायरी होगी। किन्तु अभी तो इसकी जांच होगी कि वह पट्टे लायक भूमि है या नहीं।

श्री कमला प्रसाद वर्मा---

यह जो चरागाह छोड़ा गया था इसमें शिरीपुर के लोग जाकर अपने पशुओं को ठहराते थे, क्योंकि वहां पर दोनों तरफ दो नाले पड़ते हैं, जानवरों के ठहराने के लिए कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है, अत : क्या पूरी की पूरी भूमि चरागाह के रूप में आप छोड़ने की व्यवस्था कर देंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

परगनाधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि चरागाह की भूमि, है इसलिए उस प्रस्ताव को कार्य-रूप में परिणत करने से रोक दिया है।

[4 अप्रैल, 1975 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

ग्राम जगदीशपुर भलुआन, बांसगांव, गोरखपुर में चकबन्दी द्वारा हरिजनों की आबादी हेतु छोड़ी गयी भूमि का कथित अनधिकृत आबंटन

*1 ---श्री मधुकर दिघे---

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम जगदीशपुर भलुआन, तप्पा रामपुर कोठा, तहसील बांसगांव, जिला गोरखपुर के हरिजनों ने दिनांक 30/31 अक्तूबर, 1974 को जिलाधिकारी गोरखपुर एवं मुख्य मन्त्री, उत्तर प्रदेश को इस बात को लिखित शिकायत की थी कि चकबन्दी द्वारा हरिजनों के आबादी के लिए निकाली गयी जमीन तथा अन्य प्रकार की जमीन जो भूमिहीनों में बांटी जानी थी, ग्राम प्रधान जगदीशपुर, भलुआन द्वारा अनधिकृत लोगों को बांट दी गयी है तथा बांटी जा रही है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

श्री गोमती प्रसाद, अध्यक्ष शोषित समाज कल्याण संघ, कौड़ी राम (बांसगांव) गोरखपुर ने जिलाधिकारी गोरखपुर को चकबन्दी के दौरान छोड़ी गई बचत भूमि एवं ऊसर, बंजर तथा हरिजन आबादी, चकरोड पर उच्च वर्ग के लोगों द्वारा नाजायज कब्जा के सम्बन्ध में दिनांक 30/31 अक्तूबर, 1974 को एक प्रार्थना-पत्र दिया था। जिसकी जांच बन्दोबस्त अधिकारी गोरखपुर द्वारा करायी जा रही है। अभी तो जो सूचना आई है उसके अनुसार प्रधान द्वारा आबादी तथा अन्य भूमि के आबंटन में कोई अनियमितता नहीं की गई प्रतीत होती है।

श्री मधकर दिघे---

क्या मन्त्री जी को यह जानकारी है कि जो प्रार्थना-पत्र दिया गया था, उसमें यह शिकायत थी कि हरिजन आबादी के इर्द-गिर्द बड़े लोगों को चक बांट दिए गए थे, जिससे उन लोगों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। ऐसी हालत में चकबन्दी अधिकारियों के खिलाफ जो शिकायत थी' तो उसे उन्हीं लोगों के पास जांच के लिए क्यों भेज दिया गया ? इस पर हमने

मुख्य मन्त्री से मिल कर भी प्रार्थना-पत्र दिया था। मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि बचत भूमि और हरिजन आबादी आदि की जमीन थी, उसका आबंटन किस-किस के पक्ष में किया गया है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जो आबंटन किया गया है वह इस ग्राम में अन्य बचत व बंजर भूमि कुल 47.88 एकड़ का किया गया है, जिसमें से दिनांक 3.08 एकड़ भूमि का आबंटन श्री अमरनाथ त्रिपाठी, पुत्र श्री कामता प्रसाद, निवासी जगदीशपुर, जो एक स्वतन्त्रता सेनानी है उनके नाम किया गया है तथा 1—31 एकड़ भूमि श्री हीरा प्रसाद पुत्र राम बहाल तिवारी के नाम आबंटित की गई है। यह आबंटन प्रस्ताव पास कर के किया गया है, जिसकी स्वीकृति परगनाधिकारी से दिनांक 30 जून, 1973 को हो गई है। शेष जमीन जो है अर्थात 43.49 एकड़ भूमि यह अभी आबंटन के लिए शेष है, इस पर कुछ नहीं हुआ है, केवल पट्टे हुए हैं।

श्री मधुकर दिघे—

मन्त्री जी की तरफ से स्पष्ट हो गया कि जो ग्राम सभापति ने जमीन आबंटित की वह किसी स्वतन्त्रता सेनानी को की। तो क्या वह इस बात की पुन: जांच करायेंगे कि जो हरिजन आबादी और दूसरी जमीन निकली थी क्या वह हरिजनों में और उस गांव के दूसरे लोगों में बांटी जायगी और जिन्होंने ऐसा नहीं किया है, उनके खिलाफ कार्यवाही करने की वह कृपा करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जो सरप्लस जमीन होती है, उसमें से चकबन्दी द्वारा हरिजन आबादी हेतु 2.57 एकड़ सुरक्षित कर दी गई थी और इसमे से 2.28 एकड़ भूमि 76 हरिजन परिवारों में प्रति परिवार .03 के हिसाब से आबंटित कर दी गई है।

श्री मधुकर दिघे—

प्रश्न यह है कि चकबन्दी में जो भी जमीन निकली उसमें पता यह चलता है कि जो भी जमीन आबंटित की गई है वह किसी हरिजन के नाम नहीं की गई। ग्राम सभापति ने एक ऊंची जाति के नाम पर आबंटित किया है, इसे आपने स्वयं स्वीकार किया। वहां के हरिजनों को जो जमीनें मिलने को थीं वह नहीं मिल रही है उस सम्बन्ध में क्या जिलाधीश को आदेश देकर हरिजनों के नाम उसे दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

अब भी 43.49 एकड़ भूमि बाकी है। लेकिन यह वह कैसे मानते हैं कि हरिजनों को नहीं मिली है ?

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

यह जो श्री गोमती प्रसाद अध्यक्ष शोषित समाज कल्याण संघ हैं। इनको डकैती के मुकदमें में फंसाया गया था, जिससे यह डाउन हो जाएं। इसलिए मैं मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट आई है वह तोड़-मरोड़ कर गलत आई है। क्या वह इसकी पुनः किसी उच्चाधिकारी से पूरी पूरी जांच करा देंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

यह जो स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी हैं, इसे तो उनके लीडर ने सिफारिश किया होगा। इसकी अलग जांच होगी। इससे कोई मतलब नहीं है।

श्रीमती शकुन्तला देवी (ज़िला सहारनपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी जो शेष और भूमि है और हरिजनों में वितरित की जानी है क्या उसकी लिस्ट यहां पर सदस्यों को बतायेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

की जाने वाली है। अभी कैसे बतायें ?

श्रीमती शकुन्तला देवी---

जो शेष भूमि बंटनी है, हरिजनों में, उसके वितरण के बाद लिस्ट देंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

अभी तो अवशेष है। पता नहीं कब होगा। प्रार्थना-पत्र होगा, प्रस्ताव होगा।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---

क्या माननीय मन्त्री बतायेंगे कि एक तरफ देश में अन्न की कमी है, और माननीय मन्त्री जी के उत्तर से मालूम होता है 43 एकड़ जमीन बंजर पड़ी है, जो कृषि योग्य है, आज तक वह क्यों नहीं बांटी गयी और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे और जल्द बटवा देंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

उस समय जिम्मेदारी का प्रश्न नहीं आता। चकबन्दी में किस वक्त सरप्लस डिक्लेयर की गयी, वह तारीख हो सकती है।

श्री भामी (जिला आजमगढ़)---

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन बड़े लोगों को जमीन आवंटित की गयी है, उनके पास पहले से भूमि कितनी मौजूद है?

श्री अध्यक्ष---

वह सवाल ही नहीं है। आपने सवाल ही नहीं समझा। वह अलग से सूचना मांग सकते हैं।

ग्राम एदलपुर, जिला मथुरा के ग्राम प्रधान के विरुद्ध ग्राम समाज की भूमि हड़पने एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें

*2---श्री राम प्रकाश यादव (जिला मथुरा)---

क्या सरकार कृपया बताएगी कि ग्राम एदलपुर, ब्लाक सादाबाद, जिला मथुरा के ग्राम प्रधान के विरुद्ध ग्राम समाज की सम्पत्ति हड़पने एवं भ्रष्टाचार करने की शिकायत एस0 डी0 एम0 सादाबाद को सन् 1974 में मिली ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

गांव एदलपुर के प्रधान के विरुद्ध गांव सभा भूमि पर अवैध कब्जा करने व अन्य भ्रष्टाचार करने की शिकायत मई, 1974 में परगनाधिकारी को तो नहीं परन्तु तहसीलदार को प्राप्त हुई थी। उन्होंने नाजायज कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ करने के आदेश दिए, लेकिन 1 जनवरी, 1975 को प्रार्थी के आवेदन-पत्र पर परगनाधिकारी ने वाद की पत्रावली अपने न्यायालय में मंगा ली है जहां मामला विचाराधीन है।

श्री राम प्रकाश यादव---

क्या माननीय मन्त्री जी को जानकारी है कि इन शिकायतों की जांच वहां के तत्कालीन नायब तहसीलदार ने की थी और वह जांच क्या है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

श्रीमन्, यह शिकायती-पत्र जो था उस पर तहसीलदार ने जो जांच की उस पर जो आरोप लगाये गए थे वह कुछ सत्य पाए गए, लेकिन उस प्रधान ने यह दरख्वास्त दी कि हम तहसीलदार से जांच नहीं कराना चाहते हैं। इसलिए एस0 डी0 एम0 परगना अधिकारी ने अपने पास कर लिया। परगना अधिकारी को भी पावर है। इसलिए फाइल मंगा ली है और विचाराधीन है।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मन्त्री बतायेंगे कि एदलपुर गांव के प्रधान के पास कितनी जमीन है जो हड़प ली गयी है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

प्रधान के पास कितनी जमीन थी, इसकी सूचना नहीं है कि पहले से कितनी जमीन थी।

श्री हिम्मत सिंह—

यह जो इनक्वायरी करायी गयी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार की रिपोर्ट है, प्रधान ने कितना अवैध कब्जा कर लिया है इसकी जानकारी होनी चाहिए। जांच हुई तो किस चीज की करायी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

इस बात की जांच हुई कि प्रधान ने अवैध कब्जे कर लिए हैं।

श्री राम प्रकाश यादव—

क्या माननीय मन्त्री बतायेंगे कि इन्होंने जो अवैध कब्जा किया है और अपने पद का दुरुपयोग किया है इस के बावजूद उस प्रधान को अब तक क्यों नहीं निलम्बित किया गया है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, मामला तय हो जाएगा तो एस० डी० एम० हटा देगा।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, ग्राम समाज की जमीन के बारे में यह सवाल बराबर उठता रहता है, अभी एक हफ्ता हुआ एक नियम बंटा है कि कैसे-कैसे जमीन बटेगी, उसी के विरुद्ध आज माननीय मन्त्री जी ने स्वयं कहा है और जो नियम बंटवाया है तो ग्राम प्रधान जो ग्राम समाज की जमीन पर अनधिकृत कब्जा किए हुए हैं और 115(सी) में केवल जुरमाने का प्रावीजन है जिससे कब्जा छूट नहीं पाता है तो मैं जानना चाहूंगा कि ग्राम प्रधान अनधिकृत कब्जा करके जमीन हड़प रहे हैं उसके लिए कानून में किसी सख्त सजा की व्यवस्था करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मान्यवर, जो फैसला होता है तो डेमेरेज वसूल होते हैं और दखल होता है, यह तो ला है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, ग्राम समाजों की जमीनों पर जो नाजायज कब्जा है और मौजूदा कानून में केवल जुरमाने का प्राविधान है जिससे यह कब्जा दूर नहीं होता है तो क्या मन्त्री जी मौजूदा कानून में ऐसा सुधार करेंगे और कठोर दन्ड की व्यवस्था करेंगे जिससे अनधिकृत कब्जा दूर हो सके?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मान्यवर, मैं अवश्य इस पर विचार कर रहा हूं और मुझे आशा है कि माननीय सदन मुझे सहयोग देगा।

(श्री अध्यक्ष द्वारा प्रश्न संख्या 3 पुकारे जाने पर।)

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

श्रीमन्, माननीय राम प्रकाश जी को एक आधे सवाल करने का तो मौका दे दीजिए।

श्री अध्य —

वे खड़े ही नहीं हुए। एक अध बार खड़े होकर बैठ गए। तब मैंने माननीय हम्मत सिंह जी को मौका दिया।

श्री राम प्रकाश यादव--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जिन ग्राम प्रधानों ने ग्राम समाज की जमीन पर अनधिकृत कब्जा कर लिया है और अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके मुअत्तल करने के एस० डी० एम० को आदेश देंगे जिससे आने वाले प्रधानों को सबक मिल सके ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह

मैंने उत्तर में पढ़ा था कि अवैध कब्जा किए हुए हैं। उसकी ट्रान्सफर की एप्लीकेशन उन्होंने मान ली है। उस पर कार्यवाही हो जाएगी।

ग्राम घिगड़ पट्टी दोगी, टिहरी-गढ़वाल के अति वृष्टि से पीड़ित निवासियों के पुनर्वास हेतु भूमि की व्यवस्था।

*3--श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम घिग : पट्टी दोगी, टिहरी-गढ़वाल सन् 1962 में बाढ़ग्रस्त रहा है और इस वर्ष पूर्णत: ध्वस्त हो गया है ? यदि हां, तो ग्राम वासियों की सहायता के प्रार्थना-पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार यह भी बताएगी कि इस वर्ष सारा गांव जो पेड़ों के नीचे बरसात काट रहा है उसके लिए कोई व्यवस्था की जा रही है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

वर्ष 1963 में दिनांक 20 जुलाई, 1963 को अतिवृष्टि के कारण आयी बाढ़ से ग्राम घिगड़ क्षतिग्रस्त हुआ था। ग्रामवासियों को अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर बसाने के लिए दिनांक 16 जुलाई, 1965 को वन विभाग की दस एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया गया था परन्तु ग्रामवासी उस भूमि पर बसने को तैयार नहीं हुए। वर्ष 1974 में पुनः भयंकर अतिवृष्टि के कारण उक्त ग्राम के निवासियों की 25 एकड़ कृषि योग्य भूमि पूर्णरूप से नष्ट हो गयी तथा दस एकड़ भूमि में खड़ी धान की फसल भी नष्ट हो गयी है, ग्रामवासियों के पुनर्वास के लिए अन्यत्र उपयुक्त स्थान का चयन किया जा रहा है।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस गांव में कुल कितने परिवार हैं और इन सब परिवारों को मिलाकर कुल राजस्व खाते में कितनी भूमि है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मान्यवर, इस गांव में कुल कितने परिवार हैं और कुल राजस्व खाते को मिलाकर कितनी भूमि है, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ? अगर माननीय सदस्य चाहें तो जो आपत्ति आई है उसको मैं बता सकता हूं।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला--

मान्यवर, इस गांव में जो मेरी जानकारी है कम से कम 50 परिवार हैं और इस गांव में कम से कम 400 एकड़ भूमि है। 10 एकड़ भूमि पर बसाने के लिए जो सरकार ने प्रस्ताव किया था क्या शासन की नीति के अनुकूल था ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

श्रीमन् जहां-जहां जमीन दी गई, ग्रामवासी अपनी भूमि से दूर नहीं जाना चाहते थे, वहां पर फारेस्ट की भूमि अवेलेबुल है राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है, कि कोई ऐसी व्यवस्था कर दी जाय जिससे राज्य सरकार को और उनको भी आसानी हो।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

माननीय गैरोला जी, माननीय मुख्य मन्त्री जी से मिल चुके हैं और मुख्य सचिव से भी मिल चुके हैं। माननीय मुख्य मन्त्री जी का कहना है कि कहीं भूमि की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। क्या यह सही है कि टेहरी के विस्थापितों के लिए कुछ जंगलात भूमि की व्यवस्था

की गई है। इस भूमि के कुछ हिस्से पर सरकार उनको बसाने के लिए कुछ व्यवस्था करेगी, क्योंकि बरसात आने वाली है और क्षति होने की सम्भावना है। जो टिहरी के विस्थापितों के लिए जमीन रखी गई है उनमें सरकार उनको बसाने के लिए शीघ्र व्यवस्था करेगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

मान्यवर, प्लाट नम्बर वगैरह माननीय सदस्य दे दें, तो मैं जिलाधिकारी को लिखकर भेज दूंगा।

श्री काशीनाथ मिश्र---

मान्यवर, इसी तरह से उत्तर प्रदेश से पूर्वी जिलों के विस्थापितों का भी सवाल है। इसमें सभी के लिए जो पैसे दिए जाते हैं, उसमें सरकारी अधिकारी लोग पैसे खा जाते हैं। आप अपनी पालिसी में परिवर्तन करके सरकार की तरफ से टिन शेड या किसी भी तरह का घर बनवा देंगे ?

श्री अध्यक्ष---

यह व्यापक सवाल है, आप कर सकते हैं लेकिन अलग से।

श्री हिम्मत सिंह---

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वह जो विस्थपित हैं, उनकी कहां पर बसने की मांग है और सरकार को उनकी मांग के अनुसार जमीन देने के लिए क्या कठिनाई ह ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

मान्यवर, इसका उत्तर मैं दे चुका हूं।

श्री हिम्मत सिंह---

मान्यवर, हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ?

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला---

मान्यवर, मैंने माननीय मुख्य मन्त्री जी को और मुख्य सचिव को अच्छी तरह से जानकारी करा दी थी। मान्यवर, जहां पर 50 परिवार हैं 10 एकड़ भूमि में बसाने के लिए, क्या 10 एकड़ भूमि में 50 परिवार बस सकते हैं, जब कि उनके पास परिवार में अन्य सदस्य स्त्री हैं तथा उनके पास जानवर आदि भी हैं ? क्या माननीय मन्त्री जी मेरी इस जानकारी के आधार पर तुरन्त कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

श्रीमन् माननीय सदस्य लिख कर दे देंगे तो मैं उसको जिलाधिकारियों को भेज दूंगा। माननीय सदस्य उसका प्रोपोजल भेज दें उस प्रोपोजल को मैं जिलाधिकारियों के पास भेज दूंगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी ---

माननीय मन्त्री जी हर प्रश्न के बारे में उत्तर देते हैं कि अगर माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो जांच करा ली जायगी। प्रश्नकर्ता ने कई बार सरकार को लिखकर दिया माननीय मुख्य मन्त्री जी को भी दिया है। तो क्या माननीय मन्त्री जी उन प्रार्थना-पत्रों को ढुढ़वाकर उन पर कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

उस जमीन को राज्य सरकार की ओर से स्वीकार नहीं किया गया है। मैंने अर्ज किया कि वह ए क्लास की भूमि है। वह नहीं दी जा सकती है।

*4---श्री राम बचन तथा श्री कालीचरन यादव---

(5वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 37 पर स्थानान्तरित।)

प्रदेश में ओले और पाले से हुयी क्षति के लिए सरकार द्वारा दी गई सहायता

*5--श्री अब्दुल रऊफ लारी--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, फरवरी, 1975 ई0 के बीच में प्रदेश में कहां-कहां ओले व पाले का प्रकोप हुआ है ? फसल की कितने प्रतिशत हानि हुयी है ? और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या-क्या सहायता प्रदान की ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

ओला से जो जिले प्रभावित हुए उनका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है। पाला से कहीं क्षति नहीं हुई, केवल जिला आगरा की तहसील एतमादपुर के 21 ग्राम पाले से प्रभावित हुए जिनमें फसलों को 20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक अनुमानित हानि हुई।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 359-360 पर।)

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि गोरखपुर जिले में 25 गांवों में ओले गिरने की रिपोर्ट है, तो क्या उन गांवों का सर्वे कराकर आगे आने वाली लेवी की वसूली से मुक्त करेंगे। इसके साथ ही साथ लगान की वसूली को भी रुकवायेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

वहां जाकर डिटेल्ड सर्वे होगा। जिलाधिकारियों के पास धन एकट्ठा रहता है और अगर वह उसको उचित समझते हैं तो जरूर देते हैं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

मान्यवर, इन्होंने खुद रिपोर्ट दी है कि इतने-इतने गांवों में ओला की वृष्टि हो चुकी है। तो लेवी लगाने के पहले इस सम्बन्ध में आदेश वहां पहुंच जायेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

50 प्रतिशत से नीचे है। शासन के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से तो कुछ आता नहीं है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

जहां ओला पड़ जाता है वहां फसल खराब हो जाती है। इन्होंने तय किया है कि 3 एकड़ से 5 एकड़ तक के किसानो से 20 प्रतिशत वसूल करेंगे। तो अगर 20-40 प्रतिशत फसल खराब होगी तो लेवी लगाने का कोई औचित्य रह नहीं जाता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि उनकी लेवी का औचित्य क्या है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

यह खाद्य विभाग से सम्बन्धित है और माननीय खाद्य मन्त्री जी की ओर से इस पर चर्चा भी होने वाली है। वह एलान करेंगी। माननीय सदस्य उसको सुन लें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी --

क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उस तालिका में जिला पिथौरागढ़ और उत्तराखंड भी शामिल हैं। क्या माननीय मन्त्री जी मालूम करने का कष्ट करेंगे कि वहां पर कितनी ओला वृष्टि हुई है और कितना नुकसान हुआ है ? मेरी जानकारी है कि भयंकर ओला वृष्टि हुई है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मेरी सूचना के अनुसार लिस्ट में नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य की सूचना के आधार पर जिलाधिकारी से सूचना मंगा ली जाएगी।

मथुरा जिले की सादाबाद तहसील के अन्तर्गत मालगुजारी के बकाए की वसूली में हवालात में बन्द किए गए किसान

*6—श्री राम प्रकाश यादव—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मथुरा जिले की सादाबाद तहसील के अन्तर्गत माह नवम्बर, दिसम्बर, 1974 व जनवरी, 1975 में कितने किसानों को बकाया की वसूली में तहसील की हवालात में बंद रक्खा गया ? क्या यह सही है कि उसमें छोटे किसानों की ही संख्या अधिक है तथा उन पर कितना-कितना धन बकाया था ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मथुरा जिले की सादाबाद तहसील में माह नवम्बर, दिसम्बर, 1974 व जनवरी, 1975 में कुल 52 किसानों को बकाया की वसूली में तहसील की हवालात में बन्द रखा गया जिनमें से 31 किसान ऐसे थे जिनके पास 3 1/8 एकड़ से कम भूमि बताई गई है। उक्त 31 किसानों के विरुद्ध बकाया धनराशि की सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 361 पर।)

श्री राम प्रकाश यादव—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सादाबाद तहसील में कुल कितने किसानो पर बकाया थी। जब कि कुल 52 किसान ही पकड़े गये ?

श्री अध्यक्ष—

यह विस्तृत है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

प्रश्न माननीय सदस्य का यह था कि कितने किसानों को बकाया वसूली में तहसील में बन्द किया गया। इसके अलावा और सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री राम प्रकाश यादव—

जैसा कि माननीय मन्त्री जी के उत्तर से स्पष्ट है कि छोटे-छोटे किसान अधिक पकड़े गए थे। मेरी निश्चित जानकारी है कि जिन किसानों पर 50-50 हजार 60-60 हजार और एक-एक लाख रुपया बकाया था, उनमें से एक को भी नहीं पकड़ा गया लेकिन जैसा कि संलग्न तालिका में दिया हुआ है उन लोगों को पकड़ा गया है जिनके ऊपर 780, 870, 978, 663, 936, 428, 508, 835 और 430 रुपये तक मामूली मामूली रकम वाजिब थी। तो किन हालात में आपने बड़े किसानों को छुआ तक नहीं और छोटों छोटों को पकड़ लिया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, माननीय सदस्य का यह कहना है कि बड़े किसानों को छुआ तक नहीं गया, सत्य से परे है। जो सूचना संलग्न है कोआपरेटिव विभाग से सम्बन्धित है। यह धनराशि उसी विभाग को देय है। उनका अलग से अमीन होता है। हमारा तहसीलदार तो उनके कहने पर केवल वारन्ट निकालता है और वारन्ट निकालकर उन्हें तहसील में बन्द करा देता है।

श्री राम प्रकाश यादव—

श्रीमन्, मेरी निश्चित सूचना है कि बड़े-बड़े किसानों पर 50-50 हजार रुपया बकाया है ?

श्री अध्यक्ष—

वह हो सकता है। यह अलग सवाल है। यह जो बकाया है वह तो कोआपरेटिव विभाग का है जिसे वसूल करना है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

कोआपरेटिव या किसी भी विभाग का बकाया हो इनके विभाग द्वारा उन लोगों के अलावा किस-किस को छोड़ा गया और जिनसे वसूल नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष—

इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

जिन लोगों को ज्यादा देना है और उनसे वसूल नहीं किया गया है तो क्या माननीय मन्त्री जी उनको दन्डित करने की कृपा करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

माननीय सदस्य प्रश्न करने का साहस करें और पूछ लें कि किन-किन पर बकाया है।

श्री हिम्मत सिंह—

नवम्बर, दिसम्बर और जनवरी में इनमें से कितने किसान थे जिनको बकाया माल-गुजारी, लगान में बन्द किया गया था ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जो 3 महीने की सूचना है, वह संलग्न कर दी है। इस सूचना के अनुसार इतने ही कुल हैं जो छोटे-छोटे किसान बन्द किए गए थे।

श्री हिम्मत सिंह—

बकाया लगान में कितने हैं।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जो हैं, वे ही बता रहा हूं।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

कोआपरेटिव डिपार्टमेंट की ओर से जो लिस्ट डिफाल्टर्स की सरकार के पास आई है क्या उसमें से किसी को इम्तियाज किया गया है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

हमारे यहां पर लिस्ट नहीं आती है। कोआपरेटिव का जो अमीन होता है, वह हमारे यहां से इन्डिविजुअल के वारन्ट लेता है। तहसीलदार को वारन्ट इश्यू करने का अधिकार है। तो हमारी तहसील में वे बन्द करता है। रेवेन्यू विभाग का कुल यह कार्य है।

श्री मधुकर दिघे—

मन्त्री जी कहते हैं कि उनके पास कोई सूचना ही नहीं है कि बड़े किसान को छोड़ दिया और छोटे किसानों को पकड़ लिया गया। तो उन्होंने किस आधार पर यह कहा कि हमारे पास बड़े किसानों की सूची नहीं आई और केवल उनकी ही आई जिनके खिलाफ कार्यवाही की गई है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

यह सूचना तो प्रश्न के आधार पर ही आई है।

श्री अध्यक्ष—

जो लोग बन्द हुए हैं, सूचना उन्हीं के आधार पर है।

नागर क्षेत्रों में राजकीय आस्थानों के अधीन जमींदारी का उन्मूलन

*7—श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि शहरों में गवर्नमेंट स्टेट की जमींदारी का उन्मूलन अभी तक हो गया है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी नहीं। नागर क्षेत्रों के राजकीय आस्थानों में जहां कोई मध्यवर्ती नहीं है उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956 को प्रसारित करने की आवश्यकता नहीं समझी गई क्योंकि काश्तकार और सरकार के बीच कोई मध्यवर्ती नहीं है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

इस सदन में और बाहर भी रोज यह बात जानकारी में आती है कि जो ग्राम समाज की जमीन है, जो सीलिंग से बची जमीन है, जो नजूल की जमीनें हैं उन पर राज्य सरकार के बड़े-बड़े उच्चाधिकारी, केन्द्रीय मन्त्रि-परिषद् के सदस्यगण और अन्य प्रभावशाली सत्ताधारी लोगों ने कब्जा कर रखा है। इस राज्य में कृष्णानगर फार्म है। वह अवकाश प्राप्त आई० जी० पुलिस टी० पी० भल्ला का साढ़े चार सौ एकड़ का फार्म है। के० के० दास साहब का है। तो जब जमींदारी कानून में इस बात की व्यवस्था है कि जो गवर्नमेंट की जमीनें हैं उनको बचाने के लिए इस कानून का प्रसार किया जा सकता है फिर क्यों नहीं इस कानून को प्रभावकारी किया जाता है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मैं जब लखीमपुर-खीरी गया था तो श्री टी० पी० भल्ला का वन विभाग और राजस्व विभाग की जमीन पर कब्जा है। राज्य सरकार की यह मंशा नहीं है कि बड़े आदमियों के अवैध कब्जे को खत्म न किया जाय।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मेरा स्पष्ट यह आरोप है कि जो गवर्नमेंट स्टेट की जमीनें हैं उत्तर प्रदेश भर में उन समस्त जमीनों पर अनधिकृत रूप से स्थानीय अधिकारी या अन्य प्रभावशाली व्यक्ति कब्जा कर लिया करते हैं। तो क्यों नहीं इस प्रकार की जमीनों को उनके चंगुल से छुड़ाने के लिए इस ऐक्ट का प्रसार किया जाता है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

उनके कब्जे हटाने में मौजूदा कानून में कोई कमी नहीं है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जो कब्जा हो गया है वह तो अलग प्रश्न है लेकिन जिन जमीनों पर अभी अवैध कब्जा कर नहीं पाये हैं उन पर भविष्य में कब्जा न होने पाए क्यों नहीं सरकार इस कानून का प्रसार करती है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

इससे यही किया जा रहा है। अब कब्जा नहीं कर पाएंगे।

इलाहाबाद के गंगापार क्षेत्रों में कथित भुखमरी

*8--श्री अब्दुल रऊफ लारी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद में गंगापार के इलाकों में इस वक्त भुखमरी की हालत चल रही है और लोग भूखों मर रहे हैं और मर गए हैं ? यदि हां, तो कहतजदा इलाकों की भुखमरी खत्म करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जी नहीं।

प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---

मन्त्री जी ने कहा है कि यह सही नहीं है इसलिए राहत कार्य का कोई सवाल ही नहीं है। प्रदेश के मुख्य-मख्य अखबारों म इस बात की खबर छपी कि गंगापार में इस वक्त भी भुखमरी से काफी लोग मर चुके हैं और मर रहे हैं, तो या तो मंत्रीजी की सूचना गलत है या फिर इस तरह की अफवाहें जो फैल रही हैं उसके खिलाफ सरकार क्यों नहीं कार्यवाही करती ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

अफवाहों पर नहीं जाया जाता। यहां पर तो फैक्ट्स पर जो जांच करवायी है उससे पता चला कि वहां भूख से कोई नहीं मरा।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

लेकिन अगर दो, तीन दिन पर खाने को मिल रहा है, उनकी हालत गिरती जा रही है तो उनकी तो मदद सरकार करे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

भुखमरी की स्थिति नहीं है ।

श्री सत्य पाल मलिक (जिला मेरठ)--

भुखमरी से मरने की परिभाषा क्या है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

यह प्रश्नकर्ता से पूछें तो अच्छा होगा ।

श्री सत्य पाल मलिक--

इसको टाला नहीं जा सकता । जब भी सवाल उठता है तो माननीय मन्त्री जी कह देते हैं कि भुखमरी से मौत नहीं हुई । तो किस मौत को वह भुखमरी से हुई मौत मानते हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

भुखमरी की परिभाषा प्रश्नकर्ता बतायें तो फिर मैं बताऊं ।

श्री सत्य पाल मलिक--

भुखमरी से मौत सिर्फ दो-तीन दिन तक खाना न मिलने के कारण ही भुखमरी से मौत नहीं होती । लगातार कई वर्ष तक कम खाना मिलना कम दवाइयां मिलना या और बहुत सी बातें होती हैं जिससे भुखमरी की मौत होती है । भुखमरी की मौत एक दिन खाना न खाने से नहीं होती । जब कम खुराक मिलती है तो दर्जियों तरह की बीमारी आदमी को हो जाती है और जब वह आदमी मर जाता है तो उसकी पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में कह दिया जाता है कि वह फलां बीमारी से मरा । आप इवैड करते हैं अपनी जिम्मेदारी से ? यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप यह तय कर दें कि कौनसी मौत भुखमरी की मौत है और कौनसी भुखमरी की मौत नहीं है ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

किसी की मौत भुखमरी से हुई यह तो मेडिकल आफिसर ही बता सकता है, लेकिन मैं यह समझता हूं कि मौत भुखमरी से हुई वह होती है जिसे खाना न मिला हो । वैसे तो कोई आत्महत्या भी कर लेता है उसे भी कह देते हैं कि भुखमरी से हुई है ।

चौधरी चरण सिंह--

अगर 6 माह तक किसी को पर्याप्त पौष्टिक भोजन न मिलें और उसके बाद वह मर जाए तो उसे क्या कहेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

ऐसे तो बहुत से राजा महाराजा जो अपार धनी होते हैं, वे भी कभी-कभी पौष्टिक आहार के कारण मर जाते हैं .... (व्यवधान) भूख से मौत वह है जब कि किसी को दो तीन दिन भोजन न मिले और वह मर जाय ।

चौधरी चरण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा भारी प्रश्न है, इस पर गवर्नमेंट का दिमाग साफ होना चाहिए । माननीय राजस्व मन्त्री जी ने आवेश में आकर राजाओं का जिक्र कर दिया, इस तरह से जवाब नहीं होता । प्रश्न यह है कि अगर किसी को 6 महीने तक पर्याप्त भोजन न मिलें तो वह इस परिभाषा के अन्तर्गत आएगा या नहीं, इसका जवाब दीजिए ? (व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

माननीय चौधरी साहब की जो भी परिभाषा है मैं उसे मानने को तैयार हूं ।

चौधरी चरण सिंह---

फिर यह भी स्वीकार कीजिए कि ये मौतें भूख से हुई हैं। माननीय मन्त्री जी हंस रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

माननीय नेता विरोधी दल कह रहे हैं कि मैं हंस रहा हूं, तो क्या मैं रोऊं यहां आकर। .... (व्यवधान)

श्री सत्यपाल मलिक---

इसी से मान्यवर, बेसिक चीज जुड़ी है .... (व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र---

श्रीमन्, एक केस में जज ने बिहार में भुखमरी से मौत कौनसी होती है उसके बारे में लिखा है कि जिसकी मौत हो उसके घर की तलाशी ली जाय और अगर उसके घर में अन्न का एक दाना भी न मिले तब समझा जाय कि भूख से मौत हुई है।

तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी के किसानों को लगान में दी गई छूट के धन का समायोजन

*9---श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)---

क्या राजस्व मन्त्री बतायेंगे कि वर्ष 1378 व वर्ष 1381 फसली में तहसील फतेहपुर जिला बाराबंकी में किसानों को लगान में कितने रुपए की धनराशि छूट के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत हुयी और क्या यह सही है कि स्वीकृत धनराशि अभी तक किसानों को नहीं दी गयी है? यदि हां, तो क्यों?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

बाराबंकी जिले की तहसील फतेहपुर में वर्ष 1378 फसली में किसानों को मालगुजारी तथा लगान में कुल 2,66,019 रुपए 60 पैसे की छूट स्वीकृत की गई थी जिसका समायोजन किया जा चुका है। वर्ष 1381 फसली में 15,369 रुपए 32 पैसे की छूट स्वीकृत की गयी परन्तु उसका समायोजन अभी तक नहीं हो सका क्योंकि स्वीकृति विलम्ब से दी गई।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा---

1378 के फसली में जो छूट दी गयी है उसका समायोजन 4 साल के बाद हुआ, तो इतना समय लगने का क्या कारण है? और क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि इस तरह के मामलों में इतना विलम्ब न हुआ करे?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

जांच में विलम्ब हुआ, यही देरी का कारण था। कुछ ट्रान्सफर हो गए होंगे, वैसे माननीय सदस्य यदि कहेंगे तो मैं इसकी जांच करवा लूंगा।

श्री जंग बहादुर वर्मा---

जबकि लोगों ने कर्जा लेकर लगान अदा किया लेकिन 1381 फसली की छूट अभी तक किसानों को नहीं दी गयी है, तो इतने दिनों तक किसानों को क्यों तबाह व परेशान किया गया है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

यह सही है कि इसमें विलम्ब हुआ है और बिलम्ब का कोई कारण नहीं मालूम होता है। माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं इसके कारणों की जानकारी करूंगा और गलती हुई तो इस पर कार्यवाही करूंगा।

*10---श्री इन्द्र लाल---

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर छठे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 29 पर स्थानान्तरित।]

*11—श्री शारदा प्रसाद रावत—

[5वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 36 पर स्थानान्तरित ।]

प्रदेश के रजक वर्ग (धोबियों) की समस्याओं के समाधान हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्र

*12—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के रजक वर्ग की समस्याओं धोबी, घाट, ऊसर भूमि को बांटने, सस्ते सरकारी दर पर सोडा, साबुन, उपलब्ध कराने आदि से सम्बन्धित कितने पत्र नवम्बर, 1974 से जनवरी 14, 1975 तक शासन को प्राप्त हुए हैं ? इस दिशा में शासन ने क्या निर्णय लिया है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या माननीय मन्त्री यह स्पष्ट बतलायेंगे कि अब तक इस सम्बन्ध में कितनी सूचना एकत्र कर चुके हैं और वह सूचना क्या है तथा कब-तक पूरा उत्तर दे देंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सूचना एकत्र कर रहे हैं । वे दूसरे विभाग से सम्बन्धित हैं ? आपने जो सुझाव भेजा था, उसे उस विभाग को भेज दिया गया है ताकि सही सूचना दे सकें ।

*13—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[8वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 23 पर स्थानान्तरित ।]

तहसील रसड़ा, बलिया में प्रतिकर भुगतान के धन के गबन के मामले में कोर्ट में आत्म समर्पण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

*14—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि तहसील रसड़ा, जनपद बलिया के अन्तर्गत चकबन्दी विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारी व अधिकारियों में से 15 व्यक्तियों ने 5 लाख रुपए के गबन के मामले में अपने आप को मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट (पूर्वी) में नवम्बर, 1974 में समर्पण किया ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों के खिलाफ रसड़ा थाना, जिला बलिया में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी और उनके क्या-क्या पद हैं और इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी नहीं ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि मुआवजे का मुहकमा जो उन्हीं के अन्तर्गत है जहां यह कांड हुआ है, उस पर वे कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

प्रश्न चकबन्दी का था लेकिन चकबन्दी अधिकारी नहीं थे । यह बात सही है जो माननीय सदस्य ने कहा कि प्रतिकर भुगतान के सम्बन्ध में यह 5 लाख का गबन था । उसके लिए श्री राम सुमेर, पारसनाथ, कुबेर, आदि तहसीलदार, नायब तहसीलदार कई लोगों पर ऐक्शन लिया गया है और वे सस्पेंड कर दिए गए हैं ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

किस-किस के खिलाफ ऐक्शन लिया गया है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

5 लाख रुपए के गलत भुगतान के सम्बन्ध में जो अभिलेख प्राप्त हुआ है इस सम्बन्ध में 5 सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो, एक नायब तहसीलदार, और 5 तहसीलदार के विरुद्ध रसड़ा थाने में गबन की रिपोर्ट हुई। इनमें दो तहसीलदार और दो नायब तहसीलदार हैं। शेष ने मुंसिफ मैजिस्ट्रेट के न्यायालय से अपनी जमानत मंजूर करवा ली है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद---

अभी चार्ज शीट लगा है कि नहीं इस पर ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

चार्जशीट की सूचना तो इसमें नहीं है। केस मुंसिफ मैजिस्ट्रेट के यहां चल रहा है।

मौजा कोठलाहार, जिला उन्नाव में पुराने कब्रिस्तान की कागजातों में प्रविष्टि तथा उसमें बोयी गई फसलों का इन्द्राज

*15---चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)---

द्वितीय सत्र 1972 के 9वें शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या 5-6 के उत्तर के सम्बन्ध में राजस्व मन्त्री प्रश्नकर्ता की सूचना को सही मान कर कि भूमि नम्बर, 161 मौजा कोठलाहार परगना मोहान, तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव पर वास्तव में पुराना कब्रिस्तान है और वर्ष 1359 फसली के कागजात में उसका इन्द्राज भी है ; क्या मन्त्री पूरे मामले तथा मौके की पुनः जांच तहसीलदार, परगनाधिकारी से करा कर कागजातों में कब्रिस्तान की प्रविष्टि करायेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

प्रश्नगत ग्राम इस समय चकबन्दी योजनान्तर्गत है। अतः यदि किसी व्यक्ति को भूमि संख्या 161 की प्रविष्टि से असन्तुष्टि है तो वह जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है ? चकबन्दी योजना के अन्तर्गत उक्त ग्राम को ले लेने के पश्चात् तहसीलदार अथवा परगनाधिकारी भू-अभिलेखों की प्रविष्टि में संशोधन करने के लिए सक्षम नहीं हैं और इस कारण उनके द्वारा पुनः जांच कराना आवश्यक नहीं है।

*16---चौधरी रामपाल सिंह यादव---

क्या राजस्व मन्त्री यह भी बतायेंगे कि वर्ष 1367 फसली में उक्त नम्बर में फसल बोई जाने का इन्द्राज किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया गया ? क्या वर्ष 1367 फसली से अब तक इस भूमि पर लगातार प्रविष्टियां फसल बोई जाने की, की गयी हैं ? यदि हां, तो इस अनियमितता का उत्तरदायी कौन है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

फसल का इन्द्राज ग्राम के लेखपाल द्वारा किया गया है ? वर्ष 1367 फसली से 1375 फसली तक फसल बोए जाने का इन्द्राज है। इसके बाद कोई जिन्स बोए जाने का उल्लेख नहीं है। उक्त इन्द्राज के सम्बन्ध में कोई आपत्ति या शिकायत इन्द्राज के समय नहीं की गई थी। अतः अब यह निश्चित करना कठिन है कि इन्द्राज तथ्यों पर आधारित नहीं था और ऐसी स्थिति में उत्तरदायित्व निश्चित करने का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम बनजरिया, बाराबंकी में घाघरा नदी के कटान से पीड़ित व्यक्तियों का पुनर्वासन

*17---श्री बेनी प्रसाद वर्मा---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम बनजारिया, मजरे चिरी परगना रुदौली, तहसील राम सनेही घाट, जिला बाराबंकी अगस्त, 1974 की घाघरा नदी की बाढ़ से इस गांव के सभी लोगों के मकान व जमीन बाढ़ से कट कर समाप्त हो गए थे और प्रभावित लोगों ने 4 सितम्बर, 1974 को जिलाधिकारी बाराबंकी को इस सम्बन्ध में लिखित प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो बाढ़ से प्रभावित लोगों के मकान भूमि आदि के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

नोट---[तारांकित प्रश्न संख्या 14 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।]

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

घाघरा की बाढ़ से कृषि भूमि का कटान नहीं हुआ था परन्तु 23 व्यक्तियों के छप्पर के मकान जो नदी के किनारे थे वह कट गये थे। इन व्यक्तियों ने दिनांक 4 सितम्बर, 1974 को प्रार्थना-पत्र दिया था उसके पूर्व ही उन्हें गांव समाज भूमि पर बसा दिया गया था।

केन्द्रीय सरकार से प्लान एलोकेशन के अन्तर्गत सूखा व बाढ़ के लिए अग्रिम धन के रूप में प्राप्त ऋण

*18—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने सूखा एवं बाढ़ अग्रिम धन ऋण के रूप में प्लान एलोकेशन के अन्तर्गत देने की सूचना हाल में प्रदेश सरकार को दी है? यदि हां, तो पिछले वर्षों में इस प्रकार का कोई ऋण शासन को मिला? यदि हां, तो कितना और कब?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी नहीं। शेषभाग नहीं उठता।

इलाहाबाद कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों की चकबन्दी विभाग में की गयी सेवाओं का पेंशन में न जोड़ा जाना

*19—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

क्या यह बात सरकार की जानकारी में आयी कि इलाहाबाद कलेक्ट्रेट के ऐसे स्थायी कर्मचारियों को नियुक्त अधिकारी (जिलाधिकारी) के आदेश से चकबन्दी विभाग में कार्य करने हेतु पिछले 5 वर्षों में भेजा गया था उनको 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवा निवृत्ति के समय पूरी पेन्शन यह कह कर नहीं दी जा रही है कि चकबन्दी विभाग में की गयी उनकी सेवायें पेन्शन हेतु सम्मिलित नहीं की जाएंगी? यदि हां, तो क्यों? उनकी कुल संख्या क्या है तथा नाम क्या है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां। इलाहाबाद कलेक्ट्रेट के केवल एक कर्मचारी श्री चन्द्र शेखर श्रीवास्तव के मामले में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, ने यह आपत्ति की है कि चकबन्दी अधिष्ठान पेंशन बिल न होने के कारण वहां की गई इनकी सेवा पेंशन हेतु नहीं जोड़ी जा सकती।

महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, की यह आपत्ति उचित नहीं है और इस विषय में जिलाधिकारी, इलाहाबाद ने महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को पत्र लिखा है।

बहराइच जिले में ओला वृष्टि से हुई क्षति की पूर्ति हेतु सहायता

*20—श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या सरकार को जानकारी है कि दिनांक 13 फरवरी, 1975 को बहराइच जिले में हुयी ओला-वृष्टि से अपार क्षति हुयी है? यदि हां, तो सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति एवं सहायता हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं तो क्यों?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

दिनांक 13 फरवरी, 1975 को ओला-वृष्टि से बहराइच जिले के 94 ग्राम प्रभावित हुए जिनमें से 54 ग्रामों में फसलों को क्षति 50 प्रतिशत से कम और 40 ग्रामों में 50 प्रतिशत से अधिक अनुमानित है। अधिक क्षति वाले ग्रामों में मालगुजारी में छूट देने के लिए नियमानुसार कार्यवाही शुरू कर दी गई है। कोई और सहायता देने की आवश्यकता नहीं पायी गई है?

वन विभाग की कृषि बानिकी (फार्म फारेस्ट्री) योजना

*21—श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वन विभाग उत्तर प्रदेश ने पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कृषि बानकी (फार्म फारेस्ट्री) नाम की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो इस योजना को प्रदेश सरकार कब से लागू करने का विचार कर रही है ?

वन मन्त्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

जी नहीं। किन्तु बंजर, पंचायत व सामुदायिक भूमि में मिश्रित वृक्षारोपण करने की एक योजना बनाई गयी है जो लगभग वह है जैसी कृषि बानिकी। यह योजना भारत सरकार की स्वीकृत्यर्थ प्रस्तुत की गयी है। जैसे ही वह योजना स्वीकृत हो जावेगी, प्रदेश में लागू कर दी जाएगी ;

*22—श्री काशीनाथ मिश्र—

[विस्तीर्ण होने के कारण निरस्त।]

मिर्जापुर की राबर्ट्सगंज एवं दुद्धी तहसीलों को मिलाकर नया जिला बनाने का प्रश्न

*23—श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि मिर्जापुर जिले के दक्षिणांचल में राबर्ट्सगंज एवं दुद्धी को मिला कर एक जिला बनाए जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां। जिला मिर्जापुर की राबर्ट्सगंज तथा दुद्धी तहसीलों को निकाल कर एक नया जिला बनाने का प्रश्न मार्च, 1974 से शासन के विचाराधीन है।

ग्राम हुसैनपुर, सकारबारी, जिला फैजाबाद में चकबन्दी रिकार्ड में अमलदरामद में विलम्ब के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

*24—श्री शिव कुमार पाण्डेय—

विधान सभा के तृतीय सत्र 1974 के प्रथम शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या 46 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नामान्तरण आदेश अगस्त, 1973 में किया गया और अमल दरामद मार्च, 1974 में हुआ है ? यदि हां, तो इस विलम्ब के लिए सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां। इस विलम्ब के लिए दोषी सहायक चकबन्दी अधिकारी तथा उनके न्यायालय लिपिक की चरित्र पंजिकाओं में प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी गई और न्यायालय लिपिक का स्थानान्तरण भी दूसरे क्षेत्र में कर दिया गया ?

सुल्तानपुर जिले के ग्रामों की गोमती नदी में डूब जाने वाली भूमि का बन्दोबस्त कराया जाना

*25—डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर जिले के भंडरा आदि 24 ग्रामों, जिनकी भूमि गोमती नदी के जल में डूब जाती है, के भूमापन एवं अभिलेख (बन्दोवस्त) कराने का कोई प्रस्ताव, राजस्व परिषद्, के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां, सुल्तानपुर जिले के 24 ग्रामों में भूमापन एवं अभिलेख क्रियायें कराने के सम्बन्ध में लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 की धारा 48 के अन्तर्गत उक्त ग्रामों को भूमापन एवं अभिलेख क्रियाओं के अधीन रखे जाने की शासकीय विज्ञप्ति जारी हो चुकी है ।

*26—श्री राम सजीवन तथा श्री ऊदल—

[7वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 15 पर स्थानान्तरित।]

*27—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[6ठे शुक्रवार के लिए स्थगित।]

एटा जिले के ग्रामों में ओले से फसल को हुई क्षति तथा किसानों को दी गई सहायता

*28—श्री गंगा प्रसाद (जिला एटा)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि एटा जिला में इस वर्ष ओले से किस-किस तहसीलों में कितने-कितने ग्रामों में फसल को नुकसान हुआ और ओला पीड़ित किसानों को क्या-क्या सहायता पहुंचाई गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

एटा जिले में ओलावृष्टि के फलस्वरूप तहसील एटा के 193 ग्राम कासगंज के 136 ग्राम व अलीगंज के 154 ग्राम प्रभावित हुए। ओला पीड़ित किसानों को 2,68,500 रुपया आपदा तकावी, 68,000 रुपया कृषि तकावी तथा 50,000 रुपए निःशुल्क सहायता के रूप में वितरित किया गया है। इसके अतिरिक्त क्षतिग्रस्त क्षेत्र के कृषकों को जायद की बुआई हेतु बीज का भी वितरण किया जा रहा है तथा ओला पीड़ित क्षेत्रों में सस्ते दामों में गल्ला देने की भी व्यवस्था की गई है।

गोरखपुर में बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकारी सस्ते गल्ले के दूकानदारों द्वारा खरीदी गयी सामग्री का भुगतान

*29—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत बाढ़ में बाढ़ पीड़ितों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त जिलाधीश (रसद एवं आपूर्ति) ने सरकारी सस्ते गल्ले के दूकानदारों को मोटा अनाज, दियासलाई, नमक आदि खरीदने का आदेश दिया था जिसका भुगतान तहसीलदारों को करना था। यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि सम्बन्धित दूकानदारों के बार-बार कहने पर भी महराजगंज के तहसीलदार ने भुगतान नहीं किया और न ही वस्तुओं का वितरण ही हुआ ? क्या मन्त्री जी पूरे तथ्यों की जांच करा कर सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां, बाढ़ सहायता के लिए दुकानदारों से जीवनोपयोगी वस्तुयें तहसीलदारों द्वारा क्रय की गयी थीं। यह सही नहीं है कि तहसीलदार महराजगंज द्वारा क्रय मूल्य का भुगतान नहीं किया गया। कोई भुगतान अवशेष नहीं है। वस्तुओं का वितरण बाढ़ पीड़ितों को सुचारु रूप से किया गया।

*30—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[6ठें शुक्रवार के लिए स्थगित।]

ऊसर भूमि कृषि योग्य होने पर रजक वर्ग के लिए आरक्षण

*31—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री मंगल देव विशारद कमेटी की रिपोर्ट (भूमि व्यवस्था व जांच समिति) की सिफारिश के अन्तर्गत कि ऊसर भूमि को कृषि योग्य हो जाने पर हरिजन व भूमिहीनों में बांटा जाय, को सरकार ने मान लिया है ? क्या इस ऊसर भूमि को रजक वर्ग हेतु आरक्षित करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्री मंगल देव विशारद कमेटी ने प्रतिवेदन के अध्याय 8, पैरा 8–3 में ऊसर भूमि के सुधार के विषय में 10 वर्षीय योजना बनाने का सुझाव दिया गया है। यह भी संस्तुति की गयी है कि इस योजना में यथा सम्भव भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को लगाया जाय और भूमि

सुधार के उपरान्त उन्हीं भूमिहीन मजदूरों में भूमि का आबंटन किया जाय, जिन लोगों ने योजना के अधीन हो रहे सुधार कार्य में अभिरुचि दिखलायी हो। ऊसर भूमि के सुधार में व्यय अत्यधिक होता है। आर्थिक कठिनाइयों के कारण अभी ऊसर सुधार की विस्तृत योजना बनाना सम्भव नहीं है।

शासन की नीति के अनुसार कृषि के लिए सभी उपलब्ध भूमि का बन्दोबस्त उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 198(1) में निर्धारित वरीयता क्रम में जिसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों तथा अन्य भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को उचित स्थान प्राप्त है, के अनुसार किया जाता है। ऐसी दशा में कोई भूमि रजक वर्ग, जो एक अनुसूचित जाति हैं, के लिए अलग से किसी भूमि के आरक्षण का प्रश्न नहीं उठता है।

*32—श्री हरिकेवल तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[6ठे शुक्रवार के लिए स्थगित।]

*33—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[6ठे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 6 पर स्थानान्तरित।]

अलीगढ़ जिले की अतरौली व कोल तहसीलों में ओला-वृष्टि से रबी की फसल को क्षति के सम्बन्ध में सरकार को दिया गया ज्ञापन

*34—श्री कल्याण सिंह (जिला देवरिया) तथा श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि दिनांक 13 फरवरी, 1975 को जिला अलीगढ़ की तहसील अतरौली तथा कोल में भयंकर ओला वृष्टि से वर्तमान रबी की फसलों को हुई भीषण क्षति से सम्बन्धित दिनांक 18 फरवरी, 1975 का कोई ज्ञापन शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो ज्ञापन क्या है, क्षति किन ग्रामों के किसानों की कितने प्रतिशत हुयी है? उक्त ज्ञापन में क्या-क्या मांगे की गयी हैं और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां ज्ञापन में दिनांक 13 फरवरी, 1975 को तहसील अतरौली और तहसील कोल में दिनांक 13 फरवरी, 1975 को हुई ओला-वृष्टि के कारण कृषकों को पहुंची हानि का उल्लेख है तथा उसमें लेवी से मुक्ति, मालगुजारी आदिमें माफी, तकावी तथा अहेतुक सहायता व वितरण, टेस्ट वर्क चलने, तम्बाकू की खेती में सुविधा दिलाने, गन्ने और चारे की व्यवस्था करने, गन्ना की खेती के लिए बीज व खाद दिलाने, बिजली की पूर्ति चौबीसों घंटे किए जाने तथा बिलों के भुगतान के स्थगन, नहरों द्वारा जायद के लिए पानी दिलाने की मांगें की गई हैं। कुल 56 गांवों में ओला से क्षति हुई जिनकी सूची संलग्न है। मांगों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही निम्न प्रकार है—

(1) प्रभावित क्षेत्रों के कृषकों पर रबी खाद्यान लेवी योजना 1975-76 के अन्तर्गत लेवी, ओलावृष्टिके कारण नुकसानी रकबे को घटाकर लगाई जा रही है।

(2) ओलावृष्टि से जिन ग्रामों में 50 पैसे से अधिक हानि है, चालू खरीफ 1382 फसली की मालगुजारी लगान के स्थगन के लिए कार्यवाही की जा रही है।

(3) पीड़ित कृषकों को आपदा तकावी वितरण हेतु तीन लाख रुपया आवंटित किया गया जो प्रत्येक तहसील को एक-एक लाख रुपया वितरण हेतु भेज दिया गया है।

(4) जिले के सभी अधिशासी अभियन्ताओं को, प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार दिलाने के लिए विभागीय कार्य चलाने के निदेश दिए गए।

(5) पीड़ित कृषकों को तुरन्त सहायता हेतु क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक, आगरा द्वारा आवंटित 250 टन मोटे अनाज (बाजरा) तहसीलों में सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से वितरित किया जा रहा है।

(6) गन्ने का बीज और खाद तकावी दिलाए जाने के सम्बन्ध में जिला गन्ना अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी को निर्देश जारी कर दिए गए।

(7) प्रभावित क्षेत्रों में अधिशासी अभियन्ता। अधीक्षक अभियन्ता, सिंचाई विभाग नहर व ट्यूबवेल को कृषकों को चौबीसों घन्टा बिजली देने व राजबाहों में आवश्यकतानुसार पानी छोड़ने के निर्देश दिए गए।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 362 पर।)

ग्राम सभा मौदरी, मोहनलालगंज, लखनऊ की भूमि से सवर्णों के अनधिकृत कब्जे हटा कर भूमिहीन हरिजनों को दिए जाने की मांग

*35—श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी (जिला गोंडा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या ग्राम सभा मौदरी, तहसील मोहनलाल गंज जिला लखनऊ के अन्तर्गत हाल ही में सवर्णों द्वारा गांव सभा की जमीन पर अनधिकृत रूप से कब्जा किया गया है और हरिजन भूमिहीनों को यह जमीन नहीं दी गयी है? यदि हां, तो ऐसे कब्जेदारों के विरुद्ध शासन कार्यवाही करेगी और भूमिहीन हरिजनों को वह जमीन दिलाने की व्यवस्था करेगी?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

हाल में तो नहीं किन्तु पुराने 101 अनधिकृत कब्जे गांव सभा भूमि पर पाए गए जिनमें से 79 कब्जे सवर्णों के हैं जिनके अधीन 30 एकड़ भूमि है। सभी का विजान के विरुद्ध उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा 122-ख के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही की जा रही है।

*36—श्री राम सुन्दर पाण्डेय—

(7वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 6 पर स्थानान्तरित।)

ग्राम वरडीहा, सगड़ी, जिला आजमगढ़ में लेखपाल तथा ए० सी० ओ० के विरुद्ध घूस लेने एवं गलत चकबन्दी करने सम्बन्धी शिकायत

*37—श्री राम सुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 21 जनवरी, 1975 को ग्राम वरडीहा, सी० ओ० सर्किल 5 इकाई सगड़ी जिला आजमगढ़ के किसानों के पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का कोई पत्र लेखपाल तथा ए० सी० ओ० के विरुद्ध घूस लेने एवं चकबन्दी गलत करने के सम्बन्ध में मिला है? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में कौन सी कार्यवाही की गयी और किस अधिकारी से जांच करायी गयी और परिणाम क्या हुआ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां। संयुक्त संचालक चकबन्दी घूस की शिकायत की जांच कर रहे हैं। उनकी आख्या अभी प्रतीक्षित है।

*38—श्री कल्याण सिंह—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

मोहनलाल गंज, लखनऊ के सेवानिवृत्त लेखपाल को निलम्बन काल का भत्ता देने में विलम्ब

*39—श्रीमती कैलाश पति (जिला लखनऊ)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ के किसी सेवा निवृत्त लेखपाल को जून 1967 से दिसम्बर, 1967 तक निलम्बन में रखा गया और निलम्बन काल का भत्ता अभी तक सरकारी आदेश के बावजूद नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के तथा निलम्बन भत्ते का भुगतान तत्काल कराने की व्यवस्था करेगी?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां।

भत्ता भुगतान सम्बन्धी शासकीय आदेश, दिनांक 10 जनवरी, 1975 को जारी किया गया था। मामला पुराना होने के कारण बिल प्रीआडिट हेतु महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को भेजा जा चुका है। महालेखाकार की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही भुगतान सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

बलिया जिले की तहसीलों में सीजनल अमीन व चपरासियों की भर्ती में अनुसूचित जाति का कोटा

*40—श्री रघुनाथ (जिला बलिया)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बलिया के तीनों तहसीलों में जो सीजनल अमीन व चपरासियों की भर्ती गत दिसम्बर माह, 1974 में की गयी थी उसमें अनुसूचित जाति का निर्धारित कोटा पूरा किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

आगरा जिले की कैंजरा ग्राम सभा द्वारा चम्बल सैंड खनन का पट्टा रद्द किया जाना

*41—श्री शिवचरन लाल (जिला आगरा), श्री मुलायम सिंह यादव, (जिला इटावा), श्री महेन्द्र रिपुदमन सिंह (जिला आगरा) तथा श्री मुलतान सिंह (जिला आगरा)—

क्या सरकार यह बताएगी कि ग्राम कैंजरा, तहसील बाह, जिला आगरा की ग्राम सभा ने चम्बल सैंड के खनन के लिए दिसम्बर, 1974 में पट्टा दिया था? यदि हां, तो उसे दो माह के बाद क्यों रद्द कर दिया गया?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*42—श्री राम सुन्दर पाण्डेय—

[अस्पष्टता के कारण निरस्त।]

पिथौरागढ़ के सानिदेव–घोरपाटा वन विभाग की मोटर सड़क की मरम्मत

*43—श्री गोपालदत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)—

क्या सरकार यह बताएगी कि जनपद पिथौरागढ़ के सानदेव-घोरपाटा वन विभाग की मोटर सड़क की मरम्मत कब तक हो जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जनपद पिथौरागढ़ के सानदेव (घोरपाटा) से चौबाटी तक वन विभाग की मोटर सड़क के मरम्मत का कार्य 1974-75 वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूरा होना था।

ग्राम नत्थूमलपुर (उर्फ विशम्भरपुर) जिला आजमगढ़ निवासी श्रीमती इन्द्रासना द्वारा लेखपाल तथा कलेक्शन अमीन के विरुद्ध प्रेषित आरोप-पत्र

*44—श्री पुरुषोत्तम कौशिक तथा श्री विश्राम (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम नत्थूमलपुर उर्फ विशम्भरपुर थाना देव गांव, तहसील लालगंज, जिला आजमगढ़ की निवासिनी इन्द्रासना नामक विधवा ने उसके साथ की गयी साजिश के विरुद्ध जिसमें लेखपाल तथा कलेक्शन अमीन भी सम्मिलित है कोई आरोप-पत्र दिनांक 12 नवम्बर, 1973 को जिलाधिकारी, आजमगढ़ को तथा मुख्य मन्त्री को दिया था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो आरोप-पत्र में उल्लिखित आरोप क्या हैं तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

जी हां। यह आरोप था कि लेखपाल तथा कलेक्शन अमीन की साजिश से प्रार्थिनी की भू-सम्पत्ति का बैनामा फर्जी औरत खड़ी करके कुछ लोगों ने अपने नाम करा लिया है ? जांच में यह पाया गया कि प्रश्नगत भूमि पर राजस्व पत्रों में अभी तक प्रार्थिनी का ही नाम अंकित है। कथित विक्रय-पत्र का कार्यान्वयन नहीं हुआ है।

ग्राम ददरी, हमीरपुर में भूमिहीनों को दी गयी भूमि पर वन विभाग द्वारा कब्जे की शिकायत

*45---श्री प्रताप नारायण (जिला हमीरपुर)---

क्या वन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम ददरी, मजरा मिश्रीपुर जिला व तहसील, हमीरपुर में वन विभाग द्वारा भूमिहीनों के पट्टे पर दी गयी जमीन पर कब्जा कर लेने सम्बन्धी दिनांक 28 दिसम्बर, 1974 का कोई पत्र उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री अजीत प्रताप सिंह---

ग्राम ददरी मजरा मिश्रीपुर जिला व तहसील हमीरपुर में वन विभाग द्वारा भूमिहीनों के पट्टे पर दी गयी जमीन पर कब्जा कर लेने सम्बन्धी दिनांक 28 दिसम्बर, 1974 का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। इस विषयक दिनांक 20 दिसम्बर, 1974 का एक पत्र प्राप्त हुआ था जिस पर जांच करवायी गयी। वन विभाग द्वारा किसी भी कृषक की भूमि पर कब्जा नहीं किया गया है।

ग्राम भैंसापाली, हमीरपुर के किसानों की भूमि पर वन विभाग द्वारा कथित कब्जा की गयी भूमि की वापसी तथा मुआवजा देने की मांग

*46---श्री प्रताप नारायण---

क्या वन मन्त्री को जानकारी है कि ग्राम भैंसापाली जनपद व तहसील, हमीरपुर के किसानों के खेतों पर वन विभाग ने उनके पट्टे की जमीन पर जिनका वे लगान देते रहे हैं कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन किसानों को उनकी जमीन वापस दिलाएगी और जितने साल किसान को जोतने को खेत नहीं मिले उनको मुआवजा भी दिलाएगी ?

श्री अजीत प्रताप सिंह---

वन विभाग ने ग्राम भैंसापाली जनपद व तहसील हमीरपुर के किसी भी किसान के खेतों पर अर्थात् उनके पट्टे की जमीन पर जिसका वह लगान देता रहा है, कब्जा नहीं किया? अतः वन विभाग द्वारा जमीन वापस देने और जितने साल सम्बन्धित किसान को जोतने को खेत नहीं मिले उसका मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

*47---डाक्टर मलखान सिंह---

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

*48---श्री श्रीनारायण---

[6ठे शुक्रवार के लिए स्थगित।]

*49---श्री शिव सम्पत्ति राम तथा श्री सूबेदार प्रसाद---

[प्रदेशीय सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त।]

अतारांकित प्रश्न

1---श्री इन्द्र लाल---

[7वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 3 पर स्थानान्तरित।]

झांसी मन्डल की खेल-कूद प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु दी गयी सहायता

2---श्री चन्द्र भान आजाद (जिला बांदा)---

क्या खेल-कूद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1974-75 में झांसी मन्डल स्तर की खेल-कूद प्रतियोगितायें किन कारणों से नहीं आयोजित हो सकीं ? यदि इसका कारण अधिकारियों की उदासीनता है तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी?

खेल-कूद मन्त्री (श्री लोकपति)---

वर्ष 1974-75 में खेल-कूद निदेशालय द्वारा मन्डल स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन का कोई कार्य-क्रम नहीं था।

3---श्री चन्द्र भान आजाद---

क्या खेल-कूद मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि खेल-कूद अयोजन हेतु झांसी को अन्य जनपदों की अपेक्षा वर्ष 1973-74 में अधिक धन किन कारणों से दिया गया ?

श्री लोकपति---

झांसी जिले में खेल-कूद के लिए झांसी मन्डल के अन्य जिलों की अपेक्षा अधिक धन दिए जाने का कारण यह है कि झांसी में एक पूर्ण रूपेण क्रीड़ागन उपलब्ध है और वहां पर निदेशालय का एक अधिकारी हर समय उपलब्ध रहता है जिसकी देख-रेख में खेल-कूद का आयोजन हो सकता है। इसके अलावा उस जिले में पहले से ही खेल-कूद ज्यादा होते हैं।

कानपुर जिले की डेरापुर तहसील के अन्तर्गत हरिजनों को गृह निर्माण हेतु आबंटित भूमि

4---चौधरी रामपाल सिंह यादव---

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले की डेरापुर तहसील के अन्तर्गत कितने कौन-कौन गांवों में हरिजनों को गृह निर्माण के लिए कुल कितनी भूमि का आबंटन किया गया है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

जिला कानपुर की तहसील डेरापुर के 315 ग्रामों में 5,249 हरिजन परिवारों को गृह निर्माण हेतु कुल 103.91 हेक्टेयर्स भूमि का आबंटन किया गया है।

ग्रामवार †सूची अध्यक्ष महोदय के कक्ष में उपलब्ध है

हस्तिनापुर ब्लाक, तहसील मवाना, जिला मेरट के ग्रामों में बाढ़ से दी गयी सहायता

5---श्री रेवती शरण मौर्य (जिला मेरठ)---

क्या सरकार कृपया बताएगी कि मेरठ जिले की तहसील मवाना के ब्लाक हस्तिनापुर में वर्ष 1974 की बाढ़ से कौन-कौन गांव प्रभावित हुए और उन गांवों में विभिन्न प्रकार की कुल कितनी सहायता दी गयी ? इस पूर्ण तहसील मवाना में इस बाढ़ से कितने प्रतिशत फसलों की क्षति हुई ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

वर्ष 1974 की बाढ़ से तहसील मवाना के ब्लाक हस्तिनापुर के निम्नलिखित 34 गांव प्रभावित हुए ---

शिरजेपुर, बधवी, वधवा, हादीपुर, गावड़ी, मनेहरपुर, लालपुर, जमालपुर, खादर शाहपुर खादर, गोकलपुर, चामरोद, मानपुर, सजादपुर, रूपड, बमनोली, किशनपुर, कंकर खेड़, रुस्तमपुर, भोखण्ड, फूनेहेड़, बेला, भागूपुर, फतेहपुर, हरीपुर, दबखेड़ी, परसापुर, हंसीपुर, शेरपुर, रठोडकला, बहवलपुर, वाजमपुर, बसतीरा, नेरंग, दूधरी, खादर, खेड़ी कलां, खेड़ीखुर्द, मकदूमपुर, लतीफपुर।

---

†छापी नहीं गई।

उक्त गांवों के प्रभावित व्यक्तियों को नावों द्वारा सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें किसी सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ी। सम्पूर्ण तहसील मेवाना में बाढ़ से फसलों को 20 प्रतिशत हानि हुई।

देवरिया जिले के विकास खन्ड रामकोला, खड्डा तथा नौरंगिया के बाढ़पीड़ित ग्राम

6—श्री श्रीनारायण—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले के विकास खन्ड रामकोला, खड्डा तथा नौरंगिया के कौन कौन से गांव वर्ष 1974 में बाढ़ पीड़ित घोषित किए गए हैं और उस घोषणा के क्या आधार हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

किसी गांव को बाढ़ पीड़ित नहीं घोषित किया गया, क्योंकि इस प्रकार की औपचारिक घोषणा नहीं की जाती। विकास खण्ड रामकोला, खड्डा तथा नौरंगिया के क्रमश: 30, 56, तथा 35 गांवों में बाढ़ से फसल को 50 प्रतिशत या उससे अधिक क्षति हुई थी ?

गोरखपुर की सदर तहसील के कतिपय ग्रामों में ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा करने वालों के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

7—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

विधान सभा के तृतीय सत्र 1974 के प्रथम शुक्रवार, दिनांक 27 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7 के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सम्बन्धित गांवों की ग्राम समाज की भूमि से सम्बन्धित विवरण क्या है तथा अवैध रूप से कौन-कौन लोग कब्जा किए हुए हैं ? उनके प्रति शासन ने क्या कदम उठाए ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

कानपुर की डेरापुर तहसील में खातेदारों को जोत बही का वितरण

8—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि डेरापुर तहसील में अब तक कितने गांवों के किसानों को जोत बहियों का वितरण कर दिया गया है और कितने गांवों में अभी तक यह नहीं दी गयी है। अभी तक तहसील के सभी किसानों को जोतबही न दिए जाने का क्या कारण है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जिला कानपुर की तहसील डेरापुर के कुल 346 गांवों में से 239 गांवों के खातेदारों को जोतबहियों का वितरण कर दिया गया है एवं शेष 107 गांवों की जोतबहियां बनाकर सम्बन्धित गांव सभा प्रधानों को वितरण हेतु दे दी गयी हैं।

प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

देवरिया जिले में बाढ़ एवं वर्षा से क्षति तथा दी गई सहायता

9—श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद में 1974 की बाढ़ एवं वर्षा में कितने घर गिर और कितने एकड़ खरीफ की फसल बरबाद हुयी और वहां तहसीलवार कितना रुपया स्वीकृत हुआ और कितना आवंटित हुआ ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जिला देवरिया में वर्ष 1974 की बाढ़ तथा वर्षा से कुल 52,952 मकान क्षतिग्रस्त हुए व 9,58,090 एकड़ कृषि क्षेत्रफल प्रभावित हुआ। शासन द्वारा जिलाधिकारी, देवरिया को बाढ़ सहायता हेतु निःशुल्क सहायता के मद पर 9,15,000 रु0, 18,00,000 रु0 विद्यार्थियों को फीस माफी की सहायता व गृह-निर्माण अनुदान के लिए 15,15,000 रुपया आबंटित किए गए थे। तहसीलदार ब्योरा प्राप्त किया जा रहा है।

10—श्री राम प्रकाश यादव—

[विस्तीर्णता के कारण निरस्त।]

कानपुर की डेरापुर तहसील के ग्रामों में चकबन्दी कार्य

11—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले की डेरापुर तहसील में कुल कितने गांवों में चकबन्दी का कार्य किया जाएगा। उनमें से किन-किन गांवों में चक परिवर्तन की कार्यवाही की जा चुकी है? तथा कितने गांव शेष हैं? इस कार्य के कब तक पूर्ण हो जाने की आशा है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जनपद कानपुर की तहसील डेरापुर के 307 ग्रामों में चकबन्दी कार्य किया जा रहा है। 183 ग्रामों में चक परिवर्तन हो चुका है जिनकी सूची संलग्न है। शेष 124 ग्रामों में चक परिवर्तन जून, 1975 तक हो जाने की सम्भावना है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 363–365 पर।)

कथित वन संरक्षण समिति का गठन

12—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्य में वनों के संरक्षण प्रदान करने हेतु किसी समिति का गठन किया गया है? यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन-कौन हैं तथा उनके क्या-क्या काम हैं?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जी नहीं।

वाराणसी की ज्ञानपुर तहसील का विभाजन एवं पृथक परगना अधिकारी व तहसीलदारों की नियुक्ति

13—श्री रामरति विन्द (जिला वाराणसी) तथा श्री गिरिजा शंकर पाठक (जिला वाराणसी)—

क्या जनपद वाराणसी के ज्ञानपुर तहसील को पूर्व की भांति पुनः दो तहसीलों में बांट कर दो परगनाधिकारी व दो तहसीलदार नियुक्त करने की व्यवस्था सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो व्यवस्था कब तक हो जाएगी?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां राजस्व परिषद् की आख्या आने पर अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।

14—श्री गिरिजा शंकर पाठक तथा श्री रामरति विन्द—

[6ठें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 1 पर स्थानान्तरित।]

शाहजहांपुर जिले के विकास क्षेत्र जैतीपुर की कतिपय ग्राम सभाओं की भूमि से आय

15—श्री रामेश्वर नाथ चौबे (जिला बरेली)—

क्या सरकार को जानकारी है कि शाहजहांपुर जिला के विकास क्षेत्र जैतीपुर की ग्राम सभा खोवन, जौरा पहीछेदा, मगनपुर, गोगेपुर व विकरमपुर में ग्राम सभाओं के पास आठ

एकड़ से अधिक अच्छी क्षतिहर भू म है परन्तु पिछले तीन वर्षों से किसी ग्राम सभा को इस कृषि भूमि से कोई आय नहीं हुई ? यदि हां, तो क्यों और इसमें सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

प्रश्न में उल्लिखित गांव सभाओं में कुल क्षेत्रफल के 8 प्रतिशत से कम भूमि उपलब्ध होने के कारण सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त आरक्षित है ? अतः पट्टे पर नहीं उठाई जा सकती।

तहसील छिबरामऊ, फर्रुखाबाद के ग्रामों में हुए अवैध पट्टों के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

16—श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि तहसील छिबरामऊ, जनपद फर्रुखाबाद के दस ग्रामों में हुए अवैध पट्टों के सम्बन्ध में दिनांक 10 अक्तूबर, 1974 का कोई शिकायती पत्र शासन को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी और सम्बन्धित अधिकारियों को क्या दन्ड दिया गया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां। जांच द्वारा कोई पट्टा अवैध नहीं पाया गया।

दुद्धी वन डिवीजन में हुए प्लान्टेशन पर व्यय

17—श्री शिव सम्पत्ति राम (जिला मिर्जापुर) तथा श्री सूबेदार प्रसाद—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि दुद्धी वन डिवीजन में सन् 1971 से सन् 1974 तक कौन-कौन प्लान्टेशन लगाए गए तथा उन पर क्या व्यय हुआ ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

दुद्धी वन डिवीजन में सन् 1971 से सन् 1973 तक बांस का प्लान्टेशन लगाया गया तथा सन् 1974 में बांस, टीक, सिरिस, प्रोसीपिस, जुलीफ्लोरा, नीम, महुआ, अकेसिआ आरीकुली, फोरामिस का प्लान्टेशन लगाया गया है। इन प्लान्टेशनों पर कुल व्यय 8,33,421.00 रुपया हुआ है।

बांदा के स्टेडियम के निर्माण कार्य में प्रगति

18—श्री देवकुमार यादव (जिला बांदा)—

क्या खेल-कूद मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि बांदा के स्टेडियम में 400 मीटर के ट्रैक निर्माण में क्या प्रगति है तथा स्टेडियम निर्माण का कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा ?

श्री लोकपति—

बांदा स्टेडियम के लिए जितनी भूमि प्राप्त हुई है उसमें 400 मीटर का ट्रैक नहीं बन सकेगा। स्टेडियम निर्माण पूर्ण होना इस बात पर निर्भर है कि स्टेडियम के निकट भूमि स्टेडियम के पक्ष में प्राप्त हो जाय।

प्रदेश के खेल-कूद संगठनों तथा बांदा खेल-कूद संघ को दी गयी धनराशियां

19—श्री देवकुमार यादव—

क्या खेल-कूद मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1972-73, 1973-74 व 1974-75 में प्रदेश के खेल-कूद संगठनों को कितनी धनराशि दी गयी है। क्या सरकार ने जिला खेल-कूद संघ, बांदा को भी धन दिया है ? यदि हां, तो कितना-कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

वर्ष 1972-73, 1973-74 तथा 1974-75 में प्रदेश के खेल-कूद संगठनों को क्रमश: रु0 60,000, रु0 40,000 तथा रु0 40,000 अनुदान दिया गया था। जिला खेल-कूद संघ, बांदा को कोई अनुदान नहीं दिया गया। जिला खेलकूद संघों को अनुदान देने का कोई नियम नहीं है।

गोरखपुर जिले में बेलसड़ से रिगौली बांध पर राहत कार्य में लगाये गये व्यक्ति तथा उनको आबंटित धन एवं राशन

20--श्री लक्ष्मी नारायण पान्डे (जिला गोरखपुर)--

क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में धानी ब्लाक के अन्तर्गत बेलसड़ा से रिगोरी बांध पर राहत कार्य अब बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो अब तक कितने लोग कितने दिनों तक राहत कार्य पर लगाए गए और उन्हें कितना धन और राशन आबंटित किया गया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

इस बांध पर टेस्ट वर्क चल रहा था। इस पर दिनांक 8 मार्च, 1975 तक 29,285 मानव दिवसों का काम हुआ तथा 56,430 रु0 59 पैसा मजदूरी का भुगतान किया गया।

श्री जय प्रकाश नारायण पर घातक हमल के सम्बन्ध में दिये गए प्रस्ताव के बारे में जानकारी

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

मान्यवर, श्री जयप्रकाश नारायण पर परसों कलकत्ता में जो घातक हमला हुआ था उस सिलसिले में मैंने एक प्रस्ताव आपके पास भेजा था, लेकिन मुझे यह मालूम हुआ है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी आज नहीं आ सकेंगे इसलिए आपने उसे कल के लिए मुल्तवी कर दिया है। तो मुझे यह स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--

जो आपका प्रस्ताव था उसे कल के लिए स्वीकार कर लिया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

कलकत्ते में जो घटना हुई है, उस सम्बन्ध में मैंने भी एक दिया है।

श्री अध्यक्ष--

नेता विरोधी दल का मैंने मंजूर कर लिया। बहुतों का आया है, लेकिन जब विरोधी दल के नेता का मैंने मंजूर कर लिया तो सब का नहीं, उन्हीं का माना जाएगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

अब कार्यवाही उस पर हो जाएगी न ?

चौधरी चरण सिंह--

मेरे प्रस्ताव को माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी की तरफ से मान लिया जाय ? (व्यंग्य)।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, मैं इस प्रस्ताव को मानता हूं।

श्री अध्यक्ष---

पद्धति यही है कि एक ही विषय पर बहुत से कई माननीय सदस्य देते हैं। एक ही विषय पर हर दल के लोग नोटिस देते हैं....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, मैं मानता हूं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

मान्यवर, यह प्रस्ताव जो माननीय नेता विरोधी दल ने दिया है इसको पहले सर्कुलेट करा लें।

श्री अध्यक्ष---

वह तो छप जायगा। यह कल के कार्यक्रम में छप जायगा और माननीय सदस्यों को यह प्रस्ताव मिल जायगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

मान्यवर, कुछ संशोधन देने हैं, और आपने 36 घंटे का नियम रखा है। लिहाजा आज सर्कुलेट करा दें।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है।

गोरखपुर में छात्रों द्वारा निकाले गए बिहार-दिवस जलूस पर लाठी चार्ज एवं छात्रों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में वक्तव्य

वित्त मन्त्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)---

दिनांक 14 मार्च, 1975 को गोरखपुर विश्वविद्यालय के कतिपय छात्रों ने अपनी मांगों का एक ज्ञापन कुलपति को दिया व उन्हें चेतावनी भी दी कि यदि दिनांक 16 मार्च, 1975 तक उनकी मांगें स्वीकार नहीं की जातीं तो वे दिनांक 17 मार्च, 1975 से आन्दोलन आरम्भ कर देंगे।

दिनांक 17 मार्च, 1975 को छात्र संघ के पदाधिकारी कुछ अन्य छात्रों के साथ कुलपति से मिले व अपनी मांगों के सम्बन्ध में बातचीत की। बातचीत के दौरान कुछ छात्र उत्तेजित हो गए। बाद में कुछ और छात्र भी कुलपति के कार्यालय में पहुंच गए और वहां का वातावरण उत्तेजनापूर्ण हो गया। दो-तीन छात्रों ने कुलपति को उनकी कुर्सी से हटा दिया तथा उपस्थित छात्रों ने एक छात्र को कुलपति की संज्ञा दे दी, जो कुलपति की कुर्सी पर पदासीन हो गया। इस छात्र ने कई तथाकथित आदेश भी पारित किए। कुछ छात्रों ने कुलपति को टेलीफोन करने से भी रोक दिया। सूचना मिलने पर पुलिस कुलपति के कार्यालय पर पहुंची। क्षेत्राधिकारी नगर ने कुलपति के कमरे से बाहर बात करनी चाही लेकिन उन्होंने यह कह कर टाल दिया कि ये अपने ही बच्चे हैं। नगर मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी नगर व अन्य पुलिस अधिकारी कुलपति के कक्ष में मौजूद रहे ताकि कोई अप्रिय घटना न होने पाए। सायंकाल करीब 4.30 बजे सम्बन्धित छात्र कुलपति के कार्यालय से चले गए। कुलपति द्वारा थाना कैन्ट पर इस घटना की सूचना देने पर पुलिस ने धारा 147/342/332/336/186 भा0 दं0वि0 व 7 क्रिमिनल ला अमेन्डमेन्ट ऐक्ट के अन्तर्गत एक अभियोग दर्ज किया। घटना के बाद कुलपति ने विश्वविद्यालय को दिनांक 18 मार्च, 1975 से 31 मार्च, 1975 तक के लिये बन्द कर दिया।

दिनांक 18 मार्च, 1975 को लगभग 150 छात्र विश्वविद्यालय में एकत्र हुए तथा एक जलूस बनाकर कुलपति के निवास-स्थान की ओर जाने लगे। उस अवसर पर सात छात्रों को जो दिनांक 17 मार्च, 1975 की घटना के सम्बन्ध में नामांकित थे, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शेष छात्र शान्ति पूर्वक तितर-बितर हो गए। पुलिस द्वारा कोई बल प्रयोग नहीं किया गया।

दिनांक 18 मार्च, 1975 को ही सेन्ट एन्ड्रयूज डिग्री कालेज के लगभग 150-200 छात्रों ने विश्वविद्यालय के छात्रों की गिरफ्तारी के विरोध में एक जलूस निकाला। शान्ति व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस फोर्स को कालेज के निकट तैनात किया गया था। छात्रों ने एकाएक पुलिस पर पथराव करना आरम्भ कर दिया जिसके फलस्वरूप 6 पुलिस कर्मचारियों को मामूली चोटें आयीं। जब पथराव तेज होने लगा तो पुलिस ने उपस्थित समुदाय को विसर्जित कराने

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

का प्रयास किया। एक छात्र कालेज के फाटक के निकट गिर पड़ा जिससे उसे मामूली चोट आयी। एक अन्य छात्र को भी मामूली चोट आयी। पुलिस ने इस प्रसंग में भी 7 छात्रों को गिरफ्तार किया। उसी समय कालेज के प्रधानाचार्य तथा अन्य वरिष्ठ शिक्षक कालेज गेट के बाहर मौके पर पहुंच गए एवं छात्रों को समझा बुझाकर कालेज के प्रांगण में ले गए। कालेज के प्रांगण से छात्रों ने कुछ समय तक पथराव किया किन्तु प्रधानाचार्य तथा अन्य अध्यापकों के प्रयास से यह पथराव बन्द हो गया। पुलिस द्वारा छात्रों पर न तो कोई लाठी चार्ज किया गया और न पुलिस सेन्ट एन्ड्रयूज कालेज के प्रांगण में गयी। स्थित पूर्ण तौर पर नियन्त्रण में है तथा दिनांक 18 मार्च, 1975 को गिरफ्तार किए गए सभी छात्र जमानत पर मुक्त हो चुके हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)---

मान्यवर, माननीय मन्त्री त्री ने जो अभी बतलाया कि सूचना मिलने पर पुलिस कुलपति के कार्यालय पर पहुंची, तो मैं जानना चाहता हूं कि यह सूचना किससे मिली? किसी विश्वविद्यालय के अधिकारी, प्राक्टर या कुलपति की ओर से सूचना पहुंची या किसी और सूत्र से सूचना मिली? दूसरे, जो मुकदमा दाखिल हुआ 17 मार्च, तथा 18 मार्च को छात्र गिरफ्तार किए गए। 17 मार्च को 7 छात्र गिरफ्तार हुए तथा 18 मार्च को भी छात्र गिरफ्तार हुए। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में अभी मन्त्री जी ने बतलाया कि 18 मार्च को गिरफ्तार छात्र जमानत पर रिहा कर दिए गए हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि 17 मार्च को जो 7 छात्र गिरफ्तार किये गये थे वह रिहा किए गए या नहीं? तीसरे, शान्ति व्यवस्था को कायम करने के लिए, क्योंकि विश्वविद्यालय पहली अप्रैल से खुलने वाला था। स्थिति वहां पर गम्भीर है। क्या सरकार इस सुझाव पर विचार करेगी कि जो 17 और 18 मार्च को मुकदमें दायर हुए हैं उनको बिना शर्त वापस ले लिया जाय?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

मान्यवर, जो सूचना मुझे प्राप्त हुई है उसके अनुसार पुलिस को इन घटनाओं की सूचना 3 बजे प्राप्त हुई। यह कितनों द्वारा सूचना दी गयी इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो बाद में बता सकते हैं।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है तो जैसा अपने वक्तव्य में कहा कि 17 मार्च को 7 गिरफ्तार हुए और 18 को 7 गिरफ्तार हुए और वह सब जमानत पर रिहा हैं। जहां तक बिना शर्त मुकदमा वापस लेने की बात है अभी जो सूचना मिली है उससे ऐसी कोई स्थिति नहीं बनती कि मुकदमा वापस लिया जाय। यदि शान्ति व्यवस्था बनी रही तो इस पर विचार किया जाएगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

मान्यवर, मन्त्री जी ने कहा कि कुछ विशेष छात्र कुलपति की कुर्सी पर बैठ गये और आदेश पारित करना शुरू कर दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि बैठ गए और आदेश पारित करने लगे तो उनको मान्यता देने में सरकार को क्या कठिनाई है, खासकर 1 अप्रैल, 1975 को कालेज खुलने वाला था।

श्री अध्यक्ष---

आपको कोई आपत्ति तो नहीं है?

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर, मन्त्री जी ने यह कहा कि दिनांक 14 मार्च, 1975 को लड़के गए और उन्होंने मांग-पत्र दिया। मैं जानना चाहता हूं कि उनकी मुख्य मांगें क्या थीं? दूसरे पुलिस जब वहां पहुंची तो कुलपति ने कहा कि अपने ही बच्चे हैं कोई बात नहीं है और शाम को इतनी दफाओं की रिपोर्ट किसने लिखवाई है?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, जो छात्र नेता मांग ले गए थे वह 3 हैं--पहली मांग परीक्षाओं में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाय। (2) एम0 ए0 परीक्षा के कोर्स के साथ एल-एल0 बी0 का कोर्स करने की अनुमति हो। (3) एम0 ए0 की परीक्षा में अभ्यर्थी का साक्षात्कार न लिया जाय। यह तीन मांगें थीं। जहां तक यह सही है जैसा मैंने वक्तव्य में कहा कि जब पुलिस वहां पहुंची तो कुलपति ने कहा कि अपने ही बच्चे हैं ? रात्रि को लगभग 8.10 पर कुलपति जी ने थाना कैन्ट पर रिपोर्ट लिखवाई। उसके आधार पर इतनी ही कार्यवाही की गयी।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)--

अध्यक्ष जी, मामला ऐसा है कि जब पूरे छात्र बिहार आन्दोलन में शहीद हुए लोगों की सहानुभूति में कुछ कहने के लिए एकत्र हुए थे और जैसा कि सदन में परम्परा है कि कोई जब मर जाता है तो उसकी सहानुभूति में बोला जाता है। लेकिन बिहार दिवस के नाम पर छात्र इकट्ठा हुए थे किन्तु उसको इतना तूल दे दिया ग ा कि जो निवास स्थान पर छात्र पढ़ रहे थे, इस घटना को सूचना पाकर कि कुलपति के यहां ऐसा क्यों किया गया, उनको इतनी बुरी तरह से मारा गया है कि उनकी स्थिति गम्भीर है और वे परीक्षा में बैठने लायक नहीं हैं। आपको जो सूचना मिली है उसमें ऐसे कितने छात्र घायल हुए हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

श्रीमन्, जो विवरण हमारे पास उपलब्ध है उससे सदन को अवगत करा दिया है। ऐसी सूचना कोई नहीं है कि लड़कों के घर में जाकर मारा गया है। यदि अलग से सूचना दें तो देख लेंगे।

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)--

मान्यवर, मेरा प्रश्न मन्त्री जी से और व्यवस्था से सम्बन्धित है। मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं और फिर कहता हूं कि जब भी इस तरह की घटना होती है तो माननीय मन्त्री जी जवाब देते हैं वह कहने के लिए तो कलेक्टर के जरिए मांगा हुआ जवाब होता है। लेकिन उसको पढ़कर यह मालूम होता है कि पुलिस जो रिपोर्ट करती है जवाब सिर्फ वही होता है। इससे सारी चीज गड़बड़ हो जाती है। यह एक निर्वाचित प्रतिनिधियों का सदन है। आप, नेता सदन और नेता विरोधी दल मिलकर बैठें और कोई तरीका निकालें। यह नहीं होना चाहिए कि जो स्वयं पार्टी हो वही जो रिपोर्ट भेज दे उसको माना जाय और फिर यहां मन्त्री ही दरोगा बनकर जवाब देने लगते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि यह रिपोर्ट किसके जरिए आयी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जो रिपोर्ट गृह विभाग को जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक से प्राप्त हुई या उनकी जो सामान्य प्रणालियां हैं उनके जरिए यह आयी है।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

मलिक साहब ने जो सवाल उठाया बहुत महत्व का है। यह रिपोर्ट भेजी तो कलेक्टर ने होगी लेकिन तहकीकात उन्हीं अफसरों से करायी है जो उस इन्सीडेन्ट में इन्वाल्व थे। मैं आपकी इजाजत से बतलाना चाहता हूं कि होम डिपार्टमेन्ट से एक हुक्म जारी हो गया था कि जिन अफसरों के खिलाफ शिकायत हो उनसे ही रिपोर्ट न मंगायी जाय बल्कि एक स्टेज छोड़कर उनके ऊपर जो हायर अफसर हो उनसे मंगायी जाय। अगर कलेक्टर ने स्वयं तहकीकात की है तब तो ठीक है, लेकिन उन्होंने की नहीं होगी। अगर जिन अफसरों के खिलाफ शिकायत थी उनसे ही तहकीकात कराकर यह रिपोर्ट आयी है तो यह कोई रिपोर्ट नहीं हुई।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, नेता विरोधी दल को शासन का, विशेष रूप से गृह विभाग का वर्षों का अनुभव रहा है। मैंने जो प्रयास किया है यह कोई प्रश्न उत्तर नहीं है, बल्कि एक वक्तव्य है जो कि नियम 51 के अन्तर्गत दिया गया है। कुछ माननीय सदस्यों ने जो तथ्य उन्हें मालूम थे उनका हवाला दिया।

चौधरी चरण सिंह---

आपने जो स्टेटमेन्ट दिया वह सही है लेकिन जिस आधार पर आप कह रहे हैं वह कलेक्टर ने भेजा होगा ? यह मालूम करने की जरूरत है कि उन्होंने स्वयं मालूम करके यह स्टेटमेन्ट भेजा या उन्हीं लोगों से तहकीकात कराकर भेजा जिनके खिलाफ शिकायतें थीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

श्रीमन्, जहां तक मैं इस वक्तव्य को देख पाया इसमें किसी विशेष अधिकारी के लिए कोई आक्षेप नहीं है। एक सामान्य बात कही गयी कि छात्र असंतुष्ट हैं। इसमें यह आक्षेप है कि जब छात्र जुलूस बनाकर जा रहे थे तो पुलिस ने उनको पीटा। किसी विशेष अधिकारी के विरुद्ध कोई बात नहीं है। इसलिए किसी के विरुद्ध जानकारी प्राप्त करने की मैंने चेष्टा नहीं की। अगर माननीय सदस्य कोई विशेष चीज जानना चाहें तो उसके लिए प्रश्न कर सकते हैं या वक्तव्य के लिए कोई अन्य तिथि निश्चित हो सकती है।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें दो बातें कह देना चाहता हूं। एक तो यह कि जब यह घटना हुई और लड़कों ने अपना मांग-पत्र दिया तो उपकुलपति ने विद्यार्थियों को बातचीत करने के लिए बुलाया। इसमें और पुलिस में जो रिपोर्ट की उसमें आठ-नौ घंटे का अन्तर है। पुलिस में शाम को रिपोर्ट हुई। वाइस चांसलर ने पुलिस को नहीं बुलाया था। लेकिन जब पुलिस को यह पता चला कि विद्यार्थी वाइस चांसलर के यहां एकत्रित हैं तो वह उनको सबक सिखाना चाहती थी। वाइस चांसलर ने पुलिस को रोका और कहा कि यह बच्चे हमारे हैं। आप दखल न दीजिए। लेकिन पुलिस ने लड़कों से मारपीट की और उसके बाद वाइस चांसलर से जबरदस्ती शाम को रिपोर्ट दर्ज करवायी। ताकि इन विद्यार्थी---नेताओं को गिरफ्तार किया जा सके। एक तो यह घटना हुई। दूसरी घटना यह है कि दूसरे दिन जब वही विद्यार्थी नेता जिन्होंने अपने आपको कुलपति घोषित किया था और कुछ आदेश निकाले थे, वह पुन: कुलपति के पास उन्हीं मांगों को लेकर जिनका जिक्र किया गया, वह जा रहे थे और उनका शान्तिपूर्ण जुलूस था, पुलिस ने स्वयं रोककर जबरदती 7 छात्र-नेताओं को गिरफ्तार किया। सेंट एन्ड्रयूज कालेज और कुलपति के बंगले के बीच में केवल एक फर्लांग का अन्तर है। वहां पर पुलिस ने सभी छात्रों को रोका और उनकी पिटाई की और पिटाई यहां तक की कि वह छात्र दूसरे कालेज के प्रांगण में घुस गए तो वहां के विद्यार्थियों को पीटा और जब वहां के प्रिन्सिपल और दूसरे लोगों ने दखल किया, तब पुलिस बाहर आई। उसी समय जब कि छात्र दूसरे कालेज में घुसना चाहते थे तो एक गुप्ता नामक छात्र गिर पड़ा और पुलिस ने उस गिरे हुए छात्र की बुरी तरह से पिटाई की और उसको भी उन 7 छात्र-नेताओं के साथ बन्द कर दिया। तो प्रश्न यह है कि जब छात्र-नेता दूसरे दिन कुलपति के पास उन्हीं मांगों को लेकर जाना चाहते थे तो पुलिस ने अकारण क्यों रोका और बगैर कुलपति से इत्तला प्राप्त हुए, पुलिस वहां क्यों पहुंची 18 तारीख को ? क्या माननीय मन्त्री जी के पास इसका उत्तर है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

विद्वान सदस्य ने जिस घटना का विवरण दिया है, वह कुछ माइनों में सही है और उन्होंने प्रासंगिक बात कही और इस माइनों में सही है कि जहां तक उन्होंने छात्रों के बारे में बताया। लेकिन वैसे मैं उनसे एक ही आग्रह करना चाहूंगा कि यह बड़ा कठिन प्रश्न है क्योंकि मैं कोई ऐसी बात इस सम्मानित सदन में और माननीय सदस्यों से नहीं कहना चाहता जिससे स्थिति जो नियन्त्रित और संतुलित हुई है वह इस सदन में कही गयी बात और टिप्पणी को ध्यान में रखकर स्थिति बिगड़ जाय। इसलिये मैं सावधानी से कुछ बात कहना चाहता हूं। विद्वान सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि जिस प्रकार छात्रों ने कुलपति को कुर्सी से हटाकर और स्वयं को कुलपति घोषित किया और तथाकथित आदेश पारित करने लगे, वह ठीक नहीं था। मुझे विश्वास है कि सम्मानित सदस्य उनके इस कृत्य से सहमत नहीं होंगे। अब, यह बात सही है कि जो एफ0 आई0 आर0 लाज़ कराई गई वह देर से कराई गई क्योंकि साढ़े 4 और 5 बजे तक

तो यही कार्य चलता रहा और कुलपति को एक किनारे बैठा दिया और छात्र-नेता कुलपति के रूप में कार्य करते रहे। उन्होंने चिटकनी को भीतर से बन्द कर दिया। जो रिपोर्ट कुलपति ने लिखाई है, मेरे लिए यह कहना किसी भी प्रकार से उचित नहीं होगा मैं यह बात मान लूं या सदन मान ले कि कुलपति ने किसी दबाव में आकर कोई एफ० आई० आर० लिखवाई है और उसी के अनुसार दूसरे दिन कार्यवाही की गई। लेकिन जहां तक दूसरे दिन का प्रश्न है, यह पहले ही ऐलान हो गया था कि दूसरे दिन छात्र कुलपति बनेंगे और उनके निवास-स्थान को खाली करायेंगे और आदेश पारित करेंगे। उस कार्य को पूरा करने के लिए दूसरे दिन जुलूस निकाल कर कुलपति के कार्यालय की ओर जा रहे थे। जो पहले घोषणा उन्होंने की थी उनकी मंशा उनको पूरा करने की थी, और इसलिए यह कार्यवाही पुलिस को करनी पड़ी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ....

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़) --

यह बात तो साफ हो गई कि लड़कों को पीटा गया पहले और जब लड़कों को चोट लग गई तो बाद में वी० सी० से रिपोर्ट कराई गई। लेकिन लाठी से मारने की बात नहीं कही गई और कहा गया है कि फाटक पर गिर गए। तो मान्यवर, जो लड़के फाटक पर गिर गए और उन्हें चोट लगी है और वह लड़के गिरफ्तार हैं तो क्या उन लोगों का डाक्टरी मुआयना हुआ और अगर मुआयना हुआ तो किस चीज की चोट है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य से यह निवेदन करूं कि जहां तक पहले दिन का प्रश्न है 17 मार्च को किसी को किसी किस्म की चोट नहीं आयी और कोई गिरफ्तारी भी उस दिन नहीं हुई। दोनों ही यह बातें 18 मार्च को हुईं। उस दिन यानी 18 मार्च को श्री विनय कुमार को, जैसा सम्मानित सदस्य मधुकर दिघे जी ने कहा है चोटें आईं और इन चोटों का सरकारी अस्पताल गोरखपुर में डाक्टर एम० पी० श्रीवास्तव ने इलाज किया। इसकी इन्जरी रिपोर्ट भी मौजूद है।

जहां तक दूसरे छात्र का प्रश्न है उसने अपनी डाक्टरी परीक्षा कराने से इन्कार कर दिया जैसी कि मेरी सूचना है। पहले भी डाक्टरी परीक्षा हुई उसकी इन्जरी रिपोर्ट हमारे पास है।

(व्यवधान) (कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

श्री गिरिजा शंकर पाठक (जिला वाराणसी)---

श्रीमन्, जैसा कि उत्तर में दिया गया है कि वाइस चान्सलर को कुर्सी से हटाकर कब्जा किया गया। लेकिन वास्तविकता यह है कि जब छात्र वहां अपना ज्ञापन-पत्र देने के लिए गये तब उप कुलपति वहां से स्वयं हट गए और उपकुलपति के हटते ही और उस कुर्सी के खाली होने पर छात्रों ने कब्जा किया है। तो क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब माननीय मन्त्री अपनी कुर्सी पर नहीं बैठते हैं और कोई माननीय सदस्य वहां बैठ जाता है तो उस पर वह क्या धारा लगायेंगे क्योंकि उन छात्रों पर इस के लिए चार-चार किस्म की धारायें लगायी गयी हैं।

श्री अध्यक्ष---

अब यह आप सोचिए, वह क्या बतायेंगे कि कौन धारा लगेगी।

(व्यवधान)

जितने नाम थे सूचना में मैं सबको ही जो खड़े हुए उनको अवसर दे चुका हूं।

श्री राम अधार---

मेरा एक आरोप है कि माननीय मन्त्री जी और उनसे सम्बन्धित अधिकारीगण पूरी रिपोर्ट जो भेजते हैं .....

श्री अध्यक्ष—

आप आरोप लगा रहे हैं, प्रश्न नहीं कर रहे हैं, श्री ओझा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, गोरखपुर जिले में पुलिस और लड़कों की जो लड़ाई है वह शाश्वत रूप से चल रही है। पुलिस आक्रोशवश, बराबर रागद्वेष से प्रेरित हो कर कार्यवाहियां कर रही है, यह मेरी निश्चित सूचना है। 17 मार्च को.....

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न कीजिए। प्रश्न न करना हो तो मैं समाप्त करता हूं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

पूरी घटना के परिप्रेक्ष्य में ही तो प्रश्न करना है।

श्री अध्यक्ष—

नहीं आप प्रश्न सीधे कीजिए।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

अच्छा मैं प्रश्न कर रहा हूं। 17 मार्च को वाइस चांसलर ने कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई और 18 मार्च को जब छात्र अपनी मांगों को ले कर गए तब उन पर बेतहाशा लाठी चार्ज हुआ।.....

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न नहीं करते हैं तो मैं आगे बढ़ता हूं। अच्छा, श्री पुरुषोत्तम कौशिक एक प्रश्न कर लें।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि गोरखपुर में पुलिस का आतंक अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। क्या सरकार को जानकारी है कि वहां पर विद्यार्थियों और अभिभावकों को भी पीटा गया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं, अगर माननीय सदस्य कोई विवरण भेजेंगे तो मैं उसकी जानकारी करा लूंगा।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

(व्यवधान के मध्य) आज नियम 56 के अन्तर्गत 9 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इसमें एक तो माननीय चौधरी साहब, नेता विरोधी दल ने जो प्रस्ताव माननीय जय प्रकाश नारायण जी पर हमले के सम्बन्ध में दिया है ? वह तो प्रस्ताव है, वह कल आएगा, इसलिए यह स्वीकार नहीं किया गया है।

दूसरा सुजाता कांड पर चर्चा के लिए जो नियम 51 के अन्तर्गत आया है उसको हम स्वीकार करेंगे। शेष अल्पसूचित प्रश्न के विषय हैं।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने तथा बोलने पर।)

मैं एक ले चुका हूं और बाकी अस्वीकार हैं।

श्री बाबू सिंह यादव (जिला अलीगढ़)—

मामला काफी गम्भीर है। भूख हड़ताल हो रही है ...

श्री अध्यक्ष—

आज स्वीकार नहीं किया है। 51 में कल दे दीजिएगा।

श्री अध्यक्ष द्वारा 1 अप्रैल, 1975 को श्री मोती लाल देहलवी के प्रति प्रयोग किए गए शब्दों को वापस लेने की अपील

(श्री शिव प्रसाद सिंह का नाम पुकारने पर)

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

आज के अनुदान पेश करने के पहले मैं कुछ अर्ज करना चाहता था। मैं जीरो आवर का इन्तजार कर रहा था कि आपने मन्त्री महोदय का नाम बुला लिया।

श्री अध्यक्ष--

शून्य प्रहर में स्वीकार नहीं करता हूं। शून्य प्रहर में जितनी बात माननीय सदस्य कहना चाहते हैं उसकी इजाजत मैं स्वयं दे देता हूं। 56 के अन्तर्गत आपने एक प्रस्ताव उठाया था और दूसरा सुजाता कांड से सम्बन्धित है दोनों को मैंने ले लिया है? आपका कल आएगा और एक पर पूरी चर्चा हो जाएगी। इस प्रकार यह मामला खत्म हो गया था।

चौधरी चरण सिंह--

मेरा ऐसा मामला नहीं है। मैं जिस बात को उठाना चाहता हूं उससे मुझे कोई खुशी नहीं है। वह कोई बहस का प्रश्न नहीं है इससे आप स्वयं सहमत हो जायेंगे। 31 मार्च को माननीय वन मन्त्री के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न आया था वहां विचार के लिए यह मोतीलाल देहलवी जी की तरफ से आया था जो भारतीय लोक दल के सदस्य हैं। माननीय नेता सदन ने कहा कि वन मन्त्री बाहर चले गए हैं, उनका होना जरूरी है इसलिए कल इसको ले लिया जाय यानी पहली अप्रैल, को। पहली अप्रैल को किस की गलती से वह मामला आया नहीं। आपने जिक्र किया नहीं। जब उन्होंने उठाना चाहा मोतीलाल जी ने तो जैसा प्रोसीडिंग्स में है उसे मैं सुना रहा हूं :--

"श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)--

[* * * *]

श्री अध्यक्ष--

माननीय मोतीलाल देहलवी को नहीं लिखा जायगा। यह बिना इजाजत खड़े हुए हैं।

श्री मोती लाल देहलवी--

[* * * *]

श्री अध्यक्ष--

माननीय मोतीलाल देहलवी को नहीं लिखा जायगा।

(श्री मोहनलाल कपूर के प्रश्न की सूचना के बीच अध्यक्ष ने फिर कहा माननीय मोती लाल जी आप अव्यवस्थित हैं, आपका सवाल भेज दिया गया है।)

श्री मोती लाल देहलवी--

[* * * *]"

मान्यवर, कहां भेज दिया है यह मैं भी नहीं समझा।

श्री अध्यक्ष--

दो प्रतियां आती हैं तो एक मैं मन्त्री को भेज देता हूं।

चौधरी चरण सिंह---

यह तय हुआ था 31 मार्च को कि यह पहली तारीख को आएगा। मोतीलाल जी ने जानना चाहा था।

श्री अध्यक्ष---

वन मन्त्री उस दिन भी नहीं थे। जब आ जाते तो लिया जाता, लेकिन वह नहीं मानते थे।

चौधरी चरण सिंह---

मान्यवर, यह जो बात मैं कह रहा हूं यह कल या परसों आने वाली बात नहीं है यह और ही बात है। फिर आगे आप कहते हैं ---

"श्री अध्यक्ष---

आप इस तरह से करेंगे तो हमेशा के लिए आपका सवाल खारिज कर देंगे। आप बैठें---[* * *] आप खड़े हैं। आप बैठें, आप बैठ जाइए---बैठिये आप। (व्यवधान) मैं समझता हूं कि यह हंसने की बात नहीं है।

'श्री मोतीलाल देहलवी---

मैं बैठ जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष---

आप एकदम बैठिए। एकदम बैठ जाइये। आपका नहीं लिखा जाएगा। अब आपको बैठने का आखिरी आदेश देता हूं। अगर नहीं बैठे तो आप ही का दोष होगा। [* * *] आप बैठिए।" 'मोती लाल देहलवी जी फिर कहते हैं' आप सूचना तो कम से कम दे दीजिए।

'श्री अध्यक्ष---

माननीय मोतीलाल देहलवी नहीं बैठते हैं तो ऐसे लोगों को बैठाल देना चाहिए। आप सब को मदद करनी चाहिए मेरी"

तो अध्यक्ष महोदय, मैं उनकी मारफत बात कर रहा हूं। मैं बहस की ख्वाहिश नहीं करता हूं। लेकिन मोतीलाल जी जब आग्रह कर रहे थे किसी कारण से हो, कारण कुछ भी रहा हो पब्लिक इन्टरेस्ट में था। आपकी बात वह नहीं समझा पाए। लेकिन यह सब गैर मुतलिक है मुझको दुख है कि आपकी जबान से ऐसे शब्द अदा हो गए जो किसी अध्यक्ष की जबान से नहीं होने चाहिए। मैं समझता हूं कि आप विचार करेंगे ठंडे दिल से तो आप भी समझेंगे कि इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह बातें न अब और न आगे इस माननीय सदन में आए। आपकी भी एक प्रतिष्ठा है अगर इस तरह की भावना यह इस्तेमाल न हो तो अच्छा है। यह सब हम में किसी को शोभा नहीं देता है। मुझ को तकलीफ है जैसा मैंने कहा आपको भी तकलीफ होगी। तो यह एक सेंन्टीमैन्ट का सवाल है मैं समझता हूं कि आप इसको एमेंड करें।

श्री अध्यक्ष---

सवाल ठीक है, जो बात माननीय देहलवी जी ने कही है इस प्रसंग में अब मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन दूसरी तरफ उस प्रश्न पर गौर करें। उस प्रश्न के सिलसिले में कार्य-वाही के पहले ही आप आक्षेप लगायें और वह ऐसे हों जो किसी संसदीय इतिहास में आज तक नहीं हुए हों और जो बातें कही गईं मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। माननीय मोतीलाल देहलवी जी ने उस प्रश्न को जिस तरह से उठाया वह नहीं होना चाहिए। प्रश्न उठाने का उनको

[***] 1 अप्रैल, 1975 के श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

हक है, लेकिन जिस तरह से उठाया वह ठीक नहीं था। और जो वाक्य उन्होंने प्रकट किए, मझ को कहना पड़ रहा है बहुत पीड़ा है। तो जब वह बात शुरू हुई उन्होंने जिन दो वाक्यों को कहा वह किसी भी पार्लियामेंट और एसेम्बली में कभी भी मुझे स्मरण नहीं है कि कहा गया होगा। तो जब वह ऐसा कहते हों तो मेरे मुंह से भी कुछ निकल जाय, सम्भव है क्योंकि मोतीलाल जी देहलवी ने जो सवाल उठाया था हमने उनका पूरा-पूरा सवाल स्वीकार किया, सलाह भी दी कि आप इस तरह से दीजिए उसको मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन जिस तरह से आक्षेप और आरोप वह लगाते हैं आप समझ सकते हैं मोतीलाल देहलवी साहब जो वे लेते हैं अगर मैं उन सब को आपके पास भेज दूं, आप अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। लेकिन मुझे खेद है कि मुझे यह कहना पड़ा कार्यवाही मेरे पास आती है मैं उसमें यह भी काट दूंगा और वह भी काट दूंगा।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

अगर उनका वाला भी काट दिया और आप वाला भी काटा जाय तो मामला खत्म हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष--

मैं तो कार्यवाही देखता हूं। जो असंसदीय शब्द होंगे जब कार्यवाही आएगी तो उसको मैं निकाल दूंगा।

चौधरी चरण सिंह--

मैंने देहलवी जी से पूछा था वह यह कहते हैं जिन शब्दों के सम्बन्ध में आपको शिकायत है, मैंने कोई ऐसे शब्द नहीं कहे हैं और कहें तो मैं उस पर इस्तीफा देने को तैयार हूं।

श्री मोती लाल देहलवी--

कोई शब्द निकल आए तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष--

यह जो चर्चा नेता विरोधी दल ने उठाई है और अब जिन शब्दों की बात है, वह मेरे कमरे में आकर देख लें। मैं शब्द वापस लेता हूं।

चौधरी चरण सिंह--

अब यह बात यहीं खत्म हो गई। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि यदि हम में से कोई गलत कार्य करता है तो नियम के अनुसार कार्यवाही आप उसके खिलाफ अवश्य करें---सदन से निकाल दें, सेशन से निकाल दें। मैं समझता हूं सदन तभी चलेगा। बजाए इसके कि आप यह बरदाइत करें या किसी प्रकार के शब्द आपके मुख से निकलें।

श्री अध्यक्ष--

आप जो कह रहे हैं, नेता विरोधी दल की बात अक्षरशः पालन करने में मुझे कठिनाई हो रही है। एक मर्तबा मैंने कहा कि आपका कल लेंगे, हम आगे चलें और उसके बाद.....

चौधरी चरण सिंह--

नहीं, आप उसका अक्षरशः पालन करें सबके साथ एक सा पालन करें। यह भी हो सकता है कि इससे कुछ लोगों को शिकायत हो, लेकिन सदन सुव्यवस्थित ढंग से चलेगा। रूल्स नियम इसीलिए बने हुए हैं, उनके अनुसार सदन चले और यदि उसमें बाधा आती है तो यह आपकी मजबूरी होगी। सदन चलाने के लिए इससे बढ़कर कोई रास्ता नहीं है। कोई अनपार्लियामेन्टरी लैंग्वेज यूज करे या ऐसी भाषा का इस्तेमाल करे, जिससे आपकी प्रतिष्ठा को धक्का लगे, तो आप नियम के अनुसार कार्यवाही करें, इसमें मैं हमेशा आपका समर्थन करूंगा। उन्होंने यदि ऐसा कहा था तो अच्छा था कि उनको निकाल दिया जाय, लेकिन आपके मुंह से कुछ बात निकले यह ठीक नहीं है। मुझे खुशी है कि आपने वापस ले लिया।

(व्यवधान)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें (क्रमागत)

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)---

आपने सुजाता-कांड को वरीयता दे दी और उसको स्वीकार भी कर लिया, किन्तु बाराबंकी में जो हालत है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसे आपने कोई महत्व नहीं दिया।

(शोर)

1975-76 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 24--सार्वजनिक निर्माण कार्य, अनुदान संख्या 34--आवास भवन, अनुदान संख्या 60--संचार साधन, अनुदान संख्या 61--कार्यात्मक भवन, अनुदान संख्या 62--सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान, अनुदान संख्या 67--सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 68--कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 70--आवास भवनों पर पंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 83--संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय

(शोर और व्यवधान के मध्य)

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री शिव प्रसाद सिंह)---

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 24--सार्वजनिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 26,53,400 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 34---आवास भवन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 28,90,900 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 60--संचार साधन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,87,71,800 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)---

वहां पूर्ण हड़ताल हो रही है जुलूस निकलता था, वह निकलने नहीं दिया गया। लोगों में व्यापक असन्तोष है। (व्यवधान)

श्री शिव प्रसाद सिंह---

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 61--कार्यात्मक भवन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 46,74,400 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 62--सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,42,22,300 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 67--सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए

लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,36,12,900 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 68—कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,37,56,300 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 70—आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,26,21,300 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 83—संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 17,66,36,300 रुपए से अनधिक धनाराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण विभाग के विषय में और परिचय के सिलसिले में कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। इस विभाग का सीधा सम्बन्ध जनता से और आप महानुभावों से है। आप भली भांति जानते हैं, कि सार्वजनिक निर्माण विभाग क्या काम करता है और क्या-क्या इसकी जिम्मेदारियां हैं। फिर भी बहुत ही संक्षेप में मैं दो-चार बातें आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा। सबसे पहला कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग का प्रदेशीय मार्गों का निर्माण करना है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश विभागों, सिंचाई विभाग, वन विभाग और लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट के विभागों को छोड़ करके जितने भी भवन हैं उनका निर्माण भी सार्वजनिक निर्माण विभाग ही करता है। इसके अलावा सार्वजनिक निर्माण विभाग सेतु निर्माण भी करता है। सड़कों के बीच में जो पुल पड़ते हैं और जो बहुत बड़े-बड़े पुल पड़ते हैं उनका निर्माण करता है, सबसे मुख्य चीज राष्ट्रीय मार्गों का निर्माण है। राष्ट्रीय मार्गों के निर्माण करने की उनके रख-रखाव और सुधार की जिम्मेदारी सार्वजनिक निर्माण विभाग की ही है। यह सही है कि उसका खर्चा भारत सरकार वहन करती है।

जैसा आप महानुभावों को विदित है 1974 में धनाभाव के कारण, 1972 और 1973 में अधिक काम का विस्तार होने की वजह से इस विभाग में स्किल्ड और अनस्किल्ड इन्जीनियर्स, जूनियर इन्जीनियर्स, ओवरसियर्स, वर्क चार्ज में बहुत बड़ी बढ़ोत्तरी हुई और बहुत से लोग काम में लगाये गए। यह प्रश्न सरकार के सामने उपस्थित हुआ कि इस बढ़ी हुई क्षमता को जो 1972-73, 1973-74 में हुई इसका किस प्रकार सदुपयोग किया जाय। एक प्रश्न सरकार के सामने यह था कि विभाग में बढ़ी हुई क्षमता का उपयोग और उसके साथ दूसरा प्रश्न था कि आज जो ठेकेदारी प्रथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत चालू हो गयी है, वह भी एक गलत और नामुनासिब चीज है, इस समाजवादी व्यवस्था में क्यों ठेकेदार फायदा उठाता है, मनचाहे आदमियों को काम में रखता है और अधिक गुंजायश है भ्रष्टाचार की इस ठेकेदारी प्रथा को भी समाप्त करने का प्रश्न भी अरसे से विचाराधीन था। सरकार ने

[श्री शिव प्रसाद सिंह]

दोनों प्रश्नों को हल करने के लिए, एक तो विभाग में बढ़ी हुई क्षमता और दूसरी तरफ ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए यह तय किया कि विभाग की तरफ से ही सारा काम किया जाय। ऐसा करने से बहुत से इन्जीनियर, जूनियर इन्जीनियर, ओवरसियर, लेबर जो बेकार हो जाने, उनको सरकार ने कार्य में लगा दिया और विभाग अपने द्वारा कार्य करने लगा। अब विभाग ने साल भर में जो स्वयं निर्माण कार्य किया और जो उसे अनुभव हुआ उससे वह इस नतीजे पर पहुंचा कि विभाग हमेशा के लिए तय कर ले कि निर्माण का कार्य जो कुछ भी होगा वह विभागीय तौर पर ही कराया जाय, तो धीरे-धीरे ठेकेदारी प्रथा समाप्त हो जायगी और हमारे बहुत से लोग जिनकी हजारों की तादाद है वह भी काम पर बने रह जायेंगे और यह प्रश्न कि उनकी छटनी की जाय इस से भी बचत हो जायगी। पर्वतीय क्षेत्र ही एक ऐसी जगह रह गयी है जहां पर अभी ठेकेदारी प्रथा चल रही है। इसमें कुछ दिक्कतें हैं, कुछ मजबूरियां हैं और वह यह हैं कि एक तो वहां सामान पहुंचाने तथा उसकी देख-रेख में बड़ी कठिनाई होती है और खर्चे के भी बढ़ जाने की बहुत सम्भावना है। इसलिए पर्वतीय क्षेत्र में अभी छूट है।

जैसा कि मैंने शुरू में ही निवेदन किया कि इस विभाग का पहला काम सड़कों का निर्माण है। मैं आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि 1947 के पहले लगभग 14,926 किलोमीटर सड़कें थीं और मार्च, 1974 में 35,500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो चुका है। 1974-75 में आयोजनान्तर्गत 11 करोड़ का प्लान आउट-ले था और उसमें से 425 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया और 225 किलोमीटर सड़कों का पुनर्निर्माण हुआ। इसके साथ ही साथ 11 पुल बनाए गए। 1974-75 में नान प्लान आउट-ले में 6 करोड़ 39 लाख का प्राविधान था जिसमें से 325 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण हुआ और 36 किलोमीटर सड़कों का पुनर्निर्माण हुआ तथा 3 पुल बने।

श्रीमन्, अब 1975-76 की जो रूपरेखा है वह मैं रखना चाहता हूं। इस वर्ष प्लान आउट-ले 9 करोड़, 50 लाख है। हमारा लक्ष्य है कि इससे हमारी 290 किलोमीटर नई सड़कें बनेंगी। यह वह है कि दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवीं पंच-वर्षीय योजनाओं में जिसको स्टिल ओवर कहते हैं यानी कुछ ऐसे काम हैं जो पहले से चल रहे थे लेकिन अधूरे हैं और कुछ ऐसे काम जिनकी सैंक्शन मौजूद है लेकिन पूरे नहीं हुए हैं। ऐसे कार्यों में हमें यह आशा है कि इन रुपयों से 290 किलोमीटर नई सड़कें बनायेंगे, 187 किलोमीटर सड़कों का पुनर्निर्माण कार्य होगा और 11 पुल की भी योजना है।

नान प्लान आउट-ले में 6 करोड़ रुपए का प्राविधान है। हमारा लक्ष्य है कि इसमें से 344 किलोमीटर सड़कें बनायेंगे और 61 किलोमीटर सड़कों का पुनर्निर्माण करेंगे और दो पुलों का निर्माण होगा। जैसा कि माननीय सदन को विदित है कि जब से प्लान का कार्य शुरू हुआ तो इसके बनाने वाले और प्रदेशीय सरकार के सामने जब भी विचार विमर्श किया गया तो हमेशा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के ऊपर जोर दिया गया। इसका सीधा सम्बन्ध गांवों से और ग्रामीण जनता से है।

इस पंच-वर्षीय योजना में हमारा टोटल आउट-ले 117 करोड़ का है, इसमें से 85 करोड़ रुपया इस न्यूनतम आवश्यकता कार्य क्रम को पूरा करने के लिए रखा है। इसी वजह से इतना रुपया रखा गया है ताकि ग्रामीण जनता की सेवा हो सके। उनके रहन-सहन में सुधार और तब्दीली लाई जा सके। इस प्रोग्राम के अन्तर्गत हमारा लक्ष्य था कि कम से कम वह गांव जिनकी आबादी 1500 है उनको पक्की सड़क से मिला दिया जाय।

बुन्देलखण्ड की स्थिति कुछ भिन्न है। वहां पर 1200 की आबादी रखी थी। जो 1200 की आबादी के गांव हों उनको पक्की सड़क से मिला दिया जाय। उसी तरीके से पहाड़ के लिए था 1200 से 1500 तक या 500 के जो गांव हों या जिनका 500 की आबादी का कोई गांव न हो, तो 5, 6, 7 गांव मिला कर जिनकी आबादी 500 की हो जाय, उनको पक्की रोड से मिलाया जा सके जिससे कि वे अपनी व्यवस्था भलीभांति से कर सकें। इस

वर्ष जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा बहुत ही सीमित साधन था, उन सीमित साधनों के बावजूद हमने 5 लाख रुपए सर्वे पर रखा। यह कार्य हमारा 11 लाख 4 हजार रुपए का है। यह कुल सर्वे के लिए रखा है। सर्वे का कार्य हो जाने से जिस किसी समय धन उपलब्ध होगा, तो हमारा आगे का कार्य प्रारम्भ हो जायगा। आयोजनेतर, नान-प्लान में इसी सिलसिले में हमने 2,508 किलोमीटर सड़कों के आधुनीकरण एवं पुनर्निर्माण का प्राविधान रखा। इसमें 5 करोड़ रुपए अनुमानित लागत आएगी।

मान्यवर, सभी आदरणीय सदस्य इस बात से भलीभांति अवगत हैं कि भारत सरकार ने 1972-73 में, 1973-74 में और 1974 में पूरे वर्ष तो नहीं लेकिन जुलाई, अगस्त तक उनकी जो पहले से बहुत सी योजनायें चली आ रही थीं, बेरोजगार अभियन्ताओं को, जूनियर इंजीनियरों को, डिप्लोमा होल्डर्स को काम में लगाने की उसमें पिछले वर्ष 1974 में हमारे पास भारत सरकार के ऐसे आदेश आए कि इन कार्यों को रोक दिया जाय। इसके बाद भी सरकार ने अपने संसाधनों को देखते हुए जो भी सम्भव हुआ ग्रामीण क्षेत्रों में मार्गों के निर्माण कार्य को चालू रखा। इसी सम्बन्ध में हाफ मिलियन जाब्स देने के लिए भारत सरकार का यह विचार था कि एक ऐसी स्कीम निकाली जाय जिसमें कम से कम 5 लाख लोगों को काम मिल सके। उस स्कीम के अन्तर्गत श्रीमन्, 400 इंजीनियर्स जो डिग्री डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनकी ट्रेनिंग हुई और मैकेनिकल आपरेटर्स और क्लर्कों का प्रशिक्षण हुआ। इसके पहले जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं सड़कों, पुलों के निर्माण के अलावा एक बहुत बड़ा कार्य जिसको कि सार्वजनिक निर्माण सम्पादित करता है वह भवनों का है, जिसमें सिंचाई विभाग के, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, और वन विभाग के भवन शामिल नहीं रहते हैं, इन भवनों के निर्माण के सिलसिले में 1974-75 में 10 करोड़ 75 लाख रुपए का प्राविधान था। यह कार्य चल ही रहा था लेकिन गत वर्ष कुछ ऐसी स्थिति हुई कि सरकार के आदेश ऐसे हुए कि उनमें कटौती की जाय और कुछ मितव्ययता की जाय, इसलिए 10 करोड़, 75 लाख के मुकाबिले हम केवल 9 करोड़ के लगभग खर्च कर पाए। 1975-76 में आयोजनागत प्राविधान 6 करोड़, 75 लाख रुपए का है और आयोजनेतर प्राविधान जो है नान-प्लान में, कुल प्राविधान 75 करोड़, 50 लाख रुपए का है।

अब भवन निर्माण के सम्बन्ध में मैं कुछ विशेष बातें आपके सामने आपकी इजाजत से रखना चाहता हूं। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि आदरणीय सदस्यों को यह ज्ञात ही है कि अशोक मार्ग, लखनऊ में एक बहुत बड़ा भवन जिसको कि बहुखन्डी भवन कहते हैं, वह 247 लाख की लागत से बनाया जा रहा है इसकी आवश्यकता इस वजह से पड़ी कि लखनऊ राजधानी है और यहां पर विभिन्न जिलों से लोग आते हैं और जो आफिसेज हैं वह एक जगह पर न होकर सारे शहर में फैले हुए हैं, जिससे लोगों को आने जाने में खर्चा अधिक पड़ता है और उनको खोजने में दिक्कत अधिक पड़ती है। इसलिए इस बहुखन्डी भवन का निर्माण कराया जा रहा है और खास-खास दफ्तर एक ही जगह पर हो जायेंगे। इसमें काम काफी प्रगति पर है, लेकिन पिछले वर्ष इस के लिये 4 लाख 90 हजार ही रखा गया था। जब यह महसूस हुआ कि हमें सालाना लगभग 5 लाख रुपया उन आफिसेज पर जो बाहर फैले हुए हैं, के किराए पर खर्च होता है, इसलिए 61 लाख रुपया इस भवन के निर्माण के सम्बन्ध में और मन्जूर किया गया है और हम यह आशा करते हैं कि इस 3 मंजिले भवन का निर्माण एक या डेढ़ महीने के अन्दर हो जाएगा और तमाम अफिसेज जो बाहर फैले हुए हैं इसी भवन में आ जायेंगे।

[श्री शिवप्रसाद सिंह]

इसके अलावा आप जानते हैं कि लेबर कालोनी, औद्योगिक आवास, खाद्य गोदाम परिवार नियोजन केन्द्र और उप-केन्द्रों का भी निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग करता है। मेरठ, झांसी में जो मेडिकल कालेज बन रहे हैं, उनका जिक्र मैंने कर दिया है और जो तैयार हो चुके हैं और उनमें शिक्षा का कार्य चल रहा है। भवन निर्माण के सम्बन्ध में पुलिस विभाग के भवनों का कार्य चल रहा है। भवन निर्माण के सम्बन्ध में पुलिस विभाग के भवनों का बड़ा महत्व है। 2 करोड़ की लागत का पुलिस विभाग का कार्य था और 1 करोड़ 94 लाख रुपए का कार्य पूरा किया गया है।

(इस समय 12 बजकर 59 मिनट पर उपाध्यक्ष कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा पीठासीन हुए।)

मैं एक निवेदन और कर देना चाहता हूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इस इम्पलाइज स्टेट इन्श्योरेन्स निगम का लगभग 6 करोड़ का काम प्राप्त कर लिया है। इस में हमारे कई हजार मजदूर काम में लग जाएंगे अन्यथा वे बेकार रहते। मैंने प्रारम्भ में उत्तर प्रदेश सेतु निगम का जिक्र किया था। आप सभी माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि मार्च, 1973 से राज्य सेतु निगम कार्य कर रहा है। इस बीच में राज्य सेतु निगम ने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। इस निगम को 180 सेतुओं का 47 करोड़ की लागत से जो करीब-करीब हमारे बजट के बराबर है का काम किया है। 49 सेतुओं का निर्माण हो चुका है। 15 सेतुओं के लिए 3 करोड़ 80 लाख रुपए ऋण के रूप में उपलब्ध हो गया है। मैं कहना चाहता हूं कि सेतु निगम ने बहुत ही ख्याति प्राप्त की है। इस कारण व्यावसायिक बैंकों से और अधिक ऋण मिलने की आशा है।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

कितने दिनों में मिलने की आशा है ?

श्री शिव प्रसाद सिंह--

निगोशिएशन चल रहा है। जब मिलेगा तब जरूर बता दूंगा। अब तक जो बड़े 2 सेतु जिनका कि निर्माण हो चुका है उनमें फर्रुखाबाद में राम गंगा नदी पर और लखनऊ में बेहटा नदी पर है। बिजनौर में खो नदी पर, उत्तर काशी में, गवाना माड पर और देहरादून में रिसपना नदी पर पुल बनाए गए हैं। गवाना माड का पुल बनाना बड़ा कठिन था। इतना कठिन कि इसका बनना ही मुश्किल हो गया था। ब्रिज का स्ट्रक्चर अलग से तैयार करके 6 महीने में ही इस पुल का निर्माण कर दिया। यह एक रिकार्ड कायम कर दिया है। किस तरीके से और कितनी जल्दी के इस पुल का निर्माण किया गया है ....

श्री उपाध्यक्ष--

मन्त्री जी आप कितना समय और लेना चाहते हैं ?

श्री शिव प्रसाद सिंह--

श्रीमन्, 5 मिनट और दे दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है।

श्री शिव प्रसाद सिंह--

इस समय 32 करोड़ की लागत से 67 सेतुओं पर कार्य चल रहा है। उनमें से कौन-कौन कार्य कहां-कहां चल रहा है उसे माननीय सदस्यों के सूचनार्थ निवेदन करना चाहता हूं। इलाहाबाद में गंगा नदी पर, रायबरेली में गंगासो में गंगा नदी पर, हरिद्वार में गंगा नदी पर, मिर्जापुर में गंगा नदी पर, गाजीपुर में गंगा नदी पर, हमीरपुर में यमुना नदी पर, जौनपुर में गोमती नदी पर, फर्रुखाबाद में राम गंगा नदी पर पुलों का कार्य चल रहा है। कानपुर में भी

एक पुल निर्मित किया जा रहा है । 116 लाख का उसका ठेका राज सेतु निगम ने लिया है। राज सेतु निगम ने 142 लाख रुपये पर 20 सेतुओं के निर्माण के और ठेके लिए है। कुवैत, मिडिल ईस्ट और नेपाल में बराबर प्रयास चल रहा है कि वे लोग भी राज्य सेतु निगम से पत्र-व्यवहार कर रहें है और वे कह रहें हैं कि हम अपने पुलों का भी निर्माण आपके द्वारा ही कराना चाहते है ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

विना निगम के भी कोई कार्यवाही हो रही है ?

श्री शिव प्रसाद सिंह---

निगम भी तो सरकार की ही देख-रेख में चल रहे हैं। उसके बारे में बताना, और सब बातों को आपके सामने रखना नितांत आवश्यक था। इस लिए मैंने इसके बारे में भी निवेदन किया। इसके अलावा भी मैं और बहुत सी चीजें हैं जिनको आपके समक्ष रखना चाहता था लेकिन माननीय उपाध्यक्ष, जी ने मेरा समय भी सीमित कर दिया। मेरी इच्छा थी कि मैं सब बातों को, आपके सामने रखूं परन्तु विवश हूं। मुझे आशा है आप मेरा मार्ग दर्शन करेंगे। अन्त में, मैं आप जो बातें कहेगें, उन को सुनकर जो कुछ भी मुझे जानकारी होगी, उसे रखने का प्रयास करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष---

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल, आप कितना समय लेंगे ? 20 मिनट में आप अपनी बात रख दें ।

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल (जिला फैजाबाद)---

मान्यवर, कई करोड़ रुपयों का घपला इस विभाग के अन्दर है। आप इसको सुन लें। अगर मेरी बात को न सुना तो जो बात मैं कहना चाहता हूं उन्हें कैसे पता चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष---

आज बोलने वालों की बड़ी लम्बी सूची है। समस्त दलों के बहुतायत सदस्य बोलना चाहते हैं। अपने-अपने क्षेत्रों की बातें सभी लोग रखना चाहते हैं। यह मद केवल आज भर के लिए है। उस स्थिति में अगर आप ही बोलना चाहते हैं तो आप अपने दल के अन्य सदस्यों को वंचित करेंगे। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। कृपया आप केवल 20 मिनट में ही अपने विचार व्यक्त करें ?

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल---

यदि आप मुझे बोलने नहीं देना चाहते हैं तो जो आपकी आज्ञा ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो मैं नहीं कह सकता हूं। मंत्री जी ने अपनी बात आधे घंटे में भी कम में कह दी है। अन्य माननीय सदस्यों को अपनी-अपनी बात कहने के लिए मैं 5-5 मिनट का समय देना चाहता हूं ताकि सारे माननीय सदस्य अपने-अपने विचार व्यक्त कर सकें। इसलिए आप 20 मिनट में ही अपने विचार व्यक्त कर लें।

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल---

तो यदि आप अनुमति नहीं देते हैं तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद---

मान्यवर, कटौती के प्रस्ताव के रखने वाले को अगर समय नहीं मिलेगा तो सारी चर्चा ही बेकार हो जायेगी। अगर उनके दल के और माननीय सदस्य बोलें तो उनको कम कर दें?

श्री उपाध्यक्ष---

आपका ध्यान माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह जी के कथन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उनका कहना था कि सारे के सारे दलों के जो नेता होते हैं, वे बहुतायत में समय ले लेते हैं और जो दलों के अन्य सदस्य होते हैं, उनको समय नहीं मिल पाता है। परिणाम स्वरूप वह अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई भावना व्यक्त नहीं कर पाते। इस स्थिति में मैं आपसे अर्ज करूंगा कि समय कम से कम लें। आप अगर यह पसन्द करें कि हमारे साथ के बैठने वाले लोग न बोलें तो आप शौक से बोलें।

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल---

मैं कोशिश करूंगा कि जितना कम से कम समय में हो सके मैं अपनी बात समाप्त कर दूं।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)---

कभी भी, आप उठा कर देख लें, पिछले 10-20 सालों में आधा घंटा से ज्यादा किसी कट मोशन वाले को समय नहीं मिला है।

श्री उपाध्यक्ष---

कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आयी है, मैं जानता हूं।

*श्री वेद प्रकाश अग्रवाल---

मुझे खुशी होती जब रामायण राय जी कहते कि आपने 20 मिनट क्यों कहा, क्योंकि वह तो पिछली बातें कहने के बहुत आदी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 24---के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 34---के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 60---के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

उपाध्यक्ष महोदय आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 61---के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 62---के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 67---के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 68---के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 70—के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 83—के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट के सम्बन्ध में अभी अपने कुछ विचार कहें। मन्त्री जी शायद यह भूल गए कि यह उत्तर प्रदेश 9 करोड़ से ऊपर की आबादी का है। मन्त्री जी ने इसके सर्वे के लिए 5 लाख रुपए रखे और सम्पूर्ण बातों के लिए 54 लाख रुपए की योजना बनायी। ये आसमान में चढ़ने जा रहे हैं चांद के निकट। सारे उत्तर प्रदेश को 54 लाख रुपए में संगमरमर का बनाने की योजना रख रहे हैं। यह धन केवल इधर-उधर में ही बरबाद करने की योजना है। सड़कों का महत्व इन्होंने समझा ही नहीं। प्राचीन युग में भी सड़कों का महत्व था। पूरे हिन्दुस्तान के चारों धामों की यात्रा लोग सड़कों से करते थे और तब अपने को धन्य समझते थे। आज भी उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की हजारों सड़कें हैं जिन पर चलने को लोग तरसते हैं। उन सड़कों का बनना ही मुश्किल हो रहा है। आज तक कोई भी सरकार ने इन सड़कों के निर्माण की ओर ध्यान नहीं दिया, केवल लूट मचाते रहे और इसके लिए मैं आपके सम्मुख कुछ उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार की यह नालायकी थी कि उसने इतने वर्षों के अन्दर भी उत्तर प्रदेश की जो योजनायें बनायी थीं उनको पूरा नहीं किया। जहां उत्तर प्रदेश सरकार की यह बात थी, केन्द्रीय सरकार ने भी उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया है और उसके कारण हमारी सभी योजनायें पिछड़ी हैं जब कि अन्य प्रदेश हमसे बहुत आगे बढ़ गए हैं। अब मैं आपके सामने अपने तर्क के पक्ष मे कुछ सरकारी आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में 1950-51 में 16,182 किलो मोटर सड़कें थीं, दूसरी योजना में 23,412 किलोमीटर, तीसरी में 27,197 किलोमीटर और चौथी योजना में 34,280 किलोमीटर सड़कें बनीं। बाम्बे योजना के अनुसार 46,960 किलोमीटर लम्बी सड़कें 1961—81 तक बनने का लक्ष्य निर्धारित है और वह पूरी हो जानी चाहिए। इस समय हमारा प्रदेश 12,680 किलोमीटर सड़कों की कमी पर चल रहा है। बाम्बे योजना के अंतर्गत कोई गांव पक्की सड़क से 6 किलोमीटर से दूर नहीं रखा जायेगा और कच्ची सड़क से उसकी दूरी 2 किलो मीटर होगी। उसी योजना में यह भी कहा गया है कि जिस गांव की आबादी 1500 होगी उसे पक्की सड़क से मिला दिया जाएगा।

अब आप यह देखें कि बाम्बे योजना के अनुसार क्या हमारा लक्ष्य था और कितने हम पीछे हैं हर क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र में लक्ष्य था बाम्बे योजना के अन्तर्गत 4,192 किलोमीटर सड़कों का, बनी केवल 3220 किलो मीटर बुन्देलखंड में लक्ष्य था, 4,014, बनीं, 2170, पूर्वी क्षेत्र में लक्ष्य था, 14,316 किलोमीटर और बनीं, 9428, किलोमीटर, पश्चिमी क्षेत्र में लक्ष्य था, 16676 किलो मीटर और बनी 9,428 किलोमीटर। पश्चिमी क्षेत्रों में लक्ष्य था 16,676 किलोमीटर और बनी 9,749 किलोमीटर, केन्द्रीय क्षेत्र में लक्ष्य था 7,762 किलोमीटर, और बनीं 4,268 किलोमीटर। इस तरह से कुल लक्ष्य जो 46,960 किलोमीटर सड़कें बनने का था उसमें से 28,835 किलोमीटर सड़कों का ही हम निर्माण कर पाए हैं।

अब हम पक्की सड़कों का प्रतिशत अपने यहां देखें तो पता चलेगा कि 1950-51 में 10.4 परसेंट सड़कें बनीं, 1965-66 में वह घटकर 8.4 प्रतिशत रह गयीं। यह हमारी तरक्की का नमूना है। बाम्बे योजना के अनुसार हम 61.4 प्रतिशत लक्ष्य तक पहुंचे हैं और

[श्री वेद प्रकाश अग्रवाल]

अभी 39.6 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करना है जो अब तक कर लेना चाहिए था। यह 61.4 प्रतिशत का अनुपात इस कारण से आ गया क्योंकि पहाड़ी इलाके अपने अनुपात से आगे बढ़ गए। इसलिए यह अनुपात आया है। मैं वहां के बुद्धिमान अधिकारियों को यह काम पूरा करने के लिए बधाई देता हूं।

मान्यवर, फिर भी बहुत से जिले हैं जो लक्ष्य से बहुत नीचे हैं। बहराइच में 35.97 प्रतिशत, बदायूं में 41.02 प्रतिशत, बरेली में 44.77 प्रतिशत बांदा में 44.82 प्रतिशत, हरदोई में 44.16 प्रतिशत और फैजाबाद में 52.1 प्रतिशत सड़कें बनी हैं जो लक्ष्य से बहुत नीचे हैं। पूर्वी क्षेत्र तो बहुत ही उपेक्षित रहा है। पूर्वी क्षेत्र अन्य पूरे प्रदेश से पिछड़ा हुआ है और उपेक्षित रहा है जहां से कि मैं चुन कर आया हूं। वह ऐसा जिला है जो कि 110 मील लम्बे क्षेत्र में है। गांव से लेकर जिले का अन्तिम छोर 180 किलोमीटर है। वहां सड़कों की हालत बड़ी दयनीय है। जिला बिलकुल उपेक्षित होने के कारण वहां न तो कोई उद्योग धन्धे हैं, न सरकारी उद्योग हैं और न वहां सड़कें हैं। सड़कों की स्थिति मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। खपराडीह, भीटी–महरवा-अकबरपुर-रोड, जहांगीरगंज, राजेसुल्तानपुर-पूरा बाजार-दिलासीगंज रोड तथा अमानीगंज-खंडासा-रुदौली सड़क पूरी हो जाय तो जिले की सड़क पूरी हो जायंगी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले किस तरह से उपेक्षित हैं, आप देखें। पूर्वी क्षेत्र के अन्दर तीसरी पंचवर्षीय योजना में सड़कों के लिए 4·31 करोड़ रुपया व्यय करने का लक्ष्य था लेकिन वास्तव में व्यय केवल 1.13 करोड़ रुपया ही हुआ। मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह 75 प्रतिशत रुपया कहां गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना में यह साढ़े 3 करोड़ रुपया किसने खाया और किसके पेट में गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जो रुपया व्यय करने का लक्ष्य था उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ उसके बारे में माननीय मन्त्री भी अपने भाषण में अवश्य बतलावेंगे।

.अब चौथी पंचवर्षीय योजना का दूसरा हिस्सा देखें। आज प्रदेश के 26 परसेंट गांव पक्की सड़कों से जुड़े हुए हैं और 38 परसेंट गांव कच्ची सड़कों से जुड़े हुए हैं और आज भी 36 परसेंट गांव बाजार के मुख्य केन्द्र के नहीं जुड़े हुए हैं। यह चौथी पंचवर्षीय योजना के पेज 232 पर कहा गया है।अब मैं एक दूसरा नक्शा आपके सामने रखना चाहता हूं उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों का। एक तरफ उत्तर प्रदेश जहां 34,280 किलोमीटर सड़कें बनीं वहां तामिलनाडु में 50,110 किलो मीटर और मैसूर में 50,495 किलो मीटर सड़कें बनीं, जब कि हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी और क्षेत्रफल भी उनसे ज्यादा है। पक्की सड़कों की लम्बाई का जहां तक सवाल है, केरल में एक हजार के ऊपर 507 किलोमीटर, तामिलनाडु में 328 किलोमीटर, पश्चिमी बंगाल में 220 किलोमीटर सड़क बनीं, वहां उत्तर प्रदेश में केवल 108 किलोमीटर सड़कें बनीं। यह बड़े शर्म की बात है और माननीय मन्त्री जी के लिए तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। चौथी पंचवर्षीय योजना में निर्णय हुआ था कि 100 किलोमीटर पर केन्द्र 22 किलोमीटर सड़कें बनाएगा और प्रदेश 16 किलोमीटर सड़क बनायेंगे। केन्द्र ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया लेकिन उत्तर प्रदेश अभी भी बहुत पीछे है। आप यह समझ लें कि हमारे ही बंगल का हरियाणा है, पंजाब है जो अपनी चौथी पंचवर्षीय योजना को पूरी कर चुके, उन्होंने बाम्बे योजना को पूरा कर लिया। वहां 16 परसेंट सड़कें बन गयीं और उन के सारे गांव पक्की सड़कों से और कच्ची सड़को से जुड़ गए। क्या उनके सुरखाब के पर लगे थे ? वहां के लोग ईमानदारी से काम करते हैं, उनकी नीयत थी कि अपने प्रदेश को ऊंचा उठावें जिससे देश लड़ाई के लिए तैयार हो सके। उनकी योजना यह नहीं थी कि खूब रुपया खायें, लूटें और मौज उड़ावें, और देश के लिए कुछ न करें। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस पर विचार करेंगे।

अब मैं आपके सामने मैसूर में जो परिवहन विकास सम्बन्धी कांग्रेस की बैठक ने सिफारिश की थी, उसे रखना चाहता हूं। वहां यह निर्णय हुआ था कि 25 परसेंट ग्रामीण

परिवहन के लिए अलग से नियत किया जाएगा। लेकिन वास्तव में उत्तर प्रदेश ने केवल 14 परसेंट ही उसके लिए निर्धारण किया है।

61 के अन्दर 19636 किलो मीटर सड़क थीं, वह बढ़ कर 73 में 30,255 किलोमीटर हुई यानी 55 परसेंट की बढ़ोत्तरी हुई है। अगर इसका रेशियो देखें तो 52-53-54 आएगा। मान्यवर, इसी तरह से परिवहन को देखें 1960-61 में 52,601 मोटर गाड़ियां थीं और वह 1973-74 में बढ़कर 1,87,871 मोटर गाड़ियां हो गयीं। आपने जो डायरी बांटी है उसके अन्दर यह दिया हुआ है। पेज 161 पर यह दिया हुआ है। तो मान्यवर, आप देखिये कि 360 गुने ट्रैफिक बढ़ गया। 360 गुने मोटर गाड़िया बढ़ गयीं पर आपकी सड़कें 52 परसेंट बढ़ीं। आप इसको देखिए तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि जिस तरह से आपका प्रदेश बढ़ रहा है वह गलत है और जिस तरह से दुनिया बढ़ रही है वह सही है यह आपकी उपेक्षा का प्रतीक है।

मान्यवर, सड़कों को चौड़ा और मोटा होना चाहिए। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तथा पंचम पंच वर्षीय योजना में यह कहा गया है कि 20 सेंटी मीटर के स्थान पर 36 सेंटी मीटर सड़कों की मोटाई होनी चाहिये लेकिन आपकी सड़कें इतनी मोटी हैं और न चौड़ी हैं। परिणाम यह होता है कि दुर्घटनायें होती हैं। अभी 15-16 को 2 लखनऊ की सरकारी बसें आपस में लड़ गयीं। 2 ड्राइवर मारे गए। 39 आदमी घायल हो गए। यह फैजाबाद के पास दुर्घटना हुयी। इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, मन्त्री जी की है। मुख्य मन्त्री जी तो गायब ही हैं। आपकी लाख रुपए की सम्पत्ति बरबाद हो गयी। 2 मर्सरी गाड़ियां चकनाचूर हो गयीं 1 बजकर 15 मिनट पर रात को । यह बसें जो बरबाद हो गयीं हैं नीलाम में 10-15 हजार की जायेंगी। जबकि आपकी 2-3 लाख की प्रापर्टी नष्ट हो गयी। क्यों? क्योंकि फैजाबाद और लखनऊ वाली सड़क चौड़ी नहीं है चौड़ी की जा रही है। इसके रास्ते को खोद दिया गया है। काम बन्द है। तारकोल, गिट्टी, ईंटा, बजरी रास्ते पर पड़ा है। सारा पैसा डिपार्टमेंट खा जाता है। सड़क खोद कर डाल दी गयी है। जहां पर मोटर लड़ी है सड़क चौड़ी हो रही है इसलिए मोटर लड़ गयी। तो मान्यवर, आवश्यकता इस बात की है कि सड़कों को चौड़ा किया जाय। इसके अलावा सड़कों को मोटा किया जाय।

मान्यवर, मैं रिपोर्ट दे रहा हूं। सार्वजनिक निर्माण विभाग की है जिसके अन्दर कहा गया है। मोटर वेहिकिल्स टेक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी ने बताया है कि भारत में यदि सड़कें अच्छी रहें तो हमारे यहां की बसों तथा लारियों को चलाने में प्रत्येक मोटर पर वार्षिक व्यय में 2 हजार रुपये से लेकर 5 हजार रुपए तक की बचत होगी। यह सार्वजनिक निर्माण विभाग की 1955-56 की रिपोर्ट में दिया गया है जिसे मैंने आपके सामने पेश किया है।

मान्यवर, जहां मोटर गाड़ियां बढ़ी हैं इतनी बढ़ी हैं और हमारी आवश्यकता बढ़ी है तो हमारे मन्त्री महोदय, को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अब योजना में और

[श्री वेद प्रकाश अग्रवाल]

तो मान्यवर, 29 के अन्दर 8 बनी हैं। आप समझ लीजिए 25 प्रतिशत बनी हैं और 12 फीसदी प्रगति में हैं। कुल 37 फीसदी ही आता है। तो यह स्थिति है। झांसी, गोरखपुर मेडिकल कालेज की बात की गयी है। लगभग 3 साल से यह बात रिपोर्ट में है। यही बात श्री यादव जी ने भाषण में कही है। लेकिन स्थिति क्या है? तो मान्यवर, यह मैं कहना चाहता हूं कि वास्तव में और जो काम किया गया ह उसमें बड़ा अन्तर है।

मैं आज एक बात मन्त्री जी से कहना चाहता हूं; बड़ी विनम्रता से कहता हूं। इसलिए कि वह पुराने जनसंघी हैं। आपके पहले जो मन्त्री जी थे तथा उनके जो पी0ए0 थे .....

श्री उपाध्यक्ष—

आप उनके कक्ष में यह सुझाव दीजिए।

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल—

मान्यवर, इसकी आवश्यकता है इसलिए कह रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जो उनके पी0ए0 थे वह बड़े घाघ आदमी हैं। आखिर मन्त्री जी को ले डूबे। वही पी0ए0 आपके भी हैं। मैं इतना कहता हूं कि उन के साथ में आपको रहना है कहीं गड़बड़ न हो जाय इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं:

मान्यवर, मैंने यह एक नक्शा रखा है। अब दूसरा सीन मैं रखना चाहता हूं। यह जो पी0 डब्ल्यू0 डी0 है। प्लन्डर बिदआउट डेंजर मान्यवर, यह क्या है लूटना बिना खतरे के। प्रदेश की सड़कें जब बन रही हैं उनमें कितनी लूट हो रही है इसको मन्त्री जी देखें और उसका नमूना मैं आपके सामने रख रहा हूं। भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, 1972-73 को मैं आपकी सेवा में रखना चाहता हूं। इलाहाबाद में गंगा नदी पर एक पुल की योजना 1963 में बनी। अनुमानित लक्ष्य 19 लाख रुपए था, 1965 में पुनरीक्षित हुआ 56.21 लाख, 1967 में 72.84 लाख और 1969 में 225.47 लाख रुपए हो गया। इस प्रकार 19 लाख से बढ़कर 1969 में 225.47 लाख रुपए हो गया। उसके बाद देखें 12 मार्च, 1968 को 204.25 लाख रुपए का ठेका ठेकेदार को दिया गया। काम 1972 में पूरा होना था, लेकिन 1972 से 1975 तक वह कार्य पूरा नहीं हुआ और पुल के रख रखाव की व्यवस्था पर 2 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च हुआ। आडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि 8 लाख रुपया व्यवस्था का बरबाद हुआ। 1969 के अन्दर पुल के निर्माण के लिए एक नए खंड का सृजन किया गया। एक वर्ष में 70 लाख रुपए उसके ऊपर खर्च हुआ। काम की गति ढीली थी 1970-71 और 1972 में काम बिल्कुल बन्द रहा। परन्तु विभाग चलता रहा। इस प्रकार 225 लाख रुपए अतिरिक्त खर्च हुआ।

मान्यवर, आडिट रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा देखें तो इसमें 1968 के अन्दर सामान जैसे औजार और संयत्र को खरीदने में .93 लाख रुपए की अनुमानित व्यवस्था थी जबकि 1968 से 1973 तक 3.93 लाख रुपए व्यय हुआ। इस प्रकार 3 लाख रुपए बढ़ गया। तो यह सब मान्यवर, क्या हो रहा है इस पर विचार मन्त्री जी करेंगे। मान्यवर, 1972 में ठेका समाप्त होना था लेकिन काम पूरा नहीं हुआ इसलिए ठेकेदार पर 20.43 लाख रुपए जुर्माना किया गया।

मान्यवर, मुझे बोलने का और समय दिया जाय। मैंने 7 दिन लगाकर इसको तैयार किया है। इसलिए मेरी बात को सुनें।

श्री उपाध्यक्ष—

आपके विचार नीति सम्बन्धी होने चाहिए, लेकिन आप आंकड़े प्रस्तुत करते हैं।

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल—

मान्यवर, मैं आपकी बात रख रहा हूं और विचार रख रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप पांच सात मिनट में समाप्त करें।

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल—

मैं अभी आधा घंटे से कम में नहीं कर पाऊंगा। मैं कह रहा था कि जर्मनी डिजाइन पर पुल बनना था लेकिन यह 1972 तक नहीं बन सका। मई, 1973 में पुनरीक्षित बजट फर्रुखाबाद डिजाइन पर बना। यह 692 लाख का बना। अगर जर्मन डिजाइन से पूरा होता तो वह 478 लाख में हो जाता लेकिन फर्रुखाबाद डिजाइन का बजट 692 लाख का बना। इस तरह से 224 लाख रुपए का गड़बड़ घुटाला किया जा रहा है। इसी में एक बात और है कि 80.92 लाख का ऐसा सामान खरीदा गया जो उपयोग में नहीं आया। इसके बाद आप देखें हमीरपुर में बेतवा नदी पर पुल का निर्माण। 1966-67 में 64.90 लाख रुपया का पुल था। विस्तृत प्राक्कलन स्वीकृत किया गया। 1969 में पुनरीक्षित हुआ 78.80 लाख जिसकी स्वीकृति मई, 1974 तक नहीं मिली। कार्य अगस्त, 1964 में प्रारम्भ हुआ। यह 1968 में पूरा होना था। 1972 तक पूरा न होने के कारण 1972 में संविदा निरस्त कर दी गयी और शेष कार्य विभाग को सुपुर्द किया गया। लेकिन अप्रैल, 1974 तक विभाग ने भी काम पूरा नहीं किया और सामग्री और मजदूरों के मूल्य में वृद्धि के कारण अत्यधिक खर्च करना पड़ा और इसके अलावा 29.45 लाख की पूंजी बेकार लगी रही।

इसी प्रकार हमीरपुर में जमुना व बेतवा नदी पर घाटों का ठेका 1966-6 का ठेका था। 1969-72 फिर देना था। इसमें तमाम गड़बडी हुई जिसके कारण 3 अगस्त, 1973 को ठेकेदार का ठेका समाप्त हो गया और उस पर 6.49 लाख रुपए बाकी है सरकार का इतना नुकसान हुआ। इसी तरह से उझियार घाट फेरी में 2.58 लाख की हानि सरकार को हुई। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। विभाग ने दोषपूर्ण मशीनें किराए पर ली इसके बारे में एक बात कहनी है। ओबरा में 6 ट्रक्टर्स किराए पर लिए गए। इनमे से चार बेकार रहे और काम में नहीं आए। दो ट्रेक्टर्स की मरम्मत करायी गयी 2.50 लाख में। दिसम्बर, 1969 से अगस्त, 1972 तक का किराया 7.92 लाख भुगतान किया। 5.17 लाख रुपया चार ट्रैक्टरों का किराया भी था जो उपयोग में नहीं आए। आखिर यह क्या है? इसीलिए मैं कहता हूं कि यह प्लन्डर विदआउट डेन्जर है। अगर आपका विचार समय पर काम पूरा कराने का हो जाय और समय से काम पूरा हो जाय तो शायद करोड़ों करोड़ों रुपया सरकार का बच सकता है।

मान्यवर, एक बात आपके सामने प्रान्तीय खंड, पी0 डब्ल्यू0 डी0 टिहरी की कहना चाहता हूं। यहां भी सरकारी धन का दुरुपयोग और गबन हो रहा है। यहां अनुमानित गबन साठ लाख था और दिनांक 1 अप्रैल, 1971 से दिनांक 1 जुलाई, 1974 तक का था। इसमें 31 मार्च. 1975 तक यह गबन बढ़कर 1.30 करोड़ हो गया है। मुख्य मन्त्री जी को इसकी बाबत शिकायती-पत्र दिनांक 14 जुलाई, 1974 को और दिनांक 31 मार्च, 1975 को दिए गए। इसी तरह धुत-धनशाली मोटर मार्ग का प्रश्न था। इसका ठेका

[श्री वेद प्रकाश अग्रवाल]

दिया गया। लेकिन 5000 काट कर और डिफेक्ट बता कर काम समाप्त कर दिया गया। डिफेक्ट दूर करन के लिए दुबारा ठेका दिया गया 40 हजार में लेकिन इतने में काम करने के लिए तैयार नहीं। उसने अपनी सिक्योरिटी जब्त करा कर काम समाप्त कर दिया। इसी प्रकार घन्टी चनियाल मार्ग पर धनशाली ब्रिज एप्रोज रोव में गड़बडी है इस तरह से 92 हजार रुपए के बजाय एक लाख 32 हजार खर्च करके भी उसे पूरा नहीं कर पाए।

श्री उपाध्यक्ष—

जो करप्शन के चार्जेज हैं उन्हें आप मन्त्री जी के पास जांच के लिए भेज दीजिए। आप जल्दी करें।

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल—

मान्यवर, इसीलिए मैं एक-एक प्वाइन्ट कहता जा रहा हूं। इसी प्रकार कीर्तिनगर के लिए 30 प्रतिशत में बनाने की बात थी, उसको 97 प्रतिशत कर दिया गया। एक बात और मैं इस घोटाले के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं और यह है कि हरिद्वार के योग्य-ध्यान सिह, ज्वालापुर मार्ग में मुख्य मन्त्री को दिनांक 21 फरवरी, 1975 को एक पत्र लिखकर शिकायत की है कि वहां के उपखंड अधिकारी श्री मूलचन्द्र जैन द्वारा 1.37 लाख का तारकोल के ड्रम बेच दिए। अब अन्त में, मान्यवर, मैं सुझाव के तौर पर कुछ बातें रखना चाहता हूं जिन पर आप गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे.....

श्री उपाध्यक्ष—

जो पहले रखना चाहिए वह बाद में रख रहे हैं।

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल—

इससे पहले कि कुछ सुझाव रखूं मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकार की लापर-वाही से 22 वर्ष बाद भी पुल नहीं बन पाए हैं, यह न्यूज है। 18 लाख रुपया बहुगुणा का पैलेस बनाने के लिए दिल्ली में खर्च हुआ। एक तरफ तो माननीय मन्त्री जी मितव्ययता की बात कर रहे हैं और यह भी साथ-साथ कह रहे हैं कि छंटनी नहीं होगी, दूसरी तरफ मान्यवर, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है। कर्मचारी भूखों मर रहे ह। अंगनू नाम का चपरासी आज भूखों मर रहा है और उन्हीं की भरती की जाती है जो उनके वहां बावर्ची का काम करता है। नेशनल हेराल्ड दिनांक 27 सितम्बर, 1974 के समाचार में लिखा गया है कि 8 बैगन कोयले के आए थे उसमें से 2 वैगन कोयले के गायब हैं। बिल का पेमेंट कर दिया गया लेकिन कोयले का कहीं पता नहीं है। मान्यवर, यह फोटो स्टेट कापी है जिसमें ठेकेदार के सिगनेचर हैं खाली पन्ने पर और उसमें एक जगह काटा गया है और वहां पर रुपए बढ़ाकर लिख लिए गए हैं और इस प्रकार लाखों रुपयों को खा लिया गया। टेहरी के अन्दर कमीशन के रूप में सुन्दर लाल, चन्द्र मोहन, हंस राम, जयपाल आदि लोगों से 6400–6500 रुपए मांग गए। एक एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने अपने कर्मचारी से कहा कि वह सहारनपुर से शाल लेकर आए क्योंकि मिसेज राम प्रकाश लखनऊ जा रही है और लगभग 265 किलोमीटर चल कर आया और इस प्रकार पेट्रोल की बरबादी की गई। निर्माण खण्ड मेरठ के सहायक अभियन्ता श्री ग्रीश कुमार ने सुखराम को वर्क एजेन्ट बनाया जब कि वह फर्जी है और अगस्त, 1972 से नवम्बर, 1974 तक फर्जी अंगूठा लगाकर पैसा खा गए। मस्टररोल जो बनाया हैं, उसमें तारीख, नहीं भरी, क्वान्टीटी नहीं भरी और बाद में फर्जी अंगूठा लगा लिया जाता है। यह एम0 बी0 12 नवम्बर, 74 से दिनांक 22 जनवरी 1975 तक नहीं भरा और बाद में काटकर रेट बढ़ाकर लाखों रुपया इस तरह से खाया गया।, मान्यवर, यह फोटो हैं।

मान्यवर, पिछले साल 5 अधीक्षण अभियन्ताओं को कम्पलसरी रिटायर कर दिया गया और उन लोगों से एक-एक लाख रुपया लेकर रख लिया गया। यह माननीय मन्त्री जी ही बता सकते हैं कि कहां तक यह बात सही है।

अब मैं कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं और यह है कि इन सबके लिए एक टेक्नीकल सेल बनाया जाय जिससे कि ब्लन्डर विदआउट टेन्डर हो रहा है वह रोका जा सके। विभागीय जब इन्क्वायरी होती है तो सी0 आई0 डी0 फिर विजिलेंस, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव इन्क्वायरी होती है इसमें काफी समय लग जाता है और नतीजा यह होता है कि दोषी आदमी छूट जाता है और बिना दोषी आदमी परेशान हो जाता है। रख-रखाव के लिए 30 प्रतिशत जो खर्चा आप करते हैं, इसको कम किया जाना चाहिए। जैसा कि हमारे भूतपूर्व मन्त्री, श्री यादव ने जौनपुर में एक जेनेरेटर लगाकर आलीशान सरकिट हाऊस बनाया है, वैसी साज-सज्जा नहीं होनी चाहिए। क्रिकिल्स पर जो आप खर्चा करते हैं उसे कम करना चाहिए। चपरासी, नौकर और माली के ऊपर पैसा कम खर्च किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह कि मान्यवर, ठेकेदारों का पेमेंट्स नहीं किए जा रहे हैं यह बात तो ठीक ही है लेकिन इतनी ही उनके इनवेस्ट मनी को भी यह सरकार खा गयी।

श्री उपाध्यक्ष—

अब माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल—

मैं मान्यवर, दो मिनट से अधिक नहीं लूंगा।

अब मेरा सुझाव यह है कि जिन सड़कों पर गिट्टी पड़ी है, तारकोल बिछी है या ईटें पड़ी हैं उनको तुरन्त बनवाया जावे। उनकी फर्स्ट कोट पेंटिंग हो गयी है उनको प्राथमिकता देकर पूरा करावें। नहीं तो वह सब जो कुछ उस पर हुआ है उखड़ जाएगा और लाखों और करोड़ों रुपया बरबाद हो जाएगा और मैं समझता हूं कि अब यह सरकार अपनी जिम्मेदारी से भी भागना चाहती है और उन सड़कों को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को सौंपना चाहती है। अगर इनमें हिम्मत हो तो सामने आवें क्योंकि आपने तो जिला परिषद् को दे दिया और अगर जिला परिषद् कह देवे कि हमारे पास पैसा नहीं है और काम नहीं होगा तो फिर जनता चिल्लायेगी और प्रतिनिधि बेचारा मारा-मारा घूमेगा।

एक बात और, जिस स्पाट पर काम हो रहा है उसमें कितना परसेंट लोहा लग रहा है, कितना सीमेंट लग रहा है और कितना-कितना सामान और लग रहा है अगर वहां पर कोई इसका चार्ट या नक्शा बना रहे तो मेम्बर्स भी देखें, हम लोग भी देखें, जनता भी देखे, नेता भी देखें और बेईमानी करने वालों को पकड़ा जा सके।

मान्यवर, एक बात यह है कि जो टेकनिकल असिस्टेंट्स हैं जो अब 15-15 वर्ष से काम कर रहे हैं और उनको अस्थायी ही रखा गया है, उनको स्थायी किया जावे। सन् 1974 में एक कमेटी बनी थी और उसने एक रिपोर्ट दी कि इनको 220-380 के वेतनक्रम में रखा जाय लेकिन इनको 100—180 का वेतन क्रम दिया जा रहा है, इसलिए इनको वही वेतन दिया जावे।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी के पास आपके माध्यम से इन गड़-बड़घोटालों को पहुंचाना चाहता हूं और चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी इनको ध्यान से देखें। मैं उनके प्रति बहुत सहानुभूति रखता हूं और उनको निकट से जानता हूं।

आपने जो मुझे समय दिया है और मैंने अपनी बातें कहने में अधिक समय लिया इसके लिए भी मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

इसके पहले कि आगे भाषण हो मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि मेरे पास बहुत लम्बी सूची है माननीय सदस्यों के बोलने के सिलसिले में,, इसलिए उस सिलसिले में मैं 5 मिनट का समय निश्चित करता हूं। माननीय सदस्य अपने विचारों को 5 मिनट में निवेदन करने की कृपा करें।

श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)—

उपाध्यक्ष जी .....

कई सदस्य—

यह इतना कम समय है कि इसमें तो पूरे विचार नहीं रखे जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

पांच मिनट कम तो होते नहीं हैं।

श्री गिरिजा शंकर पाठक (जिला वाराणसी)—

माननीय सदस्य प्राय : कुछ सुझाव देना चाहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

लम्बी चौड़ी योजनाओं के बारे में न बता करके माननीय सदस्य यदि चाहें तो अपने-अपने क्षेत्र के बारे में सुझाव दें तो अच्छा हो और वह पांच मिनट में दिया जा सकता है।

श्री बलवान सिंह—

श्रीमन् आपने जो पांच मिनट का समय दिया है ....

(व्यवधान)

श्री हिम्मत सिंह—

व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन्, आपने जो कहा कि अपने क्षेत्र की बात केवल माननीय सदस्य कहें तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप किसी माननीय सदस्य के भाषण को कन्ट्रोल करना चाहते हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

वैसी बात नहीं है, आप सब लोग सम्बन्धित जो बातें कहना चाहते हैं कह लीजिए लेकिन मोटे तौर पर ज्यादातर माननीय सदस्य अपने क्षेत्र की ही बात करना चाहेंगे, इसलिए मैंने कहा है; वैसे तो आप विषय के अन्दर क्षेत्र से बाहर भी कहना चाहते हैं, कहिए मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। जो माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहे थे, उन्होंने तो नीति की बात को छुआ तक नहीं, सिर्फ साधारण बातें कहते रहे।

*श्री बलवान सिंह—

मान्यवर, अभी जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव मूव किया था वे अन्त में सिर्फ तीन चार मिनट तक वास्तविक नीति पर बोले हैं और बाकी इधर उधर से पढ़ते रहे। विरोधी दल जो खास तौर पर कटौती का प्रस्ताव रखते हैं उनकी ओर से आल्टरनेटिव प्लान आना चाहिए था। (व्यवधान) अगर जनसंघ की सरकार होती तो कौन सी शक्ल वह अपनी योजनाओं को रखते लेकिन वह 20-25 मिनट तक सिर्फ यही कहते रहे कि यहां यह हुआ, वहां यह हुआ और किताब पढ़ते रहे, और अपनी एक बात उन्होंने नहीं रखी। (व्यवधान)

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

आप अपनी बात कहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य सदन में शान्ति बनाए रखें। माननीय बांके लाल जी उन्हें अपनी बात कहने दीजिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बलवान सिंह—

बांके लाल जी आप जब मेरी पार्टी के अन्दर थे तो मैं लीडर था और मेरी बातें सोशलिस्टिक रही हैं।

श्री बांके लाल—

आप हमारे लीडर नहीं। अब आप कांग्रेस में चले गए हैं और कांग्रेसी लीडर हैं।

श्री बलवान सिंह—

कांग्रेस के माने सोशलिज्म है। आज देश में कहीं समाजवाद झलक रहा है तो वह कांग्रेस में है। वह सोशलिस्ट को गाली देने वालों में नहीं है। मेरे जनसंघ के साथी ने जो कटमोशन रखा है मुझे यह बात सुन कर दुख हुआ है कि उनके भाषण में जोश ज्यादा था, होश कम था। कभी-कभी इतना जोश में वह आ जाते थे कि यहां तक कह दिया नालायक हैं चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। अपोजीशन की तरफ से इतने नीचे स्तर के लफ्ज इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। अच्छा होता कि उनकी वाणी में संयम होता।

एक चीज मन्त्री जी से सुन कर मुझे प्रसन्नता हुई कि उन्होंने कम से कम ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया है। यह बहुत अच्छा कदम है। अब अधिक से अधिक काम विभाग के जरिए होगा। मैं यह सदन को बतला दूं कि सिविल इन्जीनियर्स हिन्दुस्तान के जो हैं इतने अच्छे हैं जितने किसी मुल्क में नहीं हैं। इसलिए एक चीज जो अच्छी है उसकी तारीफ करनी चाहिए।

जिला परिषद् की जो बात कही गयी, जिला परिषद् की सड़कों का जहां तक सवाल है, पुलियों का सवाल है वे भी अगर पी0 डब्लू0 डी0 को दे दी जायं तो ज्यादा अच्छी वे बन सकेगी। हमारे साथी ने प्रोग्रेस का जिक्र करते हुए कहा कि पंजाब हरियाना, मैसूर तथा गुजरात में जितनी तेजी से सड़कों का निर्माण हुआ उतनी तेजी से यहां नहीं हुआ है। पिछले साल जब लक्ष्मी शंकर यादव ने अपना बजट पेश किया उन्होंने चार हजार मील कच्ची सड़कें एक साल में बनवाई। तो क्या वह अच्छा काम नहीं था और क्या किसी सूबे में एक साल में चार हजार मील सड़कें बनाई गयी हैं? कार्य का पैटर्न आप बदल दें। मिट्टी डलवा कर सिर्फ ईंटों को बिछवा दें तो 20, 22 हजार किलोमीटर पर खर्च आता है जब कि पक्की रोड बनाने पर एक लाख किलोमीटर का खर्चा आता है। पिछली दफा विदेशों में जाने का मौका मिला। मैंने देखा कि जर्मनी में बोन में बड़ी रफ सड़कें थीं। ईंटें बिछी हुई थीं। अगर आप यहां पर भी यही कर दें और सड़कों को कम चौड़ा कर दें तो यू0 पी0 का माइलेज ज्यादा हो जायगा। आपके पास सीमित पैसा है और आपका एरिया जो है वह सूबे का नहीं, एक मुल्क के बराबर है जिसमें 10 करोड़ की आबादी है उसमें आप सीमित साधनों से कितना पैसा सड़कों पर खर्च कर सकते हैं? सड़कों का जाल बिछाने की बात कही गयी। उसके लिए 1500 करोड़ रुपए की जरूरत होगी तब हम लिंक रोड से हर गांव को जोड़ सकेंगे। तो क्या हम 1500 करोड़ रुपया जुटा सकेंगे? इसलिए जो कुछ आप अपनी जबान से कहें उसमें वास्तविकता होनी चाहिए। आप का होश और जोश एक रास्ते पर मिले तो मालूम होगा कि 1500 करोड़ रुपया कई साल तक जुटाया नहीं जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया ....

श्री बलवान सिंह---

आप 10 फुट चौड़ी रोड बनायें .....

श्री उपाध्यक्ष---

आपका समय समाप्त हो गया .....

श्री बलवान सिंह---

अभी तो मेरी भूमिका है .....

श्री उपाध्यक्ष---

केवल 5 मिनट हैं आप 7 मिनट ले चुके हैं।

श्री बलवान सिंह---

उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आर्डर मानने के लिए तैयार हूं ...

श्री उपाध्यक्ष---

एक-आध मिनट और बोल लें।

श्री बलवान सिंह---

मेरा आपसे आग्रह है 10 मिनट कम से कम दीजिए। श्रीमन्, मैं कानपुर की बात लेता हूं और मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि आप कम से कम जितने थाने हैं, जितने ब्लाक्स हैं या बड़े-बड़े गांव है उनको आप सड़कों से जोड़ दें। गजनेर एक थाना है वहां पर मीटिंग हुई और मन्त्री जी भी वहां गए हैं। 10 मील का कच्चा रास्ता है वहां से जो ब्लाक श्रवणखेड़ा है उसके बारे में आपके विभाग को जो भी रिपोर्ट आए उसे आप ठीक कर दें। मैं तो कहता हूं कि थाने और ब्लाक्स और बड़े-बड़े गांवों को जो जोड़ने वाली सड़कें हैं उनको अगर आप पक्का नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ईंटों की कर दें तो हमारा जो दायरा है, जो मंजिल है उस तक पहुंच सकें। हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है हरयाणा इसकी एक कमिश्नरी के बराबर है इसी तरह से गुजरात जो है वह यू0 पी0 के सामने बच्चे के बराबर है। यहां पर सड़कों की अभी भी कमी है 36 हजार मील सड़कों का आपका इरादा है लेकिन फिर भी वह कम ही है ?

मेरा एक और सुझाव है कि जो आप यह बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं यह कम कर दें। चायना में आपको 4 मंजिल की बिल्डिंग से ज्यादा नहीं मिलेगी। वहां पर आस्टेरिटी है। वह जो आपकी एशोआराम की और बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बन रही हैं यह कम होनी चाहिए, इन पर कम खर्च होना चाहिये और सड़कें ज्यादा बननी चाहिए इससे अच्छा काम और दूसरा नहीं हो सकता है।

श्री गिरिजा शंकर पाठक---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी से कुछ निवेदन करना चाहूंगा, लेकिन इसके पहले एक बात कहना चाहता हूं और मुझे खेद है जैसा अभी हमारे श्री वेद प्रकाश जी ने कहा कि इंजीनियर, ओवरसियर और मन्त्री जी पैसा खा जाते हैं, लेकिन दुख है कि आप समय खा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो निश्चित पहले से किया हुआ है आप लोगों का।

श्री गिरिजा शंकर पाठक---

यह बजट देखने से मालूम होता है कि यह गला घोटू बजट है। मैं मन्त्री जी का ध्यान वाराणसी जनपद की तहसील ज्ञानपुर, भदोही की ओर दिलाता हूं। वहां पर लोग भदोही और औराई से 40-40 मील दूर से कालीन का सामान लेकर आते हैं। तहसील ज्ञानपुर के लिए आपने एक पैसा भी खर्च करने का कार्यक्रम नहीं बनाया है। उसके साथ

जैसे मोतेली मां बच्चे के साथ व्यवहार करती है वैसा ही व्यवहार सरकार ने किया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वह इलाका आपको 30 करोड़ रुपए की आमदनी देता है। वहां पर कारपेट का काम होता है, जिससे 30 करोड़ रुपए की आय भारत सरकार को होती है। जहां पर लाखों विदेशी लोग आते हैं वहां के लिए कोई सड़क नहीं है। यह बड़े दुख की बात है कि वहां के लोग बरसात के दिनों में दूर-दूर से कालीन का सामान ले जाते हैं। लेकिन उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। जो पुरानी सड़कें हैं उनको ही मिट्टी डाल कर ठीक करवा दी दीजिए वह भी बहुत खराब हैं। मैं कुछ सड़कों का नाम आपको बतलाता हूं जिनका ठीक होना आवश्यक है--(1) धमहापुर से कपसेठी, 4 मील, (2) मिरज मुराद से जी0 टी0 रोड से बडौरा 3 मील, वाराणसी तहसील में, (3) चौरी बाजार से गांधीघाट तक 2 मील एवं करुणा नदी पर पुल, (4) ममहर से बमनोटी, 4 मील, कठारी से भुवांव घाट 2 मील, (5) लालगंज जी0 टी0 रोड से बरजोर घाट तक 4 मील, (6) माधोसिंह से पियरोपुर होकर अमनाव 3 मील, (7) धनापुर रेलवे फाटक से जगदीशपुर होकर दादिका धाम 3 मील, (8) भदोही से नई बाजार अनेथी होकर बावतपुर हवाई अड्डे तक 16 मील सड़क जो पुरानी है उसे ठीक कराने से भदोही से औराई होकर बावतपुर हवाई अड्डे तक विदेशियों के आने जाने में 46 मील की दूरी कम हो जाएगी जिससे कालीन आदि लाने में आसानी होगी। चूंकि कच्ची सड़क ढाका में मौजूद है। अन्ना मिल औराई के लिए भी उक्त सड़कें बन जाने से किसानों को अपना गन्ना लाने में बड़ी सुविधा होगी। इसके अलावा माधोसिंह जी0 टी0 रोड के खम्हरिया होकर सरसेपुर तक सड़क बनना भी बहुत आवश्यक है, यह सड़क बना देने से जो केवल 3 मील की है खम्हरिया में जो हजारों विदेशी प्रति दिन आते हैं, उनको सुविधा होगी तथा साथ ही वहां के निवासियों को भी बड़ी सुविधा होगी। यहां और भदोई में कालीन बुनकरों की संख्या कई लाख है। यदि इन सड़कों का निर्माण करा दिया जाए तो इन छोटी-छोटी सड़कों के बना देने से लाखों रुपए की सरकार की आय हो जाएगी। कालीन बुनकर 3 लाख 32 हजार ज्ञानपुर में हैं, 30 हजार मिरजापुर के तहसील के, 20 हजार इलाहाबाद के हंडिया तहसील के, 32 हजार मड़ियाहूं के लोग कालीन का काम करते हैं। ये सब कालीन का पेशा करते हैं, इन सबको बड़ी सुविधायें हो जायेंगी। मान्यवर, कालीन के साथ-साथ साड़ी का कारोबार होता है। वे भी भदोई में मेटेरियल ले जाते हैं। वहां एक भी सड़क नहीं है। वहां से 30 करोड़ की सरकार की वार्षिक आय है, इस पर भी बजट में एक पैसा भी न रखा जाए यह उस तहसील के साथ महान् अन्याय है। इन शब्दों के साथ माननीय वेद प्रकाश जी के कटौती के प्रस्ताव का मैं समर्थन कर रहा हूं।

श्री राम लखन (जिला बस्ती)--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने पी0 डब्लू0 डी0 बजट पर बोलने का मुझे अवसर दिया है। यह जो बजट पेश है मैंने उसको गौर से पढ़ा। इतने बड़े प्रदेश के इतने अधिक पिछड़ेपन को इतनी कम धनराशि से दूर करना असम्भव है। बस्ती जिले में जहां देखिए, कोई सड़क नहीं है, जिससे लोग सुविधा से बस्ती सदर पहुंच सकें। देहाती इलाके के लोग बीमार होते हैं तो आने-जाने के साधन न होने से वे बस्ती नहीं पहुंच पाते हैं। देहात में छोटे-छोटे अस्पताल हैं अवश्य, लेकिन वहां मरीजों को कोई सुविधा नहीं है। इसलिए बस्ती के लिये कोई विशेष धनराशि, चाहे सेन्टर से मांगे या अपने पास से प्रयास करें, आप रखकर वहां पर आवश्यक सुविधायें प्रदान करें।

[श्री राम लखन]

लखनऊ के रास्ते में देखिए सड़कों पर बहुत से शीशम के पेड़ हैं, जो टूट और सूख रहें हैं, वे कटवाए जाएं, बेचे जाएं, तो उसकी जगह काफी और पेड़ पैदा हो सकते हैं। उससे सरकार को लाभ नहीं हो सकता है, हालांकि उसके रख-रखाव का खर्च सरकार को करना पड़ता है। अब मैं अपने क्षेत्र के विषय में कुछ मुख्य सुझाव देना चाहता हूं। विक्रमजोत से सड़सी घाट पुरानी जो सड़क निकली है, उसमें दो पुलों की बड़ी आवश्यता है। सड़सीघाट और शिवाघाट पर ये पुल बनने चाहिए। इस सड़क से वहां के निवासियों के अलावा यदि लड़ाई हुई तो आपकी फौजों को 40 मील का रन कम करना पड़ेगा। तो मैं प्रार्थना करता हूं कि इस पुल को बनवाकर इसे महत्वपूर्ण क्षेत्र से जोड़ा जाए।

मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा सलहछीपुर से कठवलिया--ससनहरा वेलसड होकर मूड़घाट तक यह भी बड़ी महत्व की सड़क है जो केवल 1 मील का टुकड़ा है, बस्ती इसके करीब है, अगर मूड़घाट की सड़क बन जाए तो हरैया तहसील के रहने वाले को 40 मील का रन करके जो बस्ती जाना पड़ता है, उसे केवल 14-15 मील का रन करना पड़ेगा इससे गरीबों को सुविधा होगी और वहां के लोगों को रोजी की सुविधा होगी। टिनिच से रबई नदी पर पुल कप्तानगंज के पन्डूल घाट पर पुल--ये भी बड़े आवश्यक हैं, ये बन जाएगे तो जो वहां का बाढ़ का इलाका है, गांव बाढ़ में डूब जाते हैं, वे उससे बच जायेंगे। बाढ़ खत्म हो जाएगी और आने जाने में सुविधा हो जाएगी, इसलिए इनका निर्माण भी बड़ा आवश्यक है। दवौलिया से सेरवा घाट तक सड़क बनवा दें तो बाढ़ के समय उन लोगों के यातायात का कोई रास्ता नहीं रहता है, इससे वहां के गरीबों को बड़ी भारी सुविधा मिल जाएगी। बभनान से गौर से सोनहा एक सड़क चकबन्दी में निकाली गई है, लेकिन उस पर मिट्टी नहीं पड़ी है, वह बना दी जाय, तो पिछड़े हुए इलाके में लोगों को सुविधा हो जाए, अभी तक वहां लोग खच्चर और घोड़े पर ही चलते हैं। हमारे इलाके में हरैय्या में बाढ़ का बहुत सा हिस्सा रहता है, वहा कहीं-कहीं मिर्च या मक्का पैदा होता लेकिन यातायात के साधन न होने से वे उसको बेच नहीं पाते हैं या सस्ता निकालते हैं, यदि साधन हो जाए तो वह डेढ़ किलो का मिर्चा बेच कर अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं, उनको अपने परिश्रम का पूरा फल मिल सकता है।

मान्यवर, वैसे तो मैंने मन्त्री जी से आपके द्वारा निवेदन कर दिया कि वह बस्ती जिले को अपना दौरा करके गौर से देखें। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि यह विभाग बड़ा बदनाम था। लेकिन पिछली बार अब काम हुए हैं, हम लोग आए हैं, हमें जनता ने आशीर्वाद दिया है और हमने विभाग को आशीर्वाद दिया है, तो उसका यह कलंक दूर हुआ है बहुत हद तक। हमारे मंत्री जी अब से पहले अनेक महत्वपूर्ण पदों पर थे, जैसे महा मन्त्री प्रदेश कांग्रेस कमेटी व ट्रेजरर यूनीवर्सिटी जज कमेटी के चेयरमैन व प्रदेश में राज्य मन्त्री भी थे तब से मैं आपको जानता हूं, कार्यकुशल हैं। आप गरीबों की मदद के लिए पूर्वी जिलों में दौरा करके देखें जो-जो कमियां हैं, तो आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा और गरीब जनता को राहत मिल जाएगी। चूंकि मेरा समय समाप्त हो रहा है, इसलिए तमाम सी बातें नहीं कह सकूंगा। लेकन मै मान्यवर, आपके द्वारा मंत्री जी से इतनी प्रार्थना करता हूं कि बस्ती जिले की तरफ वह विशेष ध्यान दें और मेरे सुझावों को प्राथमिकता दें। अब समय नहीं है, इसलिए इन शब्दों के साथ मै बजट का समर्थन करता हूं और मन्त्री जी से प्रार्थना करता हूं कि सेन्टर से और धन प्राप्त करके वह काम करायें, तो आपको छोटे-छोटे कर्मचारियों को निकालने की कतई जरूरत नहीं होगी और विस्तार से काम शुरू करवाने में आपको सफलता मिलेगी। इससे मेरे क्षेत्र की उन्नति होगी, प्रदेश की उन्नति होगी और छोटे कर्मचारियों को भी निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

श्री रघुनाथ (जिला बलिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुदान पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आभारी हूं मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग

के द्वारा छटनी के सम्बन्ध में, मै मन्त्री महोदय को बताना चाहता हूं कि जो आपने 20 लाख मजदूरों की छंटनी के सम्बन्ध में आदेश दिए, उनका मुख्य अभियन्ता द्वारा पालन नहीं किया गया है। क्योंकि सरकार का जो आदेश मुख्य अभियन्ता को प्रसारित किया गया था कि उत्तर प्रदेश में ठेकेदारों के द्वारा कार्य नहीं कराया जाएगा, बल्कि विभागीय अधिकारियों द्वारा कराया जाएगा, उसकी अवहेलना की गई है। फैजाबाद नेशनल हाइवे डिवीजन तथा बिल्डिंग डिवीजन, बहराइच, में, टेन्डर तथा वर्क कान्ट्रैक्ट द्वारा ठेकेदारों के जरिए से निर्माण कार्य कराया गया है। पूरे प्रान्त में आपके आदेश और मुख्य अभियन्ता के आदेश के बावजूद भी अधिकारियों द्वारा ठेकेदारों से काम कराया गया है। बांदा में भी कलंजर--नघेला रोड पर वह काम अभी पड़ा हुआ है। शासकीय राजाज्ञा संख्या 3735, दिनांक जुलाई 15, सन् 1958 के अनुसार पी0 डब्ल्यू0 डी0 मजदूर, औद्योगिक मजदूर है। और औद्योगिक मजदूर विवाद अधिनियम की धारा 6-एम का उल्लंघन करके छटनी शुदा मजदूरों को मुआविजा न देकर 20 हजार मजदूरों की गैर-कानूनी छटनी कर दी गयी। इस तरफ श्रम मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसके साथ ही साथ श्रम विभाग और श्रम मन्त्री को भी सार्वजनिक निर्माण विभाग श्रमिक संघ ने लिख कर भेजा परन्तु कोई ध्यान नहीं दिया गया।

श्री जी0 एस0 नेगी उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ने अपने पत्र दिनांक 5 जनवरी, 1973 द्वारा मुख्य अभियन्ता को आदेश दिए थे ? कि लगातार तीन साल सेवा करने वाले वर्क चार्ज कर्मचारियों को रेगुलर कर दिया जाय लेकिन अक्तूबर, नवम्बर, 1974 में मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग ने लगभग 3 हजार ऐसे मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया है जिनकी सेवाय तीन साल की थीं। उनको भी मुख्य अभियन्ता द्वारा निकाला गया है। तीन साल की सेवा अवधि पूरी करने वाले मजदूरों को तुरन्त काम पर लिया जाय।

शासन द्वारा 3 साल की सेवा पूरी करने वाले, वर्कचार्ज मजदूरों को रेगुलर करने की घोषणा भी निर्माण मन्त्री ने किया है लेकिन आज भी पी0 डब्लू0 डी0 में 20,000 मजदूर ऐसे हैं जो तीन साल की सेवा अवधि पूरी कर चुके है। इन मजदूरों को रेगुलर सेवा में क्यों नहीं किया गया और तीन साल सेवा अवधि पूरी करने वाले पी0 डब्ल्यू0 डी0 तथा राज्य सेतु निगम के वर्कचार्ज मजदूरों को रेगुलर करने का आदेश निर्माण मन्त्री तुरन्त देन की कृपा करें और अभी तक उनको रेगुलर क्यों नहीं किया गया यह भी सदन को बताने की कृपा करें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग अपनी सभी सालगिरह धूमधाम से मना चुका है लेकिन 100 साल बीतने के बाद भी वर्कचार्ज मस्टर रोल मजदूरों के लिए कोई सेवा नियम नहीं बना सका है। तत्काल ही रेगुलर तथा गैर रेगुलर समस्त मजदूरों के लिए सेवा नियम बनाए जायं।

राज्य सेतु निगम की हालत तो और खराब है। तीन साल की सेवा अवधि में कोई नियम अभी तक नहीं बनाये गए और लगभग 3 हजार मजदूर सेवा से अलग कर दिए गए जबकि कोई अधिकारी नहीं निकाला गया।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आपका समय समाप्त हो हो रहा है। एक मिनट है।

[श्री रघुनाथ]

अब खास तौर से अपने जिले की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारा जिला बलिया है जिस जिले से मैं चुन कर आता हूं। अन्तिम बात अपने जिले के सम्बन्ध में कहना है। बलिया की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा जो बिलकुल बिहार के बार्डर पर हैं और वहां बिलकुल सड़कों और आवागमन का रास्ता नहीं है। वहां गाजीपुर से होती हुई सिधाघरघाट से होकर पकवायनार होती हुई मगरा को जाती है। आज जो व्यक्ति बनारस जाना चाहता है, शाहगंज या मऊ हो कर जाना पड़ता है। सिधाघर घाट को नगरा से मिला दिया जाय तो आवागमन का रास्ता अच्छी तरह हो जायगा और आवागमन में सुविधा हो जाएगी। इसलिए माननीय मन्त्री महोदय से अर्ज है कि उस तरफ ध्यान दें उस सड़क का निर्माण किया जाय।

*श्रीमती रामरती देवी (जिला फैजाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग के विषय में कुछ अपने विचार रखना चाहती हूं। मान्यवर, बजट का समर्थन करते हुए मैं माननीय मन्त्रीजी का ध्यान सार्वजनिक निर्माण विभाग की तरफ ले जाना चाहती हूं। आज मैदानी इलाके में कहीं-कहीं पर सड़कों का, पुलों का बहुत अभाव है जहां कि होना अत्यन्त आवश्यक होता है इसका कारण यह होता है कि हमारे मंत्री तथा विभाग के अधिकारीगणों का ऐसे स्थानों पर आना जाना नहीं हो पाता है इसीलिए विभाग को ऐसे स्थानों की जानकारी नहीं हो पाती है कि किन स्थानों पर पुल और सड़कों के बनने की अत्यन्त आवश्यकता है। आज बढ़ती हुई आबादी को देखते हुये, उद्योग धन्धे, हाट तथा मेलें भी बढ़ते चले जा रहे हैं विभाग को पूरे प्रदेश का सर्वेक्षण कराना चाहिए कि कहां-कहां पुल और सड़कों से बनने की अत्यन्त आवश्यकता है। सर्वेक्षण कराने के बाद बजट के हिसाब से तथा आवश्यकतानुसार पुल तथा सड़कों का निर्माण करें। लेकिन होता क्या है? बजट पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, आवश्यकता का ध्यान नहीं रखा जाता है, हमारे बड़े-बड़े नेतागण तथा प्रभावकारी लोग अपना प्रभाव डालकर जहां विकास कार्यों की आवश्यकता होती है, बाधा डालते हैं। मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगी कि सर्वेक्षण कराने के बाद इस ओर कदम उठायें।

हमारे फैजाबाद जिला की टांडा तहसील में विधान सभा का एक क्षेत्र जहांगीरगंज है, वहां पर जनवरी के महीने में भतपूर्व मन्त्री जी गए और उन्होंने स्वयं देखा कि वह इतना दुर्भाग्यहीन क्षेत्र है कि एक भी सड़क वहां नहीं बन पाई। कहने के लिए दस मील की सड़क बसखारी से जहांगीरगंज जाती है। वहां कोई पुल वगैरा नहीं है। वह शुरू से ही बराबर अनुसूचित क्षेत्र रहा है और वहां के प्रतिनिधि बराबर मांग करते रहे हैं लेकिन फिर भी उसकी उपेक्षा की गई है।

हमारे क्षेत्र में कई सड़कें ऐसी हैं जिनका बड़ा महत्व है। एक सड़क जहांगीरगंज से लेकर मांडरमऊ तक जाती है। उस पार गोरखपुर की सीमा पड़ती है और लोगों का बराबर आना जाना लगा रहता है। इस तरह से इसका सीधा सम्बन्ध गोरखपुर से रहता है। दूसरी रामनगर से लेकर हसवर तक जाती है जिसके बीच में पुल भी पड़ता है। बरसात में ऐसी हालत हो जाती है कि एक दम पानी भर जाता है और 3/4 महीने के लिए जनता का आना जाना समाप्त हो जाता है। सड़क की जो हालत होती है उसका कहना ही क्या? मैं मन्त्री जी प्रार्थना करती हूं कि इस क्षेत्र में एक भी सड़क नहीं है इसलिए इनको बनाने के लिए ध्यान देने की कृपा की जाय।

एक पुल अलाऊपुर नाम से है जिसके लिए विधान सभा में भी सवाल उठा है। लेकिन धनाभाव का कारण मन्त्री जी ने कह दिया था। इस तरफ ध्यान जाना चाहिए। जब विभाग बजट को कम दिखाता है तो एक तरफ तो कम काम दिखाता है और इसका सब से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पहला प्रहार गरीब मजदूर वर्ग पर ही होता है। जब गरीब को हटा दिया जाता है तो ऐसी जगह पर अन्य बड़े लोग अपनी जगह पर बरकरार रहते हैं समझ में नहीं आता है कि इन छोटे लोगों के ऊपर इस तरह से कदम उठाया जाता है, जब ये ही नहीं रहते हैं, तो अन्य लोगों की आवश्यकता क्या है ? मान्यवर, दूसरा निवेदन मेरा यह है कि आज सड़क के मजदूर, कामदार तथा अन्य जो हैं आदि जो हैं उनके स्थायीकरण की जो नीति होती है वह बड़ी ही दयनीय हो रही है बेचारे इतने परेशान रहते है कि उनकी परेशानी कोई सुनता ही नहीं है। स्थायीकरण की जब उनकी बात आती है तो हमारे अधिकारीगण उनकी उपेक्षा करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि इन गरीब लोगों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं।

श्री रामरति बिन्द (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी का ध्यान टेस्ट वर्ग के अन्तर्गत बन रही सड़कों की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, आधी दूर मिट्टी पड़ी है, आधी दूर नहीं पड़ी है। उन सड़कों की व्यवस्था न तो जिला परिषदों से और न सार्वजनिक निर्माण विभाग से की जा रही है। अच्छे रास्ते भी खत्म हो गए और काम भी अधूरा रहा। पहले उस रास्ते से गाड़ियां, साइकिलें इत्यादि पास हो जाती थीं लेकिन मौजूदा सड़कें बीच में हो गई हैं इस तरह से हमारे क्षेत्र में 3-4 सड़कें जैसे बासूपुर, बिसोली, कृपालपुर है। मौजूदा पुल पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। दूसरी सड़क गोपीगंज पीली रोड है जिस पर पुल बना है। दोनों तरफ मिट्टी नही डाली गई है जिससे रास्ता एकदम समाप्त हो गई है। आवागमन एक दम ठप हो गया है। तीसरी भतेथूसुरियांवां है, उसमें न तो आदमी ही आ जा सकते हैं और न साइकिल गाड़ियां ही उस पर चल सकती हैं। इस तरह से पैसा खर्च बहुत होता है और उपलब्धि कुछ नहीं होती है। इस तरह काम कुछ नहीं होता है और काम अधूरा रहता है। उसको कच्चा बनाना ही दूभर रहा पक्का करना को मुश्किल है। मेरी तहसील से 30 करोड़ रुपया सालाना देशी और विदेशी मुद्रा पूरे प्रान्त व देश को मिलती है जिसमें आधा हिस्सा सिर्फ भदोही तहसील का है, लेकिन मौजूदा बजट में भदोही तहसील को एक भी पैसा नहीं दिया गया है।

काशीनरेश डिग्री कालेज में एक अतिरिक्त छात्रावास बन रहा था जिसे मौजूदा बजट में कहा गया है कि धनाभाव के कारण कार्य आगे नहीं बढ़ाया जायगा। मन्त्री जी ने इसके लिए एक भी पैसे का प्राविधान नहीं किया है जिससे हम लोगों को बड़ा दुःख हो रहा है। पुरानी निर्माण वाली इमारतें भी पूरी नहीं हो रही हैं। शायद 2 साल, 1 साल के बाद प्राविधान होगा तब तक शायद पूरी बिल्डिंग ही ढह जाएगी। इससे हमारे क्षेत्र के लोगों पर काफी धक्का पड़ रहा है। दूसरी चीज ज्ञानपुर जंघई के बीच में दुर्गागंज के पास बरना नदी पर एक पुल बना दिया जाय तो डेढ, दो सौ मील की दूरी कम हो जाएगी। 1976 में यहां पर माननीय बंशीधर पांडेय मंत्री उन्होंने पुल के निर्माण की नींव डाली। जितनी ईंट, पत्थर बालू इत्यादि रखी गई थी शायद वह भी अब समाप्त हो गई है। और उस पुल का हिस्सा 3 जिलों इलाहाबाद, जौनपुर और वाराणसी में पड़ता है। ज्ञानपुर, मछलीशहर और दूलपुर की तहसीलें उससे सम्बधित हैं, लेकिन फिर भी उसका निर्माण नहीं हो पा रहा है। त्वरित योजना के अन्तर्गत एक सड़क बन रही थी--कोलापुर से सेमराध इस सड़क को

[श्री रामरति बिन्द]

पिछले साल ही पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन इस सड़क के निर्माण के लिए एक पैसा नहीं दिया गया है। ज्ञानपुर कस्बा है जहां डिग्री कालेज है, सिविल अस्पताल है वहां रोडवेज स्टेशन के निर्माण के लिए 3-4 बार सर्वे किया गया और जमीन भी एक्वायर की गयी। वहां पर ईंटा, बालू सीमेंट गिराया गया लेकिन उसकी नीव नहीं पड़ी है। इसके अलावा गोपीगंज कस्बा जिसमें 10-12 हजार की आबादी है और जो जी0 टी0 रोड पर है वहां पर भी रोडवेज स्टेशन की व्यवस्था नहीं है। ज्ञानपुर और गोपीगंज सड़क के बीच में सड़क पर बड़ी वाली गिट्टी सड़क पर डाल दी गई है, लेकिन छोटी वाली गिट्टी या तार कोल नहीं डाला गया है जिससे वहां पर आने जाने में बड़ी कठिनाई हो गयी है। हमारे क्षेत्र में एक ऐनच सुरियांवा रोड है। सुरियावां ब्लाक है लेकिन यह किसी सड़क से जुड़ा नहीं है। बारीगांव से ही एकोड़ा रोड है, जिस पर एक बड़ा इन्टर कालेज है, लेकिन उस पर मिट्टी भी नहीं डाली गयी है। इस सड़क का बकाया का 3 साल से पड़ा हुआ है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री भगौती प्रसाद शुक्ल (जिला फैजाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद है जो कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपके द्वारा सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी का ध्यान फैजाबाद (कटेरी) क्षेत्र की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछा हुआ है, लेकिन 2-3 सड़कें मामूली-मामूली ली गयी हैं, कोई त्वरित योजना के अन्तर्गत, कोई बेरोजगारी योजना के अन्तगत अगर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ली गयी है। सड़क पर जो छर्री छोड़ी गयी है वह सब छिटक कर जमीन पर चली गयी है, क्योंकि उसमें अलकतरा नहीं मिलाया गया है। उसके लिए जितना रुपया खर्च स्वीकार हुआ था उसका आधा भी नहीं खर्च किया गया है। 6 किलोमीटर की सड़क है जिसमें 2 किलोमीटर पर अभी भी काम नहीं हुआ है। एक सड़क महरूआ सेन सीरपुर त्वरित योजना के अन्तर्गत बन रही है। उस पर आधा रुपया नहीं लगा है। एक सड़क सन् 1970 की मजूर है। उस पर जो ईंटा बिछाया जा रहा है वह 4-4- अंगुल का फर्क देकर बिछाया जा रहा है। उस सड़क पर जो कंकड़ डाला जा रहा है वह बरसात के बाद जो मिट्टी बहकर नीचे चली जाती है उसको डाला जा रहा है। मैं मान्यवर, वहां पर गया था और पूछा कि कंकड़ के स्थान पर आप मिट्टी क्यों डाल रहे हैं तो कहा कि कंकड़ की ही तो मिट्टी है। मान्यवर, यह सड़क अकबरपुर से महरूआ सुल्तानपुर को जोड़ती है लेकिन उसका काम अधूरा पड़ा हुआ है। नसीपुर की सड़क जो है उसमें आधा रुपया भी नहीं लगाया गया है? उसकी जांच कराने की कृपा करें। यह सड़क त्वरित योजना में ली गयी थी।

श्रीमन्, मेरे क्षेत्र में गोसाईगंज से सेरवा घाट तक सड़क का बनना बहुत ही जरूरी है। वहां पर मिट्टी पड़ गई है लेकिन कंकड़ और गिट्टी का बिछाना बाकी है। यह वह जगह है जहां पर श्रृगी ऋषि तपस्या करते थे। यह सरयू नदी पार करके बस्ती जिले को जाती है। एक सड़क गोसाईगंज से दिलासीगंज को जाती है। यह 12 किलोमीटर है। एक सड़क महरूआ से बसतपुर मिझोड़ा चौराहा बसोहरी बिकनाजीतपुर फैजाबाद की सड़क में मिलती है। यह सड़क बिल्कुल नाले के रूप में बदल जाती है और आने जाने के रास्ते बन्द हो जाते हैं। एक सड़क महरूआ से भीटी को जाती है। इस सड़क का बनना भी बहुत जरूरी है। मान्यवर, महरवा से बसन्तपुर, मिझौड़ा चौराहा सड़क पर आजादी मिलने के बाद एक तोला भी मिट्टी नही पड़ी है। इसी प्रकार से एक सड़क अकबरपुर से बनगांव होती हुई, अकबरपुर बरवा भरथुआ है, उस पर भी कभी मिट्टी नहीं पड़ी है। एक ओर सड़क मेरे क्षेत्र में गुसाईगंज से भीटी और गुसाईगंज से रनीवा तक पी0 डब्ल्यू0 डी0 द्वारा मंजूर हुई है लेकिन न उसका भी काम अधूरा पड़ा हुआ है। एक किलोमीटर तक मिट्टी तक नहीं पड़ी है और जो काम हुआ भी है, वह न के बराबर ही है। मेरी प्रार्थना है कि उसकी जांच कराई जाय और देखा जाय। मैं देखता हूं कि पी0 डब्ल्यू0 डी0 के यहां तो इतने अधिक कर्मचारी और अधिकारी हैं कि जिसका जवाब नहीं है। अगर आप उनमें से किसी को

टी० ए० डी० ए० देकर भेजे तो पायेंगे कि किस प्रकार से वहां पर लापरवाही बर्ती जा रही है। वहां पर सारा काम ओवर सियर और इन्जीनियर के मत्थे ही रहता है। वे जहां चाहें और जितना चाहें उतना काम करें, जहां न चाहे, वहां न करें।

इन शब्दों के साथ मे बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जी मेरे क्षेत्र कटेहरी की सड़कों को बनवाने की कृपा करेंगे।

*कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)--

आदरणीय उपाध्यक्ष जी, हालांकि इस समय हमारे माननीय मन्त्री जी सदन में उपस्थित नहीं हैं, उन्हीं से थोड़ी सी बात करूंगा, उनको एक चेतावनी दूंगा। हालांकि वे बातें रूबरू तो नहीं होंगी लेकिन वे सुन तो लेंगे ही।

श्रीमन्, यह विभाग अंग्रेजों के समय से ही सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी और बराबर जब कोई इस पर रहा भले ही उसने न खाया हो लेकिन नीचे के अधिकारियों को वह नहीं रोक पाया। अब हमारे मन्त्री जी तो इसे निचोड़े हुए नीबू के छिलके के समान पाए हैं। इस समय जो पी० डब्लू० डिपार्टमेंट है, वह दिवालिया हो चुका है। इस विभाग से सम्बन्धित जितना भी लिट्रेचर हमें मिला है, उसे देखने से ऐसा मालूम होता है कि इसमें पुरानी रामायण ही बांची गई है कि कहां पर सड़क बनी, कहीं पर नहीं बनी, वहां पर पुल बना, इतनी मिट्टी डाली गई, कितनी कांक्रीट और कहां डाली गई लेकिन आगे ये क्या करेंगे, उसके सामने प्रश्न सूचक चिन्ह लगा हुआ है कि क्या होगा? इस बजट में जितनी धनराशि विभाग को मिली है मेरा अनुमान है कि इतनी धनराशि में तो शायद वे तन्ख्वाह ही पूरी कर पायेंगे। ऐसा मालूम होता है कि जो बकाया काम है, जो काम अधूरा रह गया है, उसको ही पूरा करने का प्रयास किया जायगा। (मन्त्री जी के सदन में आने पर) प्रसन्नता है कि मन्त्री जी सदन में आ गये हैं। उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं अधूरे कामों को पूरा करन का प्रयास करूंगा। तो जैसा मैंने कहा था मैं उनको एक चेतावनी यह देना चाहता था कि ऐसी जगह पर पहुंच गए हों जहां काम तो कम कर पाओगे बदनाम ज्यादा होगे। इसलिए प्रयास यह करो कि अगर कोई दूसरा विभाग मिल जाय तो आप बड़ी खुशी के साथ अपना ट्रान्सफर करा लीजिए मुख्य मन्त्री जी से कह कर क्योंकि यह विभाग एकदम बिगड़े हुए घोड़े की तरह से है, आप कितनी भी कुशलता से लगाम संभालो संभलने का है नहीं। और इस वक्त तो इसके पास कुछ रहा भी नहीं है, इसकी जीन भी उतर गयी है, नंगी पीठ पर सवारी करनी है। हमारे एक उधर बैठने वाले मित्र ने तमाम सड़कों का नाम ले लिया है। मैं भी बड़ी करने जा रहा हूं, क्योंकि अपने क्षेत्र की सड़कों का नाम इसलिये मन्त्री जी को नोट करा देना चाहता हूं कि क्योंकि जब कभी पी० डब्ल्यू० डी० की दुकान में कुछ सामान आए तो लाइन में यह सड़कें लगा लीजिए, शायद हमें भी कुछ मिल जाय, अभी तो कुछ है नहीं और अगर है भी तो वह बचता नहीं है बड़े लोगों से।

एक पुस्तक बंटी है--सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश--वर्ष 1974-75 की उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण। इसके पृष्ठ 41 पर अगर देखा जाय तो बाम्बे फार्मूले के आधार पर इसमें दिया हुआ है कि किस जिले में कितनी सड़कें होनी चाहिये। तो किसी जिले में तो 56, 57 और 65 प्रतिशत ही हो पायी हैं और कहीं 117·8 कहीं 102.1, कहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[कुंवर श्रीपाल सिंह]

131.5 और कहीं शतप्रतिशत से भी ऊपर हैं। तो जैसा मैंने कहा, बड़े लोगों से जब बचेगी तभी कुछ मिल पायेगा। माननीय मन्त्री जी कृपया इसे नोट कर लें और जब कभी आपकी दुकान में माल आये तो इस गरीब जिले का भी खयाल कीजिएगा अभी तो कुछ नहीं है। हिन्दुस्तान में सब से पिछड़ा हुआ सूबा उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश म सब से पिछडा हुआ जिला सुल्तानपुर है और सुल्तानपुर में भी सब से पिछड़ा हुआ क्षेत्र चांदा है। न वहां कोई सडक है कच्ची सड़कें शाही जमाने की जो हैं, वही हैं। 5-7 सड़कें हमारे क्षेत्र की हैं अगर कभी आपके पास पैसा आए तो इनको लाइन में लगा लीजिए, कुछ देने की कृपा कीजिएगा। एक सड़क है लम्मुआ से दियरा घाट दूसरी है, चांदा रामपुर-चौपाय। एक है कादीपुर स्टेशन से कादीपुर बाजार। एक है कोयरा-गारापुर-शिवगढ़। एक है बेदूपारा-शंकरपुर-हरिहरपुर, बाजार-गरमें-शिवगढ़। एक और है लम्मुआ दुर्गापुर। एक है कामतागंज-शम्भूगंज-शिवगढ़। एक है हनुमानगंज-शम्भूगंज-शिवगढ़। इसके अतिरिक्त कोइरीपुर तालाब, छतौना, शफीपुर हो कर शाहपुर में डेवढ़ा चांदा सड़क में मिल जाय। इतनी सड़कें हमारे क्षेत्र की अगर बन जायें तो उस क्षेत्र के लोग भी यह समझने लग जायेंगे कि प्रगति का कुछ उनको भी हिस्सा मिला। बगैर सड़कों के न तो सभ्यता कहीं पहुंच सकती है और न उस क्षेत्र की उन्नति हो सकती है। सबसे पहली चीज है सड़क का होना। हां, सड़कें बनी हैं मुख्य मन्त्रियों और प्रधान मन्त्री के क्षेत्र से जो लगे हुए क्षेत्र हैं उनमें और बिला वजह बनी हैं। तो मैं मन्त्री जी से यही निवेदन करूंगा कि यह लिस्ट जरा लाइन में लगा दें ताकि जब कुछ पैसा उनके विभाग के पास आए तो इन्हें भी कुछ मिल जाय।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

*श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला पौड़ी गढ़वाल)

मैं सार्वजनिक निर्माण मन्त्री का हृदय से अभिनन्दन करता हूं कि पहली बार पर्वतीय क्षेत्र के लिए उन्होंने एक विशेष योजना रखी है। लेकिन आज यह यहां बात भी कही गयी कि पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछ गया है, मैं यह निवेदन करूंगा कि वहां सड़कों की आज भी नितान्त कमी है। सीमान्त क्षेत्र जो चीन से मिले हुए हैं उनसे सुरक्षा के लिए सड़को का होना निहायत जरूरी है। जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय हमारी और भारत सरकार की आंख खुली थी और इस क्षेत्र की ओर ध्यान दिया गया। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र में कुछ ऐसे धार्मिक तीर्थ स्थान हैं जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि, वहां हजारों की संख्या में लोग देश के कोने-कोने से आते हैं। उनको सकुशल तीर्थ स्थान तक पहुंचाना व वापस लाना भी हमारी जिम्मेदारी है। यह तभी सम्भव है जब सड़कें हों। हमारे यहां आज भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां सड़कें न होने के कारण डेढ़-डेढ़ सौ मील तक पैदल चलना पड़ता है। मीलों तक सामान पीठ पर लाद कर चलना होता है।

उद्योग की प्रगति के लिए भी सड़कों का होना नितान्त आवश्यक है। बिना सड़कों के कोई उद्योग प्रगति नहीं कर सकता। बहुत से उद्योग इसी पर निर्भर हैं कि वहां कैसी सड़कें हैं। सड़कें होने से आपको रोड टैक्स आदि के रूप में आमदनी भी होती है। हमारे पर्वतीय क्षेत्र में पिछले वर्ष सड़कों की कमी के कारण ही सेव 4 आना किलो तक बिका। जोशीमठ में आलू 5 रुपए क्वीन्टल में बिका, इसी कारण कि वहां से आने के लिए मार्ग नहीं था।

जैसा कि अन्य लोगों ने सुझाव दिया, मैं भी यह कहना चाहता हूं कि प्रशासन पर व्यय कम से कम किया जाय। एक निवेदन और करना चाहता हूं। हमारे यहां लैन्सडाउन एक डिवीजन है जहां से सड़क करीब 200 किलोमीटर दूर है। वहां पर एक एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर को जाने के लिए कितना ही मील लम्बा चक्कर लगाना पड़ता है। इसी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रकार हर आफिसर को मौके पर जाने के लिए सड़कें न होने के कारण मीलों का चक्कर लगाना पड़ता है जिसके कारण पिट्रोल आदि पर व्यय भी अधिक होता है, समय नष्ट होता है, और काम भी देर में होता है। एक एस० ई०, मुरादाबाद में है तो एक देहरादून में है। इससे काम में बड़ी रुकावट पड़ती है। और कहीं कोई काम हो रहा है तो वहां न तो कोई इन्जीनियर पहुंच पाता है और न ही अन्य कोई अधिकारी पहुंच पाता है। बारिश अगर हो जाती है तब तो रास्ता बिलकुल ही रुक जाता है। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि इन अधिकारियों व कर्मचारियों को ऐसे स्पाट पर रखा जाना चाहिये जहां से वे निरीक्षण आदि का काम कर सकें।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं एक छोटा सा सुझाव और देना चाहता हूं। जहां तक प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस की बात है, प्रोग्रेस के साथ-साथ इनवेस्टीगेशन का होना भी जरूरी है। बिना उसके कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता है। बड़े-बड़े पुल बनने शुरू हुए हैं, आर० सी० सी० का कार्य भी शुरू हुआ है लेकिन अगर बिना इनवेस्टीगेशन के ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जाय तो क्या पुल का कार्य आगे बढ़ सकता है ? इसलिए प्रोग्रेस के साथ-साथ इनवेस्टीगेशन भी कर दिया जाय तो यह कमी दूर हो सकती है।

मैं बड़ी विनम्रता के साथ माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि बार-बार पर्वतीय विकास व पर्वतीय क्षेत्र में सड़कों के बनने की बात उठायी जाती है कि वहां यह कार्य बहुत किया जा रहा है। मैं माननीय सदस्यों को निमन्त्रण देता हूं और चुनौती देता हूं कि वे चल कर देख लें कि वे कैसा नारकीय जीवन बिता रहे हैं, तब मैं उनकी बात मानने के लिए तैयार हूं। लोगों की चीजें किस तरह से ऊपर पहुंचायी जाती हैं, आप इसी से समझ लें कि जो नमक 8 रुपये का यहां पड़ता है वही नमक पहाड़ पर बकरियों के द्वारा ले जाने पर 60 रुपए मन पड़ता है। अब .इसे उस क्षेत्र की विकास की भावना कही जाय या क्या कही जाय।

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय सदस्य का समय समाप्त।

श्री रामेश्वर नाथ चौबे (जिला बरेली) ––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने पी० डब्ल्यू० डी० के बजट पर आज मुझे बोलने का अवसर दिया। दुनिया के जितने सूबे हैं, जितनी जगहें हैं, सब जगह सड़कें बनाने के तीन दृष्टिकोण हैं। पहला डिफेंस, दूसरा डेवलपमेंट और तीसरा बिजनेस। लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज पोलिटिकल ग्राउन्ड पर ही सारी सड़कें बन रही हैं। यह जो बुकलेट है जिसका हवाला कुंवर श्रीपाल सिंह जी ने दिया, उससे बिलकुल स्पष्ट है कि आपके किसी जिले में एक परसेंट और किसी जिले में 110 परसेंट सड़कें बनी हैं। अत : आपसे मेरा अनुरोध है और सुझाव है कि इसके बंटवारे में खुले दिल से काम करें। आजादी के पहले जहां उत्तर प्रदेश में 14,900 किलोमीटर सड़कें थीं वहां अब 29 हजार किलोमीटर हो गयी हैं और जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने बतलाया है, 35 हजार किलोमीटर तक बनी हैं, जब कि बम्बे प्लान के अनुसार 46,900 किलोमीटर होना चाहिए था। ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि बम्बे प्लान यहां यू० पी० में कभी पूरा नहीं हो सकेगा और इस वर्ष के भीतर तो कोई सड़क बनने की आशा ही नहीं की जा सकती।

[श्री रामेश्वर नाथ चौबे]

क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत पिछले वर्ष 16 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ था। सारी सड़कें बर्बाद हो रही हैं। अत : मेरी दृष्टि से उनके ऊपर भी रोक लगाना नितान्त जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष—

(एक सदस्य से) माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। क्या बात है कि हर शख्स को बार-बार कहना पड़ता है ? यह अच्छी बात नहीं है।

श्री रामेश्वर नाथ चौबे—

मैं केवल एक बात कहने के बाद अपने क्षेत्र की बात कहना शुरू करूंगा। चूंकि समय का अभाव है इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, डिटेल में और रेलिवेंट बात कहना तो मुश्किल ही है। सन् 1966 में इलाहाबाद में कुम्भ का मेला हुआ था। इसके पहले हमेशा जो पुल बनते थे वह मिलिटरी के जरिए ही बनते थे। इस साल पी0 डब्ल्यू0 डी0 ने पुल बनाने का फैसला किया। लिहाजा 7 पैंट्रन ब्रिज और एक बोट ब्रिज बनाना तय हुआ। 7 पैंट्रन ब्रिज बनने के बाद एक बोट ब्रिज बनना शुरू हुआ। उसके लिए 91 वोट्स बन गए जिन पर 5 लाख 20 हजार रुपया खर्च आया। 51 पैंट्रन बन गए, काम में नहीं आए। जो 91 बोट्स बोट्स ब्रिज के लिए बने थे, आखिर में कहा गया कि बोट का डिजाइन ठीक नहीं है। इसलिये ये बोट्स इस्तेमाल में नहीं आयेंगे। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, इलाहाबाद ने बहुत पहले लिखा था कि यह ब्रीज बनना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि इसकी रखवाली पर ही 3 लाख रुपया खर्च आएगा। इस तरह से सारा का सारा 31 लाख रुपया वैस्ट हुआ। इस तरह के क्रीमिनल वैस्टेज को रोका जाय, मेरा ऐसा सुझाव है।

अब मैं अपने क्षेत्र की सड़क का जिक्र करता हूं। बलिया–देवधरा के लिये तीन साल पहले एक सड़क पास हुई थी लेकिन अभी तक उस पर काम खत्म नहीं हुआ लेकिन काम शुरू होने के लिये जो तमाम सामान व मेटिरियल पड़ा है उसमें से लगभग एक तिहाई मेटिरियल तो चोरी चला गया। परन्तु चोरी जाने के बाद भी जो सड़क पर इस तरह की चोरी चल रही है, माननीय मन्त्री जी से मेरा अनुरोध है कि वे इस ओर ध्यान दें और सड़क को जल्दी से पूरी करवाने की कोशिश करें ताकि चोरी घट जावे और जो मेटिरियल है उसकी चोरी रुक सके। दूसरी सड़क देवचरा-राजपुर जाती है। यह सड़क सन 1964 से शुरू हुयी है। डिस्ट्रिक्ट बरेली ने इसको टाप प्रायरिटी दी है। सबसे इम्पार्टेन्ट यह सड़क है। दूसरी सड़क मंहगंवा जो नहीं बनी है। पड़ी हुयी है। तो मेरी दरख्वास्त है कि इन सड़कों पर ध्यान दिया जाय और इनको बनवाया जाय।

दूसरी सड़क बमयाना विसारत गंज है। यह एक छोटी सी सड़क है। साढ़े 3 किलीमीटर का टुकड़ा है। इससे 60-70 हजार आबादी इससे कनेक्ट हो जाती है अगर इस सड़क को बना दिया जाता। इस सड़क पर ध्यान दिया जाय। मैंने इसके लिए पिछली बार भी कहा था। डिस्ट्रिक्ट बरेली ने इसको भी टाप प्रायरिटी दी है। लेकिन इसको बनाने का कोई मौका नहीं आ रहा है। इसके लिए मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इसको बनवाने की कोशिश कर दें।

सी0 बी0 गंज से जोगीठेर का रास्ता क्रेश प्रोग्राम में बना था। अब काफी सड़क टूट गयी है। टूटना शुरु हो गया है। टूटने की वजह से रास्ता बहुत खराब हो गया है। अगर इसको मेंटेन न किया गया तो बिलकुल टूट जायगी। इसलिये आप इस सड़क की ओर ध्यान दें। इसके साथ-साथ मैं एक और सड़क का जिक्र करना चाहता हूं। आंवला रेलवे स्टेशन से आंवला तक सड़क है। आंवला कस्बा है और तहसील हेडक्वार्टर है। इस सड़क को बहुत दिनों से रिपेर नहीं किया गया है। अब अन्त में जब सारे लोग परेशान हो गए तो एक भूख हड़ताल शुरू हुयी। भूख हड़ताल 15, 20, 25 दिन तक चली। मन्त्री जी ने आश्वासन भी दिया है। मैं मन्त्री जी से दोबारा कहना चाहता हूं कि इस

सड़क को बनाने की कोशिश करें। यदि ऐसा नहीं होगा तो इससे बड़ी भूख हड़ताल होने जा रही है जो बहुत बड़ी होगी और लगभग 500-700 आदमी भूख हड़ताल करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस तरफ ध्यान दिया जाय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त (जिला देवरिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने प्रस्तुत बजट पर मुझे अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। प्रस्तुत बजट जो सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है उसका मैं हार्दिक समर्थन करता हूं। मान्यवर, इस बजट में जितनी सारी बातें कहीं गयी हैं, निश्चय ही यह अत्यन्त क्रान्तिकारी कदम है। इस विभाग की उपलब्धियां भी बहुत अधिक हैं जैसा कि अभी हमारे मन्त्री महोदय ने बताया। विभाग का पुनर्गठन करके तथा राज्य सेतु निगम की स्थापना करके बड़ा काम किया गया है। मान्यवर, आपने देखा कि आजादी के पहले केवल 14 हजार कुछ किलोमीटर सड़कें थीं लेकिन चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के आने पर यह बढ़कर 36 हजार किलोमीटर हो गयीं। विभाग में अन्वेषणालय की स्थापना हुयी है। इसमें तमाम चीजों की जांच होती है और दूसरे महकमों के सामान की जांच होती है जिससे राजस्व प्राप्त होता है। भारत सरकार ने 1972, 1973, 1974 में जो बहुत सारे काम किए हैं, उसमें त्वरित योजना, सूखाग्रस्त इलाकों में जो काम किया गया है वह बड़ा ही सराहनीय है। अतएव इस प्रकार से जो विभाग द्वारा कार्य संपादित हो रहा है वह सराहनीय है। बाहर की सरकारों द्वारा मिला काम किया जा रहा है, ठेकेदारों को समाप्त किया जा रहा है यह निश्चय ही क्रान्तिकारी कदम है और इन उपलब्धियों की जितनी सराहना की जाय वह थोड़ी है। फिर भी मैं आपके माध्यम से श्रीमन्, मन्त्री महोदय का ध्यान कुछ तथ्यों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और कुछ सुझाव रखना चाहता हूं।

जैसा सार्वजनिक निर्माण विभाग के इस बजट में नयी सड़कों और पुलों का कोई प्राविधान नहीं है जबकि प्रदेश में सड़कों के विकास की अत्यन्त आवश्यकता है। अभी भी बहुत से बड़े-बड़े गांव सड़कों से नहीं मिले हैं। उत्तर प्रदेश सड़कों के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि सड़कों के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था की जाय। इसके अलावा जो अधूरी सड़कें हैं उनको पूरा किया जाय और नयी सड़कों को भी लिया जाय।

दूसरी बात, विशेष रोजगार योजनायें जो पिछले वर्षों में जारी की गयीं थीं उनको चालू रखा जाय ताकि प्रदेश की जनता के सामने जो रोजगार की समस्या है वह हल हो सके। भारत सरकार से इन योजनाओं के लिए धन प्राप्त करने का प्रयास किया जाय।

एक सदस्य——

यह तो मालूम होता है कि पढ़ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष——

पढ़ नहीं रहे हैं, सहायता ले रहे हैं।

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त--

मान्यवर, जो निर्माणधीन कार्य हैं उनके लिए धन की व्यवस्था की जाय। बहुत से प्रोजेक्ट पूरे हैं पर धनाभाव के कारण पूरे नहीं किए जा रहे हैं। इसके लिए धन की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे इनको पूरा किया जा सके। उनकी शीघ्र पक्का कराने के लिए धन की व्यवस्था करें अन्यथा उन पर लगाया गया पैसा आने वाले मौसम में बह जाएगा साथ ही वर्तमान सड़कों के रखरखाव और पुन : निर्माण के लिए धनराशि दें।

मान्यवर, मैं देवरिया जिले के रुद्रपुर इलाके से आता हूं। मैं आपके माध्यन से मन्त्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि प्रतिवर्ष वहां बाढ़ से 5-10 जानें जाती हैं और लाखों रुपए का सामान खराब होता है।मान्यवर, गौरा और राप्ती के बीच के गांव बाढ़ से 6 महीने लगभग घिरे रहते हैं और आवागमन का रास्ता इससे बन्द हो जाता है। एक रुद्रपुर नगवा सड़क है है जो आजादी के बाद से अभी तक पक्की नहीं बन सकी है जो कि 6 मील लगभग है। इसलिए बाढ़ के समय आदमी निकल नहीं पाते हैं और घिर कर रह जाते हैं। गौरा पर कोई पुल नहीं है। रुद्रपुर और देवरिया के बीच जो सड़कें हैं जैसे गौरी बाजार, हाटा और बरहज इन सड़कों की हालत बड़ी खराब है। हमारे क्षेत्र में कोई 10 मील पक्की सड़क नहीं है। यह पिछड़ा क्षेत्र है लेकिन नदियों का जाल है इसलिये आवागमन के रास्ते ठीक नहीं हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि मन्त्री जी कम से कम रुद्रपुर-नगवा सड़क को अवश्य लें ले।

*श्री नन्हें लाल (जिला बाराबंकी)--

उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे बोलने का समय दिया। मैं मन्त्री जी का ध्यान लखनऊ से बाराबंकी जो सड़क कुर्सी बाबागंज होते हुए जाती है उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं। इस सड़क पर दो प्राइवेट गाड़ियां चल रही थी और वह भी बन्द हो गयीं। इस पर लिखकर शिकायत भी किया कि यह गाड़ियां क्यों बन्द हो गयी तो उस पर इन्क्वायरी भी हुई। वह गाड़ियां सड़क खराब होन के कारण बन्द हो गयीं। लेकिन सरकार का ध्यान उधर नहीं गया है। मैं चाहता हूं कि यह सड़क बाबागंज-कुर्सी होते हुए बाराबंकी तक ठीक कराने की व्यवस्था करें। इस सड़क पर ठेले जाते हैं और इसके अलावा लोगों को पैदल यात्रा करनी पड़ती है। इतना ही मुझे कहना था।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)

उपाध्यक्ष जी, समय कम होने के कारण मैं मन्त्री जी से दो-एक बातें ही कहना चाहता हूं कि देवरिया में रामकोला निर्वाचन क्षेत्र जहां से मैं चुनकर आता हूं वहां रामकोला से कसया एक सड़क जाती है और वह स्वीकृत भी है। कई वर्षों से वह योजना के अन्तर्गत है लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। लाखों रुपए का एक और पत्थर वहां पड़ा है लेकिन उसका निर्माण अभी तक नहीं हुआ। दूसरी एक सड़क हाटा से कप्टेनगंज तक। गंडक की बगल में एक पुल है, जो टूट गया है। इससे जनता को बहुत परेशानी है। मान्यवर, मैं बारह साल से इस सदन का सदस्य रहा हूं और बराबर कहता रहा हूं लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। मन्त्रियों के क्षेत्र में सड़कें बन जाती हैं क्यों कि जो अधिकारी हैं वह उनकी चापलूसी करते हैं और उनके क्षेत्रों में काम करवा देते हैं। अन्य सदस्यों के क्षेत्रों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए मेरी शिकायत है कि यह सरकार पक्षपातपूर्ण नीति अपनाती है जिससे इस सरकार का पतन शीघ्र होने वाला है। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर यह नहीं बनीं तो उनका घिराव होगा और अधिकारी भी अगर वहां जायेंगे तो सड़क पर नहीं चलने दिया जायगा। अन्त में मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री त्रिवेनी (जिला आजमगढ़)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। इस बार सड़कों पर रुपया कम रखा। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहूंगा कि वह सरकार और ज्यादा रुपया मांगें ताकि प्रदेश के हर कोने में सड़के बन सकें। श्रीमन, मैं यह कहता हूं कि चाहे पहाड़ हो या बुन्देलखंड का हिस्सा हो या पूरब का हिस्सा हो, हर जगह सड़कों का बनना नितान्त आवश्यक है क्योंकि जब तक सड़क नहीं बनती तब तक विकास के लिए आवागमन का मार्ग नहीं साफ होता। मान्यवर, पूरबी उत्तर प्रदेश की तरफ माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह पुरब के हर हिस्से को जानते भी हैं क्योंकि वह उधर के रहने वाले हैं। पूरबी उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है। पूरबी उत्तर प्रदेश में एक बार केन्द्रीय सरकार ने पटेल कमीशन नियुक्त किया था। उसने बहुत ही सड़कों को अपनी लिस्ट में रखा। लेकिन जैसे ही वहां कार्य शुरू हुआ वैसे ही संकटकालीन परिस्थिति में पटेल कमीशन का कार्य समाप्त हो गया। और बहुत सी सड़कों का निर्माण शुरू भी हो गया था लेकिन वह पूरा नहीं हुआ और अधूरी रह गई। यह सड़कें और पुल बहुत महत्वपूर्ण थे लेकिन उनका भी निर्माण नहीं हुआ। मैं दो मिनट में उनका जिक्र कर देना चाहता हूं। हमारे जनपद में निजामाबाद का पुल टोंस नदी पर कार्य अधूरा है, लेकिन पूरा नहीं हुआ और इसके कारण आवागमन रुका हुआ है। दोना नदी पर पुल। लालगंज तहसील में चारो तरफ से 40 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो गया है, लेकिन कार्य शुरू नहीं हुआ। पिछले साल इस पर स्वीकृति मिल चुकी थी, खुशी है कि इस साल कार्य शुरू हो रहा है और इसके लिए मैं माननीय मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं। कुछ सड़कें ऐसी हैं जो इन्टर डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करती हैं जैसे देवगांव वाली सड़क। इस पर 32 बसें चलती हैं लेकिन 12-13 किलोमीटर की सड़क ऐसी है जिसके न बनने के कारण रुकावट आई है। यह सड़क बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपने जनपद के सभी विधायक साथियों से प्रार्थना करूंगा और वह यह जानते हैं कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, उसके बनाने पर जोर दिया जाय..... (लाल बत्ती जलने पर) मान्यवर, कार्य-मन्त्रणा समिति में यह तय हो गया है 15 मिनट सभी माननीय सदस्यों को बोलने के लिए दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष––

अगर बजट सेशन एक महीने और बढ़ा देंगे तो मैं ज्यादा समय दे सकूंगा।

श्री त्रिवेनी––

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक निर्माण का जो बजट पेश किया गया है, वह महत्वपूर्ण बजट है हालांकि इसमें अधिक रुपयों का प्राविधान नहीं किया गया। मैं अपने सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि बजट में रुपया बढ़ाने पर बल दें और मन्त्री जी के हाथ मजबूत करें ताकि वह इस प्रदेश में सड़कों का निर्माण कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)––

उपाध्यक्ष जी, मैं उन अनियमितता और भ्रष्टाचार के बारे में नहीं कहूंगा जो सार्वजनिक निर्माण विभाग में है क्योंकि उनका बखिया पहले ही उधेड़ी जा चुका है, लेकिन मैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भगवती प्रसाद]

टोंस नदी पर पुल के निर्माण के लिए 20 लाख रुपए स्वीकृत हुये थे और उस पुल को बनाने के लिए उड़ीसा और बंगाल से मजदूर आए थे जिन्होंने कहा था कि सन् 1974 में इस पुल को कम्पलीट कर देंगे, लेकिन उन मजदूरों को दो महीने का वेतन न देकर उनको भगा दिया गया। जब मैंने निर्माण मन्त्री महोदय से पूछा तो उन्होंने कहा कि जौनपुर का पुल ज्यादा जरूरी है और गोरखपुर का, और उन्होंने अपने जिले में सारी मशीनरी और लेबर को लगाया..

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

जब कोई माननीय सदस्य बोल रहा तो बीच में टोका—टाकी नहीं करना चाहिए।

श्री त्रिवेनी—

अव्यवस्था आप ही पैदा करते हैं। मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। किसी माननीय मन्त्री को यह कह दें कि सारी मशीनरी वह अपने जिले में भेज दिए, यह कहां तक उचित है.....

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें व्यवस्था की क्या बात है, माननीय सदस्य को अपनी बात कहने की स्वतन्त्रता है।

श्री भगवती प्रसाद—

मान्यवर, सन् 1971-75 तक जो योजना थी पुल बनवाने की उसके अन्तर्गत उस पुल पर कितनी धनराशि की क्षति हुई है उसके बारे में मैंने असेम्बली में प्रश्न किया तो तो विस्तार का होने के नाते उसको काट दिया गया। सन् 1971, सन् 1972 के आंकड़े इनके पास होना चाहिए था। मैंने अर्ज किया कि श्री वेदप्रकाश जी ने तो इनकी बखिया उधेड़ डाली है इसलिए मैं अब कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा।

राय साहब के जिले में स्थान-स्थान पर सड़कें हैं लेकिन आजमगढ़ जिले में दीदारगंज से बूढ़नपुर तक एक सड़क है मेरे जिले मालीपुर से रामगढ़ फैजाबाद में जिस पर कोई साइकिल तक नहीं चल सकती लेकिन भूतपूर्व मन्त्री सार्वजनिक निर्माण विभाग यादव जी अपने किसी दोस्त की बारात में जिस सड़क पर आए थे बेलवाई वाली सड़क उन्होंने उसे वहां सात दिन में बनवा लिया।

श्री त्रिवेनी—

वह तो बजट प्लान की सड़क थी.....(व्यवधान)।

श्री भगवती प्रसाद—

मैं काफी बात कह सकता हूं और राय साहब अगर आप मुझे कहने नहीं देंगे तो आप सब भी नहीं कह पायेंगे क्योंकि आप डिस्टर्ब करते हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य अपनी बातें कहें, उनकी बातों पर उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री भगवती प्रसाद—

आप मुझे अपनी बात नहीं कहने देंगे, आप मजाक बनाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य, यह लड़ाई लड़ने का स्थान नहीं है, आप अपना विचार व्यक्त करें। आपका समय चला जायगा और आपकी बात भी रह जायगी इसलिए आप अपनी बात कहें।

श्री भगवती प्रसाद—

मैंने जब विधान सभा में प्रश्न किया चार आंकड़े मांगे सन् 1971 से लेकर सन 1973 तक के कि क्या लोहा और सीमेंट टोंस जैसी छोटी नदी में बह गया तो उसके आंकड़े इनके पास नहीं थे, लाखों रुपयों का सीमेंट और लोहा बह गया और छोटी सी जलालपुर की सड़क है जिसके लिये मैंने मन्त्री जी को 22 ज्ञापन दिए और प्रश्न पूछे। उत्तर मिला कि धनाभाव है लेकिन वहां एक हरिजन किसान का लड़का जिसकी जिन्दगी लाखों रुपये की होती है 14 साल का लड़का सड़क की खराबी के कारण दब कर मर गया तो क्या सरकार उसके लिए लाखों रुपयों का मुआविजा दे सकती है ?

आज दो तिहाई धन पी0 डब्ल्यू0 डी0 का एशोआराम में खर्च होता है पूरे प्रदेश में यह किसी से छिपा नहीं है। हमारे जिले के श्री भगौती शुक्ल ने हमारे जिले की सारी बातें कह दी हैं तो केवल इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि पी0 डब्ल्यू0 डी0 में 20 हजार मजदूरों की जो छटनी हुई है उसमें जिन लोगों की छटनी हुई है वह छोटे वर्गों के लोगों की, भूमिहीनों की, किसान वर्ग के लोगों की ही छटनी हुई है लेकिन इन्जीनियरों की छंटनी नहीं हुई है और अगर हुई भी है तो वह नाम-मात्र के लिए हुई है।

अन्त में एक बात कहता हूं कि पहले जमाने में सड़क की कुटाई होती थी वह मजदूर करते थे अब रोडवेज के चक्के से होती है उस वक्त जो कंकड़ पड़ते थे, वह मजबूत होते थे और कई-कई सालों तक चलते थे। उसकी कुटाई न होने के रोडवेज की गाड़ियां अक्सर फेल होती है और नतीजा यह होता है, कि एक गाड़ी एक महीने से अधिक नहीं चल पाती है। इस तरह से आप इस विभाग में जिधर भी जाइए भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। लिहाजा में मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह जरा ऐसी खराब सड़कों की दुरुस्ती करायें। अगर वह सड़कों को देखेंगे नहीं तो चलना दुश्वार हो जायगा और फिर काम चलने वाला नहीं है मन्त्री जी को खराब सड़कों पर मोटर के बजाय तांगा से चलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य का समय समाप्त है।

श्री बालकृष्ण सनवाल (जिला नैनीताल)—

उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के कुछ सदस्यों ने इस विभाग के भ्रष्टाचार की तथा सड़कों के न बनने की बात कही। मैं पहले भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कुछ बातें कहूंगा। भ्रष्टाचार हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग सा बन गया है। आज उसके कारणों पर जाने की आवश्यकता है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मेरे जीवन का अंग भ्रष्टाचार नहीं है। माननीय सदस्य अपने लिए कह सकते हैं, मेरे लिए नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप को 'सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ी।'

श्री बाल कृष्ण सनवाल—

भ्रष्टाचार है और हमको उसके कारणों पर जाने की आवश्यकता है। आज हम धन को तथा पद को महत्ता देते हैं और किसी अन्य चीज को महत्ता नहीं देते। लिहाजा स्वाभाविक है कि धन तथा पद प्राप्ति के लिए लोग संघर्ष करें। पिछले वर्ष जूनियर इन्जी-

[श्री बालकृष्ण सनवाल]

नियर्स की हड़ताल हुई और उनकी एक शिकायत यह थी कि उनकी पदोन्नति का मार्ग अवरुद्ध है। पद उनको नहीं मिल सकता तथा धन पैदा किया जाय। लिहाजा धन प्राप्ति के लिए वह गलत तरीके अपनायेंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा था उनकी तरक्की के लिए एक निश्चित माप दन्ड निश्चित किया जाना चाहिए। जिससे जो योग्य हो, जिसकी चरित्र पंजिका अच्छी हो, जो सीनियर हों ऐसे जूनियर इन्जीयिर्स को पदोन्नति करने के लिए कुछ प्रतिशत 40 या 50 नियत किया जाना चाहिए। इससे भ्रष्टाचार कम होगा।

दूसरी सड़कों की बात कही गयी। सड़कें प्रगति के मार्ग पर ले चलने वाली होती हैं। सड़कों से विकास होता है ? बिना सड़कों के विकास अवरुद्ध रहता है। कटौती के प्रस्ताव रखने वाले मेरे साथी ने कहा कि धनराशि को घटा दिया जाय। बजाय इसके वह यह कहते कि अधिक रुपया उपलब्ध कराया जाय जिससे ज्यादा सड़कें बन सकें तो अच्छा होता।

श्री उपाध्यक्ष—

कटौती के प्रस्ताव का यह नियम है। इस विवाद में आप मत जाइए।

श्री बालकृष्ण सनवाल—

मेरा निवेदन यह है कि इस समय धनाभाव के कारण जो परिस्थिति पैदा हो गई है वह सभी जानते हैं लेकिन फिर भी इन कठिन परिस्थितियों में विभाग ने अपना काम चालू रखा है और जो पुरानी सड़कें बनी हैं उनके रखरखाव और अधूरे काम हैं उनको पूरा करने का काम जारी रखा है।

इसके साथ ही साथ एक और नई बात की गई है कि जो ठेकेदारी प्रथा है जिसके कारण काम में खराबी होती थी और मुनाफे व कमीशन वगैरह में धन चला जाता था वह ठेकेदारी प्रथा भी कम की गई है। इसके लिए मैं माननीय मन्त्री जी को बधाई देता हूं।

मान्यवर, पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में कुछ बातें कही जाती हैं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं इस सदन के माननीय सदस्यों से कि जितना काम मैदानी हिस्से में जितने धन पर होता है उतना धन खर्च करने पर पहाड़ में एक चौथाई काम भी नहीं हो सकता है। आपको ज्यादा धन दिखाई देता है लेकिन उससे कितना काम हो सकता है यह एक विचारणीय प्रश्न है। क्या वहां पर काम नहीं होना चाहिए ? सोचने की बात है। एक दूसरा प्रश्न है जब से 1962 की लड़ाई हुई उससे पहले को अगर आप देखे तो वहां पर सड़कों के निर्माण का कार्य बहुत कम हुआ है। चाईनीज एग्रेशन के बाद ही भारत सरकार और प्रदेश सरकार का उधर ध्यान गया है। आज वहां पर सीमा की सुरक्षा की दृष्टि से और वहां के लोगों में आत्मविश्वास पैदा करने की दृष्टि से तथा उनके आर्थिक विकास के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि वहां पर अधिक से अधिक सड़कों का निर्माण किया जाय।

मान्यवर, मैं नैनीताल जिले से आता हूं वहां पर कुछ सड़कों के लिए ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक है जैसे "रामनगर कालागढ़" कालाढूंगी भिबौरी" "कोटाबाद से देलोन पाटकोट," एक और "नैनीताल विनायक होते हुए कोटाबाग" जो जंगलात विभाग ने बनाई है उसके लिए निवेदन करूंगा कि उसे सार्वजनिक निर्माण विभाग अपने हाथ में ले ले। जिससे उस क्षेत्र में सड़कों की सुविधा लोगों को उपलब्ध हो सके। पहाड़ों में सड़कों का होना अत्यन्त आवश्यक है जो वहां की लाइफ लाईन है। इसी तरह के एक और सड़क, रामगड़ स्टेशन से डाकबंगले तक, जो केवल 4 किलोमीटर है जिसके लिए कई लोग कहते आए हैं और भूतपूर्व मुख्य मन्त्री माननीय गुप्ता जी ने जो घोषणा की थी कि यह बननी चाहिए। इसी तरह से रानी घाट बंतोल घाट सड़क है। इसी तरह से कुछ पुलों का बनना भी आवश्यक है, चांफी, खनस्यं में जो स्वीकृत हैं उनके बनाने में शीघ्रता की जाय तथा एक नया पुल रतौड़ा-कोसी में बनाया जाय। इसी तरह से गोला में भी पुल बनाया जाय।

इसके साथ-साथ मेरा एक और निवेदन है कि जो पैदल सड़कें हैं उनका रखरखाव भी अत्यन्त आवश्यक है। इसी तरह से पुराने पुल हैं उनका भी रख रखाव, किया

1975-76 के आय-व्यय क में अनुदानों के लिए मगों पर मतदान--अनुदान संख्या 325 24--सार्वजनिक निर्माण कार्य, अनुदान संख्या 34--आवास भवन, अनुदान संख्या 60--संचार साधन, अनुदान संख्या 61--कार्यात्मक भवन, अनुदान संख्या 62--सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान, अनुदान संख्या 67--सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय अनुदान संख्या 68--कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 70-आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय, तथा अनुदान संख्या 83--संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय

जाना चाहिए। मेरा निवेदन है कि जो नई सड़कें आप बनायें उसके साथ साथ पुरानी सड़कों की देखभाल भी अत्यन्त आवश्यक है . . .

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है।

श्री बालकृष्ण सनवाल---

इन शब्दों के साथ मैं जो यह सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांगें रखी गई हैं उनका समर्थन करता हूं।

श्री दीनानाथ सेवक (जिला रायबरेली)---

माननीय उपाध्यक्ष जी, वैसे तो भ्रष्टाचार सभी विभागों में है लेकिन इस सार्वजनिक निर्माण विभाग में उसका बृहद रूप देखने में आता है। इस सम्बन्ध में मैं विस्तार में न कह कर यह कहना चाहता हूं कि इसमें जो जूनियर इन्जीनियर, ठेकेदार या दूसरे लोग नौकरी में लगते हैं मुश्किल से 4,6 महीने की नौकरी के बाद या जैसे-जैसे समय बढ़ने लगता है तैसे-तैसे उन की मोटरकार, बंगले में या शहरों में बढ़ते चले जाते हैं। मैं सुल्तानपुर की बात बताता हूं वहां अमेठी तहसील से सड़क ककवा नामक स्थान को जाती है, उसपर ककवा में एक पुल बना अभी दो साल भी नहीं हुए कि उसकी दिवाल टूट गई है और छत जो है वह सड़क की मिट्टी पर लटक रही है। यदि मिट्टी धस जाए तो छत नीचे गिर जाएगी। कोई उससे नहीं जा सकता मिट्टी है।

मान्यवर, अगर सड़कों के बारे में रायबरेली का नाम लें तो शायद माननीय सदस्य हंसी करेंगे। क्योंकि दुर्भाग्य से या सौभाग्य से मुल्क की प्रधान मन्त्री और इसी विभाग के मन्त्री उसी जनपद से आते हैं। तो मैं 5 मिनट में तो पूरी राय बरेली का नक्शा तो नहीं सामने रख सकता हूं लेकिन उस जनपद के एक हिस्से का जिक्र करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में एक ब्लाक जो डीह है। सौभाग्य से मन्त्री जी चन्द दिन पहले वहां गए। जनपद के अधिकारियों ने मुझे सूचना नहीं दी अन्यथा मैं उपस्थित होकर उनका स्वागत करता। पहली बार सार्वजनिक निर्माण मन्त्री वहां गए थे उन्होंने उस सड़क को देखा होगा और उनको अनुभव हुआ होगा तभी उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं इसको देखूंगा। तो मैं इसी सड़क के बारे में बताना चाहूंगा कि वह सड़क रायबरेली से परसदेपुर जाती है और उसी से मन्त्री जी गए भी थे। जहां पर राही ब्लाक की सीमा खत्म हो तो है, वहां से उसका बनना समाप्त हो गया है। उसके आगे सड़क पर कहीं दस फीट मिटटी पड़ी है, कहीं एक किलोमीटर पड़ी है, बीच-बीच में मिटटी नहीं पड़ी है और अब की बरसात में सारी मिटटी बह कर चली जायगी। उसके आगे कोई सड़क बनवाने का नाम लेने वाला नहीं है। इसके अलावा उस ब्लाक की सड़कों को अगर गौर से देखा जाय तो आजादी के बाद से आज तक सिर्फ एक सड़क जो सलोन से जायस जाती है, का कुछ हिस्सा ही क्षेत्र में पड़ता है, उस सड़क के अलावा उस ब्लाक में कोई ऐसी सड़क नही है जिसको कहा जाय कि सड़क बनायी गयी। दो एक सड़कें केस प्रोग्राम में बनाई गयी, उन का हाल यह है कि पैदल आदमी नहीं चल सकता ऐसी मिट्टी डाली गयी है कि बस ईश्वर ही जाने पता नहीं सड़कें फाइनल हो गयीं या अभी शेष हैं। एक सड़क डीह से मऊ जाने वाली भी बनी है। केवल मिट्टी पड़ी है। लेकिन बीच में उस में कई कटाव है। आज तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके अलावा एक सड़क बहुत जरूरी है जो बिन्नाव से नसीरा-

बाद जाती है। उस पर तो कतई ध्यान नहीं दिया गया? एक सड़क ऐसी है जो मुगल काल के समय की है। कभी मेवाराम डिप्टी कलेक्टर गए थे उन्होंने उस पर एक बार मिट्टी डलवायी थी। तभी से वह मेवाराम सड़क के नाम से मशहूर है। वह तीन चार क्षेत्रों को मिलाती है। उस तरफ क्यों ध्यान नहीं दिया? एक सड़क के विषय में और कहूंगा जो गौरीगंज, (सुल्तानपुर) से जमालपुर तक बनी है जो निरुद्देश्य है। अगर वह दो मील और बढ़ा दी जाय तो अठेहा (प्रतापगढ़) से उसका सम्बन्ध जुड़ सकता है। नहर की पटरी तक वह सड़क छोड़ दी गयी है। पता नहीं किस लक्ष्य से बनायी गयी थी। मेरा सुझाव है कि उस सड़क को तीन किलो मीटर और बढ़ा दिया जाय, तो लक्ष्य पूर्ण हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बधाई देना चहता हूं कि इस सार्वजनिक निर्माण विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर विचार करने का अवसर दिया। मैं माननीय मन्त्री ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। साथ ही साथ मन्त्री जी को कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं।

मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण विभाग ऐसा विभाग है जिससे देश और प्रदेश, जिला और गांव की तरक्की हो सकती है। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा देश के कोने-कोने में प्रदेश के कोने-कोने में सड़कें बनायी जायं, आवागमन के साधन न हों, तो देश और प्रदेश कोई तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए देश और प्रदेश की तरक्की के लिए अति आवश्यक है कि इस विभाग को अधिक से अधिक पैसा देकर और पूरे देश में सड़कों का निर्माण करा कर अपने देश की तरक्की के लिए व्यवस्था की जाय। मैं चाहूंगा कि इस विभाग में कटौती का प्रस्ताव न आ कर के सर्वसम्मति से सुझाव आना चाहिए, कि इस विभाग को अधिक से अधिक धन दिया जाय जिससे पूरे प्रदेश में आवागमन के साधन बन सकें और अपने देश की तरक्की हो सके। मिसाल के तौर पर अपने जिले के बारे में आपके सामने कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। हमारा जिला बलिया उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। मैं प्रदेश के अनेकों जिलों में घूमा हूं। बहुत से जिलों में काफी सड़कें बनी हैं। किन्तु बलिया जिले में नहीं के बराबर है। दो, चार, पांच सड़कें बड़ी हैं। उनकी हालत इतनी चिन्ताजनक है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस पर रोडवेज की बसें चलती हैं, वह ड्राइवर बस चलाने के लिए इन्कार कर देता है। बसों के आए दिन टायर फटते रहते हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि बलिया जिले की तमाम सड़कों का सर्वे करवा लें और जिनकी हालत चिन्ताजनक है शीघ्र से शीघ्र उनका सुधार करने की कृपा करें। एक सड़क फेफना गड़वार नगरा को जाती है। लम्बी चौड़ी सड़क है। काफी व्यस्त रहती है। लेकिन उसकी हालत इतनी खराब हो गयी है कि रोडवेज की बसेज का चलना मुश्किल हो गया है। सिकन्दरपुर से कठौरा की एक सड़क है। यह यू0 पी0 को बिहार से मिलाती है। घाघरा नदी के किनारे-किनारे जाती है और बिहार से आती है। इसकी हालत चिन्ताजनक है जिससे बसों का चलना असम्भव हो गया है। इसी तरह से एक सड़क सीयर से रसड़ा की है उसकी हालत भी बहुत खराब है।

अब यह सुनने में आया है कि तुर्तीपार का पुल बनाया जा रहा है। इसकी चर्चा पांच साल से चल रही है लेकिन अब इसको बनाने के लिए पीपे गिराए गए हैं। लेकिन इसकी गति इतनी धीमी है कि पता नहीं कब तक यह पुल बन पाएगा। मैं चाहूंगा कि विभाग इस ओर गम्भीरता से ध्यान दें और इसको जल्द से जल्द बनवाने की व्यवस्था करे। जो कुछ भी बजट मिला है उससे सुधार करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। त्वरित योजनाओं तथा क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत सरकार ने कई सड़कों का निर्माण कराया है। इनसे जनता को बड़ा लाभ पहुंच रहा है। लेकिन भविष्य में उनकी मरम्मत कैसे होगी। यह समझ में नहीं आ रहा है। हम लोगों ने सामुदायिक विकास मन्त्री से कहा था कि यह सड़कें बड़ी उपयोगी हैं इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि भविष्य में इनकी मरम्मत तथा रखरखाव कैसे होगा। उन्होंने अपना विचार जाहिर किया था कि सार्वजनिक विभाग द्वारा करना चाहते हैं। सार्वजनिक विभाग बड़ा सुन्दर और अच्छा काम करता है इसलिए जितनी सड़कें त्वरित योजना तथा क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत बनी हैं उनको यह विभाग अपने हाथ में ले ले जिससे इन पर जो सरकार का लाखों करोड़ों रुपया खर्च हुआ है वह बर्बादी से बचे और यह सड़कें पक्की करा दी जायं।

जहां तक भ्रष्टाचार की बात है। वैसे तो यह एक आम चर्चा का विषय बन गया है। कोई एक व्यक्ति या विभाग का नहीं रह गया है जिसकी जोरदार चर्चा की जाए। लेकिन हमारे मन्त्री जी सजग प्रहरी हैं तथा लगन और दिलचस्पी से काम करते हैं। इसलिए आपके विभाग में जहां कहीं भी यह दिखाई दे उसका सुधार करने का प्रयास करें ताकि आपको यश मिले, जनता को राहत मिले और सरकार की खामियों का सुधार हो।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष जी कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। लेकिन इसकी जो मंशा है वह सर्व विदित है कि सरकार ने स्वयं ही यह कटौती के रूप में पेश किया है। यह बड़ी विडम्बना की बात है कि एक्सपर्ट्स इस विभाग के काम को अनप्रोडक्टिव मानते हैं और यह एक हवा चल पड़ी है कि अनप्रोडक्टिव कामों के खर्चे को कम किया जाय। मन्त्री जी हमारे खुशकिस्मत हैं कि मौजूदा विभागों की अगर कोई भ्रष्टाचार की लिस्ट बनाई जाए तो जहां यह विभाग टौप पर रहता था वहां अब यह दूसरे तीसरे नम्बर पर जाएगा। लेकिन खिलाड़ी अब भी इनके विभाग में मौजूद हैं। उन पर कहां तक अंकुश लगेगा।

मैं आपके द्वारा 2-3 बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। पिछले साल जो काम सार्वजनिक विभाग ने किए वह कुछ नहीं के बराबर थे क्योंकि फंड्स बहुत कम थे। 16 करोड़ रुपए क्रैश प्रोग्राम में खर्च हुए तो चार करोड़ का भी काम नहीं हुआ। सारे के सारे रुपए का अपव्यय हुआ और जनता की गाढ़ी कमाई का फैसला न जाने कहां फेंक दिया गया मैं माननीय मन्त्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि वे तमाम मामले की जांच करा कर भ्रष्ट अधिकारी जो इसमें फंसे हुए हैं उनके खिलाफ शख्त से शख्त कार्यवाही की जाय।

माननीय, यह जो पुस्तिका बंटी हुई थी उसके देखने से यह मालूम होगा कि जो उसमें एलाट हुआ है, न जाने इस सरकार को क्या हो गया है, न जाने वह हमको कहां फेंक देना चाहती है इस तरह से घोर उपेक्षा आप न करें पूर्वी जिलों के साथ कोई भी काम का जिक्र इस लिटरेचर में हमको नहीं मिलता है। देवरिया जिले में भागलपुर के पास 8 लाख का स्टील पी डब्ल्यू 0 डी 0 विभाग ने खरीद लिया लेकिन वहां पर किसी तरह से पुल नहीं बन पाया। उपाध्यक्ष जी, यह 8 लाख की तो सरकारी खरीद थी, यह जब व्यापारियों को दिया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा]

गया तब उसकी कीमत 20 लाख थी। आज तक वह न स्टील वापस ली जा रही है और न पुल ही बन रहा है। असरदार आदमी जहां पर थे, जहां पर सत्ता पक्ष के लोग थ, उन्होंने अपना काम करा लिया। जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं, उनके दरवाजे के सामने से सड़क बनी। 4 मील में ही वह सारा का सारा पैसा खर्च हो गया। यह जो सड़क है जिसको आप बनवा रहे हैं। जहां पिपरिया में आपने बनवाया है, तो उस जिले से उसको मिला दीजिए। जो आगे तक सड़क बनी है, बीच में अगर 4-5 किलो मीटर सड़क कम है, तो उसको आप कम्पलीट करा दीजिए। 6-6, 7-7 किलोमीटर के फासले हैं अगर इसको आप जोड़ देंगे तो बहुत बड़ी सड़क बन जायगी। मजदूरों के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंगलदेव जी ने जब सार्वजनिक निर्माण मन्त्री थे, तो उन्होंने एक नियम बनाया था कि 3 साल की सर्विस के कर्मचारियों को परमानेंट कर दिया जाय, कर्मचारी परमानेंट हो भी रहे थे। मान्यवर, इस विभाग में कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं निकाला गया। कौन निकाला गया? सड़कों पर काम करने वाला मजदूर, जिसके घर में खाना नहीं है, जिसके पास पहनने का कपड़ा नहीं है। आप उनको फिर से काम पर लीजिए और जो तीन साल से ऊपर काम करने वाले मजदूर हैं उनको परमानेंट कीजिए। कुछ मैं सुझाव देना चाहता हूं मान्यवर, इकोनामी के लिए। बड़ी-बड़ी बिल्डिगों का बनवाना बन्द कर दीजिए। बड़े-बड़े भवनों को बनवाना बन्द कर दीजिए। किसी शहर में किसी होटल में आप रहिए तो 25-30 रुपये से कम का कमरा नहीं मिलता है। एल0 आर0 पी0 का जो कमरा है, उसमें अधिकारी लोग दो-दो रुपए पर चौबीस घन्टे के लिए रहते हैं। तो इन एल आर0 पी0 के कमरों का चार्ज 25-30 रुपए से कम नहीं होना चाहिए। इससे सरकार को पैसा मिलेगा। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं। मान्यवर, हुगली के पास एक छोटी गन्डक के पास एक पुल है, वह पुल बन जाने से जनता लाखों रुपया देगी, उस पर आप प्रायरिटी दीजिए।

*श्री राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया (जिला आगरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। मैं जो बजट माननीय मन्त्री जी ने पेश किया है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और कट मोशन का विरोध करता हूं। मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी के समक्ष रखना चाहता हूं और आशा करता हूं कि मेरी उन समस्याओं पर वे अवश्य ध्यान देंगे। पहली समस्या यह है कि आगरा से फतीहाबाद होते हुए जो सड़क जाती है वह कलकत्ता और बम्बई जाती है। इस पर मान्यवर, 800 ट्रक रोजाना आते-जाते हैं। यह मार्ग बहुत चालू है। यह सड़क खराब हो चुकी है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस सड़क को राष्ट्रीय मार्ग घोषित किया जाए और इसकी मरम्मत करायी जाए।

दूसरी समस्या की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। फतीहाबाद और फिरोजाबाद की दूरी लगभग 14 किलोमीटर है लेकिन यमुना नदी पर पुल न होने के कारण चक्कर काट कर आना पड़ता है जिसके कारण यह 14 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर हो जाती है। यह है कि अगर यहां पर पुल बन जाए तो बहुत से औद्योगिक केन्द्र खुल सकते हैं। इसका परिणाम यह होगा कि लोगों को रोजगार मिलेगा। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि माननीय मन्त्री जी इसको प्राथमिकता दें और इस पुल का निर्माण कराया जाए। सर्वे भी हो चुका है, यह सारी चीजें दफ्तर में मौजूद हैं। इसलिए माननीय मन्त्री जी इसको प्राथमिकता दें।

तीसरी समस्या की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में पुनर्गठन की बड़ी आवश्यकता है। इसके अन्दर बहुत खराबियां हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह दूर हो जाएगी अगर इसका पुनर्गठन कर दिया जाए। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो नए ठेकेदार हैं उनको सुविधा दी जाए। उससे लाभ यह होगा कि जो कमीशन डिपार्टमेंट में बन्धा हुआ है उस पर अंकुश लगेगा और उन नए ठेकेदारों को अपना कार्य करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही साथ ठेकेदारों में कम्पटीशन की भी भावना पैदा होगी जिससे विभाग को फायदा होगा।

मान्यवर, एक सुझाव और देना चाहता हूं कि जो पैसा माननीय मंत्री जी ने सड़कों के लिए दिया उसका बराबर बटवारा किया जाना चाहिए। ऐसा न हो किसी क्षेत्र को ज्यादा और किसी को कम पैसा मिले। इन शब्दों के साथ मैं जो बजट माननीय मन्त्री जी ने पेश किया उसका समर्थन करता हूं और मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा बजट प्रस्तुत किया है जिसके लिए हम अनुगृहीत हैं।

श्री तीरथ राम कोहली (जिला इलाहाबाद)---

मान्यवर, मैं वेद प्रकाश जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय वेद प्रकाश जी ने जो भ्रष्टाचार की चर्चा की है उससे 3-4 चीजें सामने आयी हैं। हमारे यहां इलाहाबाद में एक जैन हैं ए0 ई0। वह निर्माण विभाग में कार्य कर रहे हैं। मैंने उनके खिलाफ दिनांक 5 फरवरी, 1975 को चार्ज शीट सी बनाकर दिया था। उस समय मन्त्री जी ने कहा कि मैं एक सप्ताह के अन्दर जांच करा कर आपको बताऊंगा। आज 2 महीने हो गए हैं लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। ऐसा लगता है कि मुख्य अभियन्ता ने जांच करा ली है लेकिन वह फाइल दराज में ही पड़ी हुई है। अभी इन दिनों जब मैं इलाहाबाद गया हुआ था तो 2-3 चीजें उनके बारे में और मिली हैं। एक तो वर्क आर्डर उन्होंने दिनांक 30 अप्रैल, 1973 को दिया उसका टेन्डर्ड एमौन्ट 50 हजार रुपया था लेकिन बाद में उससे 68 हजार रुपए में करवाया, ताकि ठेकेदार को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंच सके। इतना करने पर भी वहां के अभियन्ता वहीं पर विराजमान है। जबकि वह काम बाद में खत्म हुआ लेकिन उसकी डेट औफ कम्पलीशन 15 फरवरी, 1974 दिखाई गई ताकि उस पर पैनाल्टी न लग सके। इसमें यहां तक भी हुआ कि सामान भी डेट औफ कम्पलीशन के बाद में ही इशू हुआ।

एक और वर्क आर्डर जारी हुआ जिसका नं0 49 ए0 ई0 दिनांक 5 नवम्बर, 1973 का था। इसकी डेट औफ कम्पलीशन भी दिनांक 4 दिसम्बर, 1973 की दिखाई गई ताकि दूसरे ठेकेदार को फायदा पहुंचाया जा सके और उसे पैनाल्टी से बचाया जा सके जबकि उस काम के लिए सीमेंट उसी दिन इश्यू किया गया। फिर भी वह अभियन्ता वहीं पर बने हुए हैं।

एक और टेन्डर जिसका नं0 54 ई दिनांक 14 दिसम्बर, 1973। उसमें ब्रिक वर्क लाइम में होने वाला था। बाद में उसको भी सीमेंट में चेन्ज किया गया ताकि ठेकेदार को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जा सके। जब उसकी जानकारी अधिकारियों को है तो समझ में नहीं आता है कि सम्बन्धित अभियन्ता के विरुद्ध क्यों नहीं कार्यवाही की जाती है। एक और टेन्डर जिसका नं0 2 ए0ई0 है वह दिनांक 5 जुलाई, 1974 का है। उसमें भी डेट औफ कम्पलीशन दिनांक 7 अगस्त, 1974 थी लेकिन सामान ठेकेदार को एक माह बाद दिनांक 29 सितम्बर, 1974 तक दिया गया ताकि ठेकेदार को पैनाल्टी के बचाया जा सके, इसके लिए यह सब किया गया। इस प्रकार से आपके अभियन्ता

[श्री तीरथ राम कोहली]

लोग भ्रष्ट हैं। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि ठेकेदारी की प्रथा समाप्त की जाय। इस सिलसिले में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इसी अभियन्ता ने एक मस्टररौल लिया जिसमें 2 बेलदारों को दिखा कर उनसे अपना काम 4 महीने तक करवाते रहे और हर महीने 25-25 सीमेन्ट बोरा कन्ज्यूम दिखाते रहे, कुछ पता नहीं है कि कहां लगे, किस काम में लगे। आज तक उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जब उसकी जानकारी एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर के नोटिस में आई तो उसने पास नहीं किया और 10 हजार रुपये आज भी उस अभियन्ता के नाम से पड़ा हुआ है लेकिन फिर भी उसको वहां से नहीं हटाया गया है। तो ऐसा मालूम पड़ता है कि उसकी सांठ-गांठ या तो कुछ मन्त्रि परिषद् के सदस्यों से है या उनके जो बड़े अधिकारी हैं, उनके साथ है।

अब मैं अपने क्षेत्र के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र चायल इलाहाबाद जिले में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। उसमें किसी भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। वहां पर एक सड़क है जो 70-80 फुट चौड़ी है। काश्तकार लोग उसे धीरे-धीरे हड़पते जा रहे हैं। पीपल गांव से असरावत खुर्द को जाती है जो जमुना जी के घाट को शहर से नजदीक लाती है, उसका निर्माण हो जाय, एक सड़क भगवतपुर मंदरी से मखऊपुर है उस पर कंक्रीट डाल दी गई है लेकिन तारकोल नहीं हो पाया है। दूसरे जी0 टी0 रोड से बमरौली जो सड़क जाती है, उसका भी निर्माण नहीं किया गया है। इतना ही नहीं एक और सड़क जो इस समय दिल्ली से नेशनल हाई वे 2 है उसकी बड़ी ही दुर्दशा है। 5-6 साल से उसकी कोई रिपेयरिंग नहीं हुई है। ट्रकों के टायर फट जाते हैं। मेरी प्रार्थना है कि मन्त्री जी उसको भी ठीक कराने के आदेश देने की कृपा करें।

(इस समय 3 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन : पीठासीन हुए।)

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसके अनुमोदन के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारा यह विश्वास है कि हमारे मन्त्री जी बड़े जागरूक हैं अपने विभाग के बारे में और निश्चित रूप से वे उन कमियों को दूर करेंगे जो अभी विभाग में रह गयी हैं। साथ ही, मैं एक ऐसे जिले का रहने वाला हूं जिसमें बहुत सी कमियां हैं। पुलों के नाम पर सुल्तानपुर शहर मे केवल एक है गोमती नदी पर और वह पुल भी सौ साल के लिए बनाया गया था लेकिन दो सौ साल हो गए हैं और वह इतना जर्जर हो गया है कि बरसात में पुलिस की डियूटी लगायी जाती है कि कोई भारी गाड़ी न निकले नहीं तो वह टूट जायगा। और एक बार उस पुल की प्लेट भी बदल चुकी है। कई बार सुल्तानपुर के इन्जीनियर्स, वहां की जनता और प्रतिनिधियों ने इसके लिए लिखा लेकिन सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि खास करके उस पुल को बनवा दें वरना किसी भी बरसात में वह गिर सकता है। इसके अलावा उसी गोमती नदी पर कोडवार और दियरा में पुल निर्माण की आवश्यकता है क्योंकि यातायात में बड़ी कठिनाई पड़ रही है।

हमारे जिले में 10-20 ऐसी सड़कें हैं जिनकी लम्बाई 6 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 8 किलोमीटर है लेकिन उनको बना देने पर हजारों किलोमीटर की दूरी एक में जुड़ जाती है। एक सड़क ढकली से जंगपुर 6 किलोमीटर लम्बी है। अगर वह जोड़ दी जाय तो आजमगढ़ से सुल्तानपुर का सीधा रास्ता निकल सकता है नहीं तो पचासों किलोमीटर घूम कर आजमगढ़ से सुल्तानपुर आना पड़ता है। 4 किलोमीटर की एक सड़क बरसंगपुर से महरुआ तक की है। इसके जोड़ देने से टांडा, अकबरपुर का सीधा रास्ता सुल्तानपुर से हो जाता है। दोसपुर से मडिलडीह जोड़ देने से इलाहाबाद तक की बहुत कम दूरी हो जाती

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। मन्त्री जी इत्तफाक से ऐसे जिले के रहने वाले हैं जहां दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो रही है क्योंकि हमारी प्रधान मन्त्री जी की कृपा है और मन्त्री जी की भी कृपा है। अगर हम पड़ोस में अभावहीन रह जायेंगे तो शोभा नहीं देगा। अडोसी पड़ोसी सब धन धान्य से पूर्ण रहें तो बड़ा अच्छा लगता है। एक श्लोक है जिसका मतलब है कि अगर पड़ोसी भूखा रहे तो दाल नहीं बघारनी चाहिए। इसलिए कि उसकी आवाज जाएगी पड़ोसी के कान में। इसलिए अगर हम दुखी रहेंगे मन्त्री के पड़ोस में रह कर तो ठीक नहीं रहेगा।

इसके अलावा करोड़ों रुपया सरकार का बरबाद हो रहा है उन सड़कों पर जिन पर मैंन पावर स्कीम के अन्तर्गत मिट्टी डाली गयी थी। बरसात में वह मिट्टी बह रही है। अगर उन पर कंकड़ डाल दिया जाय तो वह सड़कें बहुत अच्छी हो जायेंगी। इसलिए मन्त्री जी कृपा कर के उन पर कंकड़ डलवाने की व्यवस्था करा दें। उन सड़कों में काफी बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं जिसके कारण यातायात की बड़ी कठिनाई है। मैं उम्मीद करता हूं कि मन्त्री जी इस पर ध्यान देने की कृपा करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री जी को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वह हमारी इन सड़कों को पूरा करेंगे।

श्री राम प्रकाश यादव (जिला मथुरा)---

अध्यक्ष महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, इस विभाग का जो रूप है, जो उसका पी०डब्ल्यू०डी० नाम है उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें अक्षर पी० है पाकेट के लिए, डब्ल्यू० है वाइन के लिए और डी० है डाइट के लिए। इस पूरे का अर्थ हो जाता है कि जेब खाने-पीने और शराब पीने वाला विभाग। इस विभाग को जितना भी पैसा एलाट होता है, वह अधिकतर इसी में खर्च हो जाता है। यही कारण है कि आज हमारे प्रदेश में बहुत कम सड़कें बनी हैं। आजादी के बाद अब तक यदि देखा जाय तो पता चलेगा कि केवल सवा दो गुनी सड़कें बनी हैं। जोकि बहुत कम हैं। मैं ऐसे क्षेत्र से चुनकर आया हूं जिस क्षेत्र से जो भी सदस्य यहां चुन कर आते रहे उन्होंने कभी हमारे यहां की समस्याओं को सदन के सामने रखा ही नहीं और वह क्षेत्र उपेक्षित रहा और.....

श्री अध्यक्ष---

जो सदस्य यहां अब हैं नहीं उनके बारे में कृपया न कहें।

श्री राम प्रकाश यादव---

यही कारण है कि उस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया। मैं माननीय मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि वे इस पिछड़े हुए क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दें। हमारे यहां एक सड़क खन्दौली से बलदेव है जो आधी बनी हुई है, मई तक बन गई है तथा मई से आगे आधी अपूर्ण है यदि उसको बनवा दिया जाय तो उससे बड़ा सुधार हो सकता है। इसके न बनने से आवागमन के कोई साधन नहीं हैं और जनता को बड़ी परेशानी हो रही है। इसी तरह से एक सड़क सादाबाद से मुरसान तक है। इसका अधिकतर भाग अलीगढ़ में पड़ता है। अलीगढ़ वाली सड़क तो पूर्ण है, बनी है, मगर जो हिस्सा 4 किलोमीटर का इधर हमारी तरफ पड़ता है वह नहीं बना है। उसे अगर बना दिया जाय तो पूरी सड़क काम में आ सकती है और लोगों को राहत मिल सकती है और आपको राजस्व मिल सकता है इसी तरह से एक सड़क सादाबाद से राया तक है। तत्कालीन मन्त्री जी ने आश्वासन दिय था कि यह सड़क मार्च, 1975 तक पूरी हो

[श्री राम प्रकाश यादव]

जाएगी, मगर दुख है वह अब तक अधूरी पडी है। इस सड़क को तुरन्त पूरा कराया जाय। इसी प्रकार मैं मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि सादाबाद-कैलाश सड़क का निर्माण तुरन्त कराया जाय।

हमारे जिले की एक बहुत पुरानी मांग वृन्दावन की यमुना पर पुल बनाने की चली आ रही है। वृन्दावन एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। इस मांग को लेकर लोगों ने भूख हड़ताल भी की थी। मगर आज तक उस पुल का निर्माण नहीं हुआ। उसे शीघ्र बनवाया जाय। इसी तरह से गोवर्धन ड्रेन पर एक पुल बरसाना में बना था जो सन् 1957 की बाढ़ में बह गया। वहां लाखों आदमी दूर-दूर से आता है, यदि माननीय मन्त्री जी के पास रुपया न हो तो वहां कुछ आदमी को यात्रियों से भीख मांगने के लिए बिठा दें तो इतनी भीख इकट्ठा हो सकती है कि उस पुल का निर्माण आसानी से हो सकता है। इसी तरह के मैनपुरी जिले की किस्नी से सिरसागंज की एक सड़क है जिसमें जगह-जगह तमाम गड्ढे हैं उस सड़क को भी ठीक करा दिया जाय इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

मान्यवर, हमारे प्रदेश में सार्वजनिक निर्माण विभाग एक तरफ तो भवनों का निर्माण करता है और दूसरी तरफ सड़कों और शेडों का निर्माण करता है। मान्यवर, जब-जब यह बजट हमारे सामने पेश किया जाता है तो मुझे खुशी है कि यह बजट पेश करते हुए माननीय मन्त्री जी कुछ आशावादी आंकड़े हमारे सामने पेश करते रहे हैं और मुझे आशा है कि इससे हमारी सड़कों के निर्माण को बल मिलेगा। परन्तु मैं आपको यह भी बतला दूं कि हम सड़कों के निर्माण में कई बार गलतियां करते हैं। हमारी सड़कें रेलों के समान्तर चल रही हैं इसलिये हमारी सड़कों के जरिए हमको वास्तविक लाभ होने चाहिए। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े भारी प्रदेश के लिए सड़कों की एक ठोस योजना बनानी चाहिए ताकि रेल के केन्द्र से दूसरे मुख्य-मुख्य स्थानों को फीड करके सामान को ले जाने के लिए, और उन स्थानों तक पहुंचाने के लिए भविष्य में सुगमता मिल जाय। हम लोग तो मांग करते हैं कि इसके साथ-साथ इस बात का भी ख्याल रखा जाय कि कुछ क्षेत्र जो पीछे रह गए हैं, कुछ स्थान जो पीछे रह गए हैं, और उस खास क्षेत्र में जौ फसल होती है उसको ले जाने के लिए मोटरों द्वारा रेल स्टेशन से जोडा जाय सके। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विभाग उसका अध्ययन करे और अध्ययन करके एक विशेष प्लान रखे कि इतने समय के अन्दर इतने साल के अन्दर उत्तर प्रदेश के हर गांव और हर कस्बे की मोटरों के माध्यम से रेलवे स्टेशन को जोड़ा जा सकेगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पहाड़ों पर पर्यटन का बहुत बड़ा विकास हो सकता है। पहाड़ों पर पर्यटकों के लिए बड़ी भारी खूबसूरती है। फलों की घाटी ही ऐसा है जहां चले जाने पर कोई वहां से आना पसन्द नहीं करेगा। इसी तरह से गंगोत्री की तरफ चले जायं जहां पर बहुत सुन्दर-सुन्दर चोटियां हैं। जैसे सुरकंडा, चन्द्र बदनी, चरबटिया आदि जो गढ़वाल की सुरम्य-चोटियां हैं उनका मैंने नाम लिया है। वहां तक सड़कें पहुंच जायं तो पर्यटन को बड़ा भारी बल मिलेगा। मैदान का आदमी आनन्द लेने के लिए, भ्रमण करने के लिए पहाड़ की इन सुरम्य चोटियों पर आनन्द के साथ जाने के लिए तैयार हो सकता है। यह सरकार कोई ऐसी योजना बनावे जिससे इन सुरम्य चोटियां पर प्राकृतिक सम्पदा का भरपूर लाभ उठाने के लिए सुन्दर साधन उपलब्ध हो सके।

तीसरी बात यह कि एक लम्बी सड़क बनाने से पहाड़ के एक क्षेत्र के लोगों को लाभ हो सकता है लेकिन जहां लम्बी सड़क बने वहां अन्दर के हिस्सों तक पहुंचने के लिए फीड रोड्स का बनाना भी बहुत आवश्यक है। जैसे अगर 100 मील की लम्बी सड़क है तो उसके

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बजाय 20-20 मील की फीड रोड होनी चाहिए ताकि गन्ने को ले जाना हो, चीनी को ले जाना हो या बेसिक स्कूल बनाने के लिए सीमेन्ट वगैरह ले जाना होता है, तो उसमें आसानी हो सके। जैसा कि अभी एक हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि वहां तक हमें एक मन नमक ले जाने के लिए 8 रुपया भाड़ा देना पड़ता है। उसी जगह पर एक-एक किलो सामान के लिए दो-दो रुपए भाड़ा देना पड़ता है। इसलिए इस तरफ भी आपको ध्यान होना चाहिये। यहां पर यह भी कहा गया है कि यह जो बजट हमारे सामने पेश किया गया है उसकी जो सूची है एक तो वह सूची है जो विभाग तैयार करेगा और एक वह सूची है जो सेतु निगम तैयार करेगा। लेकिन मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि टेहरी गढ़वाल जो बहुत बैकवर्ड एरिया है। मैंने कई बार कहा कि उसके ऊपर अभिशाप है। साढ़े 7 सौ वर्षों तक वहां राजा रहे। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को सोचना चाहिए कि वहां क्या स्थिति है। यह जो दोनों सूचियां हैं इनमें एक भी सेतु यहां के लिए नहीं रखा गया है। जबकि हमारे यहां बच्चों को बड़ी परेशानी होती है। 100-100 मील तक हायर सेकेन्डरी स्कूल्स नहीं हैं। अगर कोई बच्चा इन्टरमीडिएट करना चाहता है तो उसको 100 मील दूर जाना पड़ता है। सेतु न होने की वजह से परेशानी होती है: वहां जगह-जगह नदियां हैं, नाले हैं, गड्ढे हैं। वहां की जनता को बहुत परशानी होती है आने जाने में। तो मैं मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने विभाग की तरफ से वहां दिखावें जिससे कि पुलों के मामले में थोड़ा बंटवारा अच्छे ढंग से हो जाय। मुझे इतना ही निवेदन करना है और मैं कहता हूं कि वैज्ञानिक दृष्टि से आपके विभाग की सड़कों और पुलों पर ध्यान देना चाहिए। जो मुख्य-मुख्य शहर हैं, केन्द्र हैं, गांव हैं उनको ग्रामीण रास्तों को मिला दिया जाय। इसी के साथ में तहेदिल से बजट का समर्थन करता हूं।

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)—

धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, गांवों के विकास के लिए 2 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है। एक बिजली और दूसरे गांवों को निकटतम प्रमुख सड़कों से पक्की सड़कों से मिलना। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस बात में हमारा प्रदेश एक दम पिछड़ गया है। जो तथ्य कटौती का प्रस्ताव रखते हुए माननीय वेद प्रकाश अग्रवाल जी ने कहे कि हरियाणा और पंजाब के आज लगभग सारे गांव मुख्य मार्ग से जोड़ दिए गए हैं। वहां सड़कों का जाल बिछा दिया गया है और वह यह भी सही है कि विद्युतीकरण की दिशा में भी हरियाणा और पंजाब ने बहुत प्रगति की है और इसीलिए आज यह दोनों प्रदेश बहुत ज्यादा विकसित हैं। मगर दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश इस मामले में बहुत पीछे है। मेरा निश्चित मत है कि जो भी पैसा इस विभाग को खर्च करने के लिए दिया जाता है उसका आधे से अधिक निर्माण कार्यों में व्यय नहीं होता। बहुत से उदाहरण भ्रष्टाचार के यहां प्रस्तुत किए गए। इन उदाहरणों को देखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ऊपर से लेकर नीचे तक इस विभाग में भ्रष्टाचार है। पी0 डब्लू0 डी0 विभाग के जो अधिकारी तथा कर्मचारी या जो ठेकेदार हैं, जो कामों को कराते हैं वह सब मिलकर 50 प्रतिशत पैसा जनता का जाया कर देते हैं और केवल 50 प्रतिशत पैसा ही निर्माण कार्यों में लग पाता है। अगर मन्त्री जी इ र

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल]

जागरूक रहे तो जो पैसा चाहे वह रिश्वत के नाम पर जाता है, या ठेकेदारों की जेब में जाता हो, न जाकर, जो काम होता है वह दूना हो सकता है इस विभाग में। तीन कामों को मन्त्री जी ने बताया सडक, पुल, भवन। तीन चीजों के निर्माण करने का काम है? पुलों के लिए और सड़कों के लिए निगम तो मन्त्री जी ने बना दिया है। भवन का निगम और बना करके इस विभाग का निर्माण कर दें, मेरी समझ में नहीं आता है कि एक ओर सारे विभागों का नियन्त्रण नहीं हो पाता है इसके बावजूद इन निगमों की रचना से 2-2 कन्ट्रोल जो पैदा किए गए हैं उससे अवश्य कामों में गतिरोध होने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है. अभी हमारे जिले के कांग्रेसी विधायक, श्री शिव कुमार पाण्डेय ने मन्त्री जी का समर्थन करने के लिए खड़े हुए थे, उन्हें बधाई देता हूं समर्थन के नाम पर। उन्होंने सुल्तानपुर जिले की दुर्दशा का चित्र खींचा। यह जिले का दुर्भाग्य है कि पड़ोसी जिले कुछ ऐसे हैं जिन पर या तो प्रदेश के वरिष्ठ मन्त्री द्वारा या भारत सरकार के मन्त्री द्वारा या प्रधान मन्त्री का निर्वाचन क्षेत्र होने के कारण सारा विकास कार्य उन्हीं के जिलों में होता है और सुल्तानपुर पर नजर नहीं पड़ती है। एक ताजा उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि काशी विश्वनाथ इक्सप्रेस रेल चलने वाली थी तो पहला प्रस्ताव यह था कि वाराणसी, जौनपुर, सुल्तानपुर और लखनऊ होते हुए दिल्ली जाएगी लेकिन वह फिसल कर प्रतापगढ़, राय बरेली होते हुए दिल्ली हो गया और सुल्तानपुर को छोड़ दिया गया। वैसे ही पी० डब्ल्यू० डी० की नजर सुल्तानपुर छोड़ कर प्रतापगढ़-रायबरेली से निकल जाता है। जैसा माननीय शिव कुमार पाण्डेय ने कहा कि भोलाघाट का पुल जर्जर दशा में हो गया है इसलिए उसे दुबारा बनाना चाहिए वहीं पर लखनऊ नाका पर रेलवे क्रासिंग पर भीड रहती है तो इन दोनों को जोड़ने के लिए एक अलग से बाई पास बनाने की बात हुई थी। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इसकी ओर ध्यान दें।

मान्यवर, इसी तरह पं० गोविन्द बल्लभ पन्त जब मुख्य मन्त्री थे तो उनके समय में उनके नाम पर एक पन्त मार्ग की रचना हुई थी। वह मार्ग भी बड़ी खराब हालत में पड़ा है इसलिए उसको पक्का करना चाहिए। पं० कमलापति त्रिपाठी जब मुख्य मन्त्री हुए तो वह कुडवार गए थे और वहां कह कर आए थे कि सुल्तानपुर-कुडवार सड़क पक्की हो जायगी और उसके बाद सुल्तानपुर के दो हिस्से आपस में जुड़ जायेंगे। मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे जिले की ओर विशेष ध्यान मन्त्री जी दें।

मान्यवर, एक सुझाव राय बरेली जिले का देना चाहता हूं कि रमपुरा से बसारतगंज, सुरौली मार्ग, जिसमें 7-8 कस्बे हैं, 3 थाने हैं, 3 ब्लाक हैं और 3-4 सरकारी अस्पताल हैं, जिस पर मिट्टी पड़ चुकी है, पुलिया बन गयी हैं लेकिन सड़क की हालत ठीक नहीं है यदि उसे पक्का करा दे तो बड़ी जनसंख्या का कल्याण उससे हो जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री काशीनाथ मिश्र---

अध्यक्ष महोदय, यह जो विभागीय पुस्तक है उसका हवाला कई माननीय सदस्यों ने दिया और इसमें एक आंकड़ा है---स्वतन्त्रता के पहले कितनी सड़कें बनीं और उसके बाद कितनी बनीं। मैं ज्यादा तो नहीं लेकिन जिस रफ्तार से श्रीमन्, योजना में काम होना चाहिए उस रफ्तार से योजना के अन्तर्गत, और मुल्कों का मुकाबला करेंगे तो जहां-जहां योजनायें चलाई गयीं वहां रफ्तार तेज रही। लेकिन अपने देश में जो अंग्रेज राज्य में प्रति दिन एक मील सड़क बनी है। 90 साल के अन्दर 34 हजार लम्बी रेलवे लाईन बना देना यह मामूली बात नहीं है। दूसरे चौथे महीने सूती कपड़े का कारखाना बनाया गया है। उस सरकार में आप जानते हैं कि दूसरी कोई योजना नहीं थी लेकिन उसने बड़ी तेजी से काम किया था। अब तो ऐसी सरकार जिसके जिम्मे केवल निर्माण कार्य है, जिसका

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लक्ष्य है कि योजना बनाकर काम करे और उसका जिस गति से काम हो रहा है वह तो अलग बात है। और जो किताब में लिखा गया है कि इतना रुपया हम खर्च करते हैं और इतने मील लम्बी हमने सड़क बनायी। इस पुस्तक में विशेष योजनाओं का भी चैप्टर है। इसमें अगर पढ़ें तो कहीं नहीं मालूम होगा कि कहां पर कितने रुपए की लागत से कितने किलोमीटर सड़क बनायी। इसमें गोलमटोल लिखा गया है कि इतने किलोमीटर सड़क पर इतना रुपया खर्च हुआ। यह सड़क कहां पर बनी? अगर इसका अध्ययन करके निकालें तो बहुत से आंकड़े जो इसमें हैं मौके पर नहीं पायेंगे। हाफ ए मिलियन जाब की स्कीम चली, त्वरित योजना चली और भी योजनायें चली जिन पर केन्द्रीय सरकार से पैसा मिला। त्वरित योजना की चर्चा यहां पर कई दिन हुई। देवरिया में दिखाया गया कि सड़क पर मिट्टी डाली गयी लेकिन वहां पर कुछ नहीं हुआ और दस लाख रुपया अधिकारी और ठेकेदार लोग मिल कर खा गए। भ्रष्टाचार की बहुत बात होती। लेकिन अकेले अफसर की हिम्मत नहीं है कि वह भ्रष्टाचार को छिपा ले। मन्त्री को छोड़ दीजिए। मैं बहुत सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि अगर मन्त्री जी नियम बना दें या यह सदन प्रस्ताव पास कर दे कि जो लोग राजनीति में हैं, एम0 एल0 ए0 या एम0 पी0 हैं उनके भाई-भतीजों, रिश्तेदारों को ठेका नहीं दिया जायगा तब उस हालत में आप इस भ्रष्टाचार पर काबू पा सकते हैं।

एक सदस्य--

यह कैसे हो सकता है। यह तो संविधान में व्यवस्था है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

अब 1975-76 में क्या काम होना उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैदानी क्षेत्रों में मार्ग एवं सेतुओं के लिए लगभग 9 करोड़ रुपए का प्राविधान है। कितना बड़ा मैदानी इलाका है। करीब-करीब 7 करोड़ रुपया पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग और सेतुओं के लिए रखा है। पहाड़ी एरिया जहां बहुत कम है वहां पर सात करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे हैं। अभी नौटियाल साहब कह रहे थे कि पहाड़ में सड़कें बननी चाहिए। मैं मानता हूं कि पहाड़ में आवागमन के मार्ग बड़े दुरूह हैं और अगर वहां सड़कें नहीं होंगी तो वहां के लोग जो पिछड़े हुए हैं परेशानी उठायेंगे। वहां पर बननी चाहिए। लेकिन यह जो रुपए का प्राविधान किया है मैदानी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र के लिए इसमें क्या तारतम्य है। आप देखें कि पूर्वी क्षेत्र में बलिया में सबसे घनी बसी आबादी है। एक वर्ग मील में 1200 से 1400 आदमी बसते हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

पहाड़ में रेल नहीं जाती। मैदान में रेल की सुविधा है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मैं पहाड़ का विरोधी नहीं हूं। मेरे कहने से यह अर्थ न निकालें कि मैं पहाड़ी क्षेत्र का विरोध कर रहा हूं। लेकिन कोई न कोई प्रोपोर्शन आपकी योजनाओं में होना चाहिए। गरीब इलाके पहाड़ में भी हैं और पूरब में भी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस विभाग में योजना की कार्य प्रणाली को बदलें। कहीं-कहीं पर तो आप ढाई लाख फी मील सड़क पर खर्च करेंगे और कहीं पर जहां कि दरिद्र लोग रहते हैं पांच सौ रुपया भी फी मील खर्च करने के लिए नहीं है। आपने बहुखंडी भवनों का जिक्र किया है एक तरफ

[श्री काशी नाथ मिश्र]

तो आपके पास पैसा नहीं है और दूसरी तरफ आप करोड़ों रुपए की सरकारी इमारतें बनवा रहे हैं। यह सारा व्यय इस प्रकार के भवनों पर आज ही कठिन आर्थिक परिस्थिति में बेकार है। मैं आपका रूस की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां पर बड़ी-बड़ी मशीनें पुरानी इमारतें में खड़ी की गयीं और उन्होंने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया। वहां पर लाखों करोड़ों की इमारत बन जाती है। लेकिन खाली इमारत तो काम करेगी नहीं। काम तो आपके आदमी और साधन से होगा। इसलिए मैं मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि सीमित साधनों के अन्दर ही ऐसी योजना तैयार करें कि गरीब इलाके, पूरबी जिलों में जो शहर हैं और उनके लगे हुए जो छोटे-छोटे गांव हैं, जहां गरीब लोग रहते हैं और अपना सामान बाजार तक नहीं पहुंचा सकते उन गांवों को मुख्य सड़कों से मिला दें। तब जाकर प्रदेश की उन्नति होगी।

श्री अध्यक्ष

15 मिनट श्री वेद प्रकाश जी को भी चाहिए और बाद में मन्त्री जी को भी कहना है। अब समय कम है। इसलिए .....

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)

मान्यवर, मुझे समय मिला ही नहीं, मेरा नाम तो था। हम तो बोल ही नहीं पाए।

श्री अध्यक्ष

आप तो बोलते ही हैं।

श्री राम अधार

मान्यवर, बहुत आवश्यक बात कहनी है, थोड़ा समय दे दें।

श्री अध्यक्ष

सभी को आवश्यक बात कहनी है। आप दो मिनट में कह दें।

*श्री राम अधार

जहां तक श्री काशीनाथ मिश्र ने जो कहा है उसका समर्थन करते हुए यह कहना चाहता हूं कि आपको पहाड़ के लोगों के साथ हमदर्दी है, लेकिन पहाड़ के आबादी और उससे कितना टैक्स आता है उसको हम हर बजट में हर आइटम में देखते हैं। यहां तक कि सन 1974 के बजट में 11 करोड़ रुपया तो 46 जिलों को दिया गया है और 425 किलोमीटर सड़क, लेकिन पहाड़ के 8 जिलों को 8.10 करोड़ रुपया और 210 किलोमीटर सड़क, इसी तरह से 1975-76 में मैदानी क्षेत्र के लिए 544.5 लाख रुपया खर्च के लिए रखा है और पहाड़ी क्षेत्र के 507.32 लाख रुपया इसी तरह से पुल के लिए आप देखें तो 46 मैदानी जिलों के लिये 22.81 लाख रुपया और पहाड़ के लिए 41.94 लाख रुपया। आज यह सवाल नहीं है, बल्कि मेरा स्पष्ट आरोप है .....

श्री शिवानन्द नौटियाल

मैं मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं, यह गलत बयानी हो रही है .....

श्री राम अधार

सारे उत्तर प्रदेश को लूट कर ये पहाड़ों पर ले जाना चाहते हैं, मैं यहां हर विधायक से कहूंगा कि आप अपने क्षेत्र से निर्वाचित होकर आए हैं और अगर यही बात है तो पूर्व उत्तर प्रदेश को या तो पहाड़ को सरकार अलग कर दे, हम लोग यह बरदास्त नहीं कर सकते हैं कि हमारी कमाई का रूपया श्री नारायण दत्त तिवारी और श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा ले जायं और हमें कुछ भी न मिले। बांट दीजिए उत्तर प्रदेश को ....

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक सदस्य

मान्यवर, हमें समय दीजिए यह गलत बात हो रही है ....

श्री राम अधार

यह डकैती डाल रहे हैं, मेरा यह आरोप है .....

(व्यवधान)

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)

मान्यवर, मेरी एक बात सुन लें .....

श्री बांके लाल--

सारी सड़कें, सारी चीजें पहाड़ों के लिए हो रही हैं और पूर्वी जिलों के लिए कुछ नहीं .....।

श्री अध्यक्ष--

यह झगड़े की बात नहीं करनी चाहिए ....

*श्री वेद प्रकाश अग्रवाल--

मान्यवर, मैंने जो कटौती का प्रस्ताव सदन के समने प्रस्ताव किया है और उसके अन्दर मैंने तमाम योजनाओं, का सरकार के भ्रष्टाचार का, गबन का और करोड़ों रुपये के स्कैन्डल का जिक्र किया था और अपने विचारों में मैंने कुछ सुझाव और कुछ मांग भी आपके माध्यम से सरकार के सामने प्रस्तुत की थी। मान्यवर, इस सम्बन्ध में जिन 20-22 व्यक्तियों ने अपने विचार प्रकट किये मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले श्री बलवान सिंह जी कांग्रेस, ने अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने यह कहा है कि मैंने अपनी कोई नीति और कोई विचार प्रस्तुत नहीं किये। मैंने अपने विचारों में सबसे पहले यह कहा था कि जो मेन सड़कें हैं वह 1500 की आबादी वाले गांवों से जुड़ जानी चाहिए बुन्देलखंड में 1200 की आबादी और पहाड़ पर 500 की आबादी वाले गांवों से। भारतीय जनसंघ ने अनेक बार यह मांग की है कि 1500 की जो आबादी वाले गांव हैं उनको मुख्य सड़क से जोड़ देना चाहिये और जो सड़कों की मोटाई है उनकी जो चौड़ाई है वह भी बढ़नी चाहिए क्योंकि मोटर-गाड़ियां बढ़ रही हैं और साथ ही उनका वजन बढ़ रहा है तो कम से कम 36 सेंटीमीटर सड़क की मोटाई और जो वर्तमान चौड़ाई है उससे दुगुनी चौड़ाई सड़कों की होनी चाहिए, यह हमारी पार्टी की नीति है।

मान्यवर, जो भी यह हमारी उन्नति है कि जो सड़कें 10 किलोमीटर बनाने के लिए पारित हुई हैं और अगर शहर के या कस्बे के निकट जाते-जाते 2 किलोमीटर बाकी रह गयी हैं तो उनको पूरा कर देना चाहिये जैसे आंवला-बरेली में हुआ कि 2 किलोमीटर सड़क बाकी रह गयी थी, जनता ने आन्दोलन किया 9 दिन तक काम बन्द रहा, जो संघ ने भूख हड़ताल की लेकिन वह 2 किलोमीटर नहीं बन पायी है, वह बननी चाहिए। मैंने तो नीति ही और वह जनसंघ की नीति ही बतायी थी और अगर वह नीति बलवान सिंह जी को नीति नहीं मालूम पड़ती है और उनको केवल दलबदल की नीति ही नीति समझ में आती है तो यह उनकी बुद्धि का दोष है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री वेद प्रकाश अग्रवाल]

श्री रामरति जी ने और पांडेय जी ने कहा कि फैजाबाद जिला पिछड़ा हुआ है और वहां सड़कें नहीं हैं और लोगों पर प्रभाव डालकर और लोग अपने यहां सड़कें बनवा लेते हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन ही किया है। माननीय गुप्ता जी कांग्रेस के दल के हैं उन्होंने कहा है कि उनके यहां सड़कों का प्राविधान नहीं किया गया है और लाखों रुपया बरबाद हो रहा है और 10 किलोमीटर सड़क नहीं बन रही है मैंने कहा था कि सरकार की यह गलत नीति है जिसका यह परिणाम है। हमने बार-बार यह कहा है कि सरकार जो भी योजना बनावे वह सही समय पर बनावे और सही समय पर योजना को पूरा किया जाय। ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जावे और विभाग के द्वारा विभाग पर अंकुश लगा करके जो काम हो वह कराया जाय और सहकारी संस्थाओं को सड़कों के निर्माण में, भवनों के निर्माण कार्य में प्राथमिकता दी जाय? चाणक्य जिस तरह से काम करता था उस तरह से किया जावे। मान्यवर, वह कुटिया में रहता था और जब वह घर से जाता था सड़क पर तब कुटिया की बत्तियां बुझाकर जाता था। वह आदर्श इस सरकार को भी प्रस्तुत करना होगा और जब तक वह आदर्श नहीं प्रस्तुत किया जायगा तब तक कोई सुधार होने वाला नहीं है और इसलिए हम कहते हैं कि अशोक मार्ग पर ढाई करोड़ लगाकर बहुखंडी इमारत बनवाई जा रही है जिसमें नीचे से ऊपर एक आदमी का पहुंचना मुश्किल है। जनसंघ का तो कहना है कि हिन्दुस्तान के पास जमीन बहुत है, बहुत बड़ा इसका क्षेत्र है इसलिए एक तल्ला या दोतल्ला इमारतें बनवाई जायं और उसके जरिए ही देश का और प्रदेश का विकास किया जा सकता है। इसीलिए जनसंघ हमेशा बहुखंडी इमारतों का विरोध करता है। हमारी नीति उपाध्यक्ष साहब की भी नहीं समझ में आयी जब कि मैंने बार-बार उस नीति को रखा।

माननीय त्रिवेणी राय जी अपनी बात का हमारे कटौती के प्रस्ताव के समर्थन की भांति ही कह रहे थे कि पूर्वी इलाकों की बड़ी उपेक्षा की जा रही है। मैंने भी बतलाया था कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में 4·31 करोड़ रुपया पूर्वी उत्तर प्रदेश की सड़कों के निर्माण पर था जिसमें से 1.13 करोड़ रुपया ही खर्च किया गया। शेष 75 परसेन्ट रुपया कहां चला गया उसका क्या हुआ? माननीय मन्त्री जी बतावें कि वह रुपया किसने हड़प लिया। मान्यवर मैं त्रिवेणी राय जी का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने हमारे प्रस्ताव के समर्थन में ही भाषण दिया है। परमार जी ने यह कहा है कि ठेकेदारी प्रथा समाप्त होनी चाहिए। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। हमारी भी मांग है कि ठेकेदारी प्रथा समाप्त हो और विभाग पर ही हम अंकुश लगाकर काम करावें। सहकारी संस्थाओं को बल दिया जाय। श्री जगन्नाथ राव चौधरी ने कहा कि बलिया में सड़कें नहीं हैं और वह इलाका बहुत पिछड़ा है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ हुआ है और उनको भी धन्यवाद देता हूं।

मान्यवर, श्री रघुनाथ सिंह जी ने इस बात का विरोध किया कि आज जो छटनी हो रही है बहुत गलत तरीके से की जा रही है। मैंने अपने भाषण में कहा था कि आज चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की छटनी करके किस प्रकार बड़े अधिकारियों को बढ़ाया जा रहा है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को हटाकर देश और प्रदेश के अन्दर पैसा बचाया जा रहा है लेकिन बड़े-बड़े घड़ियाल बाकी हैं जिनकी हजारों रुपए महीने तनख्वाह है उनको नहीं हटाया जायगा। अगर एक अधिशासी अभियन्ता हटा दिया जायगा तो उससे तमाम छोटे कर्मचारी बच जायेंगे और यही समाजवाद की नीति है, यही जनसंघ की नीति है लेकिन इसके विपरीत कांग्रेस की नीति रही है। मैं कहता हूं टेहरी गढ़वाल से अगर अधिशासी अभियन्ता राम प्रकाश को हटा दिया जावे क्योंकि उसने करोड़ों रुपए का गबन किया हुआ है। पैसे, शराब और महिलाओं के बल पर आज 12 वर्षों से मन्त्रियों को और बड़े-बड़े मुख्य अभियन्ताओं को अपने काबू में किए हैं और उन पर दबाव डालकर अपने को बचाये हुए हैं। वह पूरी नहीं हो सकी 1971 से 1974 तक।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

मैं आदरणीय मित्र से यह कह रहा था कि आपकी बात बिलकुल सही है। यह सरकार शिखंडी सरकार है। इसकी बहुखंडी नीति और बहुखंडी योजनाएं हैं।

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल--

मेरा निवेदन है कि छटनी बन्द होनी चाहिए। पिछले ही महीने भूतपूर्व मन्त्री यादव जी ने कहा था कि किसी विभाग में छटनी नही होगी। विशेष कर छोटे कर्मचारियों की छटनी नहीं होगी। आज जो मन्त्री जी बैठे हैं उनके मन्त्रित्व काल में छटनी की बात कही जा रही है तो समाजवाद का कौनसा नारा सही है जब छटनी न करने की बात कही गयी थी अथवा आज जब छटनी की बात कही जा रही है। लिहाजा मन्त्री जी आश्वासन देंगे कि उनकी छटनी बन्द की जाय। शिव कुमार पांडेय जी ने बहुत सही बात कही कि टांडा में घाघरा पर पुल बनाया जाय ताकि बस्ती से सुल्तानपुर तक का रास्ता शार्ट हो सके। शिक्षा विभाग की यह मेरे पास पुस्तिका है। इसमें लिखा है कि घाघरा पर टांडा का पुल बन गया। यह समझ कर एक मैरिज पार्टी घाट पर आई लेकिन देखा कि पुल नहीं बना है जिससे वह लौट गई और उसकी शादी रुक गई। मेरा निवेदन है कि टांडा में घाघरा नदी पर पुल बनना चाहिए। मैं काशी नाथ जी का भी आभारी हूं उनके इस कथन पर कि करोड़ों रुपया बरबाद होता है। मिट्टी डाली नहीं जाती है लेकिन दिखा दी जाती है।

अन्त में मैं कुछ बातें और कहूंगा। फैजाबाद में किस तरह से गड़बड़ घुटाला हुआ। फैजाबाद में काम बन्द है। विभाग के पास पैसा नहीं है। एक रेक कोयले की आने वाली थी। विभाग ने कहा कि कोयला नहीं लिया जा सकता क्योंकि ठेकेदारों का पेमेन्ट नहीं हो रहा है, कर्मचारियों का पेमेन्ट नहीं हो रहा है। ढाई लाख रुपया लगा कर कैसे रेक छुड़ाई जा सकती है। 1.24 हजार रुपया रोज डैमरेज हो गया। मन्त्री जी ने कोई कार्यवाही उस पर नहीं की है। एक तरफ तो यह है लेकिन दूसरी तरफ 31 मार्च को फैजाबाद जब बहुगुणा जी जाते हैं पुरातत्व विभाग की अध्यक्षता करने के लिए तो रास्ते बन्द करने के लिए जो बैरीकेट्स लगाए गए उनमें 30 हजार रुपया खर्च कर दिया गया। एक चीज मुझे यह भी कहनी है कि मन्त्रियों के क्षेत्र में सड़कों की भरमार हो जाती है। आज से कुछ समय पहले गिरधारी लाल जी मन्त्री थे तो उन्होंने अपने क्षेत्र में तीन-तीन भारी पुल बनायें, सर्किट हाउस बनाया और जनरेटर लगवाये और ना जाने कितने लाइसेन्स दिलवाए। अब राय बरेली के लिए वही किया जा रहा है। प्रधान मन्त्री के अलावा वहां के मन्त्री भी हो गए हैं। अगर सब इस तरह से अपने ही जिलों पर खर्च करेंगे तो बाकी जिलों का क्या होगा। मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि चाणक्य की नीति अपना कर पूर्वी जिलों के लिए भी कुछ रुपया सुरक्षित रखें। एक बात और मैं बतलाना चाहूंगा कि टेहरी के अन्दर फर्जी मस्टर रोल बनाया गया और फर्जी डबल एन्ट्री करके 40 हजार रुपया 348 तथा 349 नं0 के मस्टर रोल के जरिए से हड़पा गया जिसमें दो मजदूरों की जगह 16 मजदूर दिखाए गए हैं। आडिटर जनरल की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि श्री राम प्रकाश अधिशासी अभियन्ता जो है। 1 लाख 30 हजार का गबन किया है जिसको आज तक किसी प्रकार नही रोका गया है। मान्यवर, गुडी चमयाल नं0 2 में 75 हजार का ठेका था जिसमें 35 हजार का काम हुआ फिर उसे बन्द कर दिया गया, फिर उसका दुबारा ठेका 40 हजार में दिया गया लेकिन 40 हजार

[श्री वेद प्रकाश अग्रवाल]

वाले ने भी काम बन्द कर दिया, फिर एक लाख में उसी काम को दिया गया। इस तरह से लाखों रुपए का गबन हो रहा है लेकिन आज तक शासन ने किसी प्रकार से ध्यान नहीं दिया।

मान्यवर, फैजाबाद में भूतपूर्व मन्त्री ने एस० ई० सीताराम यादव को तथा दो अन्य लोगों को जबरदस्ती काम में रखा जो सेवा नियोजन में एप्रूव्ड नहीं थे और जो योग्यता भी नहीं रखते थे उनको जबरदस्ती वहां पर कर्मचारी बनाया गया जिसके कारण फैजाबाद में बहुत बड़ा असन्तोष है।

इलाहाबाद के 18वें सर्किल में तथा बनारस में मिट्टी के लिए 25 लाख का काम दिखाया गया। इसकी शिकायत मन्त्री जी को की गई लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मान्यवर, सहारनपुर में एक नव निर्माण के लिए और फिर बाद में उसे सड़क रिपेयर में दिखाकर 80 हजार का पेमेन्ट कर दिया गया। सहारनपुर में जूनियर इन्जीनियर ने उसकी शिकायत की लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि फैजाबाद जिले की उपेक्षा की गई और साथ-साथ पूर्वी जिलों को भी उपेक्षा की गई। मान्यवर, पूर्वी जिले ही हमारे प्रदेश की जान है, छाती है जहां के लोग लड़ाई से लेकर हर तरह की कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आज अगर उसकी उपेक्षा की जाय तो यह उपयुक्त नहीं होगा। मैं मन्त्री जी से फिर अनुरोध करूंगा कि फैजाबाद जिले में, फैजाबाद मन्डल में और बहराइच में 35 परसेंट सड़कों का काम हुआ है 65 परसेंट अभी सड़कें बननी हैं। तो मैं कहूंगा कि वहां के लिए फिर से आप योजना बनायें और मन्त्री जी पूर्वी जिलों का विकास करें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव को पुनः पेश करता हूं।

श्री शिव प्रसाद सिंह—

मान्यवर, सबसे पहले मैं उन सभी सदस्यों को उधर से या इधर से जिन्होंने इस विवाद में हिस्सा लिया और बहुत ही सुन्दर सुझाव दिए उसके लिए मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं और आभार भी प्रकट करता हूं। मान्यवर, बहुत से सुझाव आए और बहुत सी शिकायतें भी बताई गईं। मैं उनको लिख रहा था और विभाग के अधिकारीगण भी लिख रहे थे। जिनका उत्तर देना इस वक्त सम्भव होगा मैं अवश्य दूंगा, जिनके बारे में जांच करानी मुनासिब होगी उनकी जांच भी कराऊंगा। लोगों की रुचि को देख कर मुझे ऐसा लगा कि और बहुत से माननीय सदस्य इस विवाद में हिस्सा लेना चाहते थे लेकिन समयाभाव के कारण वह इसमें शरीक नहीं हो सके। मैं उनको अपनी तरफ से आमन्त्रित करता हूं और आश्वासन देता हूं कि जब कभी किसी भी समय वह मेरे पास आने का कष्ट करेंगे या कोई बात बतायेंगे तो मैं उनके सुझावों पर अमल करने का प्रयास किया जाएगा।

श्री राम अवार—

पहले वित्त मन्त्री जी से पैसा लेने की व्यवस्था कीजिए।

श्री शिव प्रसाद सिंह—

उनसे परामर्श करूंगा और जो कठिनाइयां होंगी वह भी उनके समक्ष रखूंगा। मैं आशा करता हूं कि वह वित्तीय कठिनाइयों पर विचार करेंगे और उसमें जो करना सम्भव होगा वह अवश्य करूंगा। मैं आशा करता हूं कि वह इसमें मुझे सहयोग देंगे। लेकिन जहां पर धनाभाव के कारण करना सम्भव नहीं होगा वहां पर मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि वह मुझे विवस न करें और मुझे क्षमा करें ....

श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)—

मैं माननीय मन्त्री जी को एक सूचना दूंगा कि हमारे देवरिया में घाघरा नदी में पीपों के पुल का कार्य आरम्भ करने के लिए उस समय 8 लाख से अधिक की चादरें मंगाई गई उस को कुछ फर्मों को अधिकारी और मन्त्री लोगों ने इस विचार पर दिया कि जब वहां पर निर्माण कार्य प्रारम्भ होगा उन फर्मों द्वारा वह चादरें वापस कर दी जाएंगी।

इस सिलसिले में हमने आपको पत्र लिखा था। आप इस सदन में घोषित करें कि जिन फर्मों ने आज तक पीपे के पुल के निर्माण के लिए चादरों को वापस नहीं किया है उनसे चादरों को वापस कराने के लिए कौनसी कार्यवाही करने जा रहे हैं या कब तक वापस ले लेंगे।

श्री शिव प्रसाद सिंह---

मैं इसकी जांच कराऊंगा।

श्री हरिकेवल---

यह आपकी फाइल में पड़ा हुआ है। आपके कागज में है। लाखों रुपए की चादर बेंच दिया करोड़ों रुपए में। मैंने चिट्ठी लिखी आपने उत्तर नहीं दिया। सारे अधिकारी बैठे हुए हैं। जो आपके आदेश से करोड़ों रुपए लूटे गए हैं उस पर क्या कार्यवाही कर रहे हैं, चादरें फर्मों से वापस लेंगे या नहीं? फाइल देखिए और घोषणा कीजिए। पीपे के पुल के लिए जो चादरें देवरिया गयी थीं उसको लेने के लिए कौन सी कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष---

अभी कैसे?

श्री शिव प्रसाद सिंह---

मैं आपसे दोबारा निवेदन करता हूं कि मैं देखूंगा। आपको भी कष्ट दूंगा और आप से परामर्श करूंगा और जो तथ्य निकलेंगे अगर तथ्य सही होंगे तो जो भी दोषी होंगे सजा दी जाएगी और जिस कार्य के लिए थे वह भी किया जायगा।

श्री बांके लाल---

मन्त्री जी से जानना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष---

बात यह है कि बहुत से माननीय सदस्यों ने जो सवाल उठाए हैं उनका वह जवाब दे रहे हैं। जब वह खत्म हो जाय तब आप पूछें। लेकिन यह प्रवृत्ति अच्छी नहीं है कि आप स्वयं न भाषण में भाग लें और जो लोग भाग ले चुके हैं, उनके सवालों का उत्तर मंत्री जी देते हों तो आप आड़े आ जायं।

(एक सदस्य के खड़े होने पर) आप बैठें।

श्री शिव प्रसाद सिंह---

जिन माननीय सदस्यों ने इस विवाद में हिस्सा लिया है उन्होंने प्रारम्भ से ही आखिर तक न्यूनतम आवश्यकता के कार्यक्रम की ओर जिसका सीधा सम्बन्ध जनता से और गांवों से है उसकी तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। मैंने शुरू में ही निवेदन किया था कि इस पंचवर्षीय योजना में उस कार्य को सम्पादित करने के लिए 85 करोड़ रुपया रखा गया है। हमारे सामने कठिनाई है कि हम गांवों की इन सड़कों को जिनकी आबादी 15 सौ, बुन्देलखंड में 12 सौ और पहाड़ में 5 सौ, अगर क्लस्टर विलेजेज की आबादी मिल कर पांच सौ हो जाती है तो उनको साधन उपलब्ध कराने के लिए बड़ी सड़कों से जोड़ देंगे। लेकिन जहां तक सम्भव होगा यह कार्यक्रम पूरा किया जायगा। इसके वास्ते सर्वेक्षण का आदेश दिया है कि जहां तक सम्भव हो सर्वेक्षण कार्य किया जाय। उसके आगणन तैयार किये जायं। जब कभी धन उपलब्ध होगा तुरन्त कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी।

[श्री शिव प्रसाद सिंह]

इस बजट को मैं जानता हूं, आप सब ने बहुत गहन अध्ययन किया है इसलिए मैं यह कहने का भी साहस करता हूं कि जिसको बैकलाग या स्पिलओवर कहते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना और चौथे पंचवर्षीय योजना में जो काम स्वीकृत हुए, पूरे नहीं हुए या स्वीकृति तो प्राप्त हो गयी एस्टीमेट भी बन गया लेकिन काम पूरा नहीं हुआ ऐसे कामों को पूरा करने के लिए लगभग 80 करोड़ रुपया चाहिए। इस बजट में इस बात का प्रयास किया जायगा कि आपके क्षेत्रों में अब से पहले चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, तृतीय पंचवर्षीय योजना में या द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काम कुछ बाकी है तो वह पूरा किया जाय। इसको हम प्राथमिकता देंगे। बम्बई प्लान के सिलसिले में माननीय सदस्यों ने ध्यान दिलाया कि उसके हिसाब से 46 हजार किलोमीटर सड़कें उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए जब कि हमारे यहां केवल 35,600 किलोमीटर ही है। जैसे-जैसे हमको धन मिलेगा और यह संकट दूर होगा, इसके अनुसार उसको पूरा करने की पूरी-पूरी चेष्टा करेंगे। स्थिति तो यह है कि पिछले काम जो चल रहे थे, 10 प्रतिशत काम हो चुके थे, उनको सेफ स्टेज पर लाकर रोकना पड़ा। मैं मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र के अन्दर इस प्रश्न में जाना नहीं चाहता हूं। आप लोग बड़े विद्वान और योग्य हैं और बड़े संयम और नियम से हर चीज को देखते हैं। आप लोग 1952 से अब तक देख लीजिए कि पर्वतीय क्षेत्र में क्या किया गया है? वहां कुछ नहीं किया गया है? अगर वहां अब तक कुछ नहीं किया गया था और अब कुछ रखा गया है तो इसमें आपत्ति क्या आ गई?

श्रीमन्, भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही गईं। माननीय वेद प्रकाश जी के व्याख्यान को सुन कर मुझे ऐसा लगा और एक उदाहरण याद आ गया। मुगल सम्राट औरंगजेब ने मद्य निषेध रुकवाया और लाखों रुपया उसके ऊपर खर्च किया। लेकिन उसे बड़ा अफसोस था कि फिर भी नशाबन्दी नहीं हुई। उसने अपने खोजा से कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में ऐसे दो ही आदमी हैं जो शराब नहीं पीते हैं। एक मैं और दूसरा चीफ जस्टिस। उसने कहा कि हुजूर अगर मेरी जान बख्शी जाए तो कुछ अर्ज करूं। उन्होंने कहा कि कहो। उसने कहा कि हुजूर अपने को ही कहें क्योंकि चीफ जस्टिस के यहां मैं रोज पहुंचाता हूं। वेद प्रकाश जी की बात से ऐसा ही लगा अगर कोई इससे मुक्त है वह वही हैं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक

मान्यवर, औरंगजेब शराब की बूंद तक नहीं पीता था जब कि यहां पर जिनके हाथ में हुकूमत है 90 प्रतिशत पीते हैं।

श्री शिव प्रसाद सिंह---

भ्रष्टाचार उन्मूलन के सिलसिले में क्या हो रहा है? यह भी सुन लीजिए। सार्वजनिक निर्माण विभाग में एक तो डिपार्टमेंटल जांच होती है, दूसरी सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच होती है, तीसरे विजिलेंस देखती है, चौथे एक टेक्नीकल आडिट सेल है। इसके अलावा एक नया कम्पलेन्ट सेक्शन खुलने जा रहा है। यह आडिट सेल हमारे विभाग का नहीं होता है। इसमें इरिगेशन के आदमी होते हैं और उच्च श्रेणी के अधिकारी होते हैं। उनको मामला रिफर किया जाता है और उनके जो सुझाव होते हैं उस पर शासन विचार करके कार्यवाही करता है। यह कहा गया कि विभाग में किसी को दन्ड नहीं दिया गया। खाली छोटे कर्मचारियों को दन्ड दिया गया है। बड़ों को कुछ नहीं दिया गया। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि गत तीन वर्षों में एक उप मुख्य अभियन्ता, तीन अधीक्षण अभियन्ता, 62 अधिशासी अभियन्ता और 51 सहायक अभियन्ताओं को दन्ड दिया गया . . . . .।

(बत्ती गायब होने पर शोर)

74-75 में दन्डित अधिकारियों की कुल संख्या लगभग 45 है जिसमें से 5 अधिशासी अभियन्ता को सेवा निवृत्ति के आदेश दिये जा चुके हैं। हमारे वेद प्रकाश जी ने बहुत सहानुभूति मेरे साथ दिखलाई और मुझे अपना साथी बतलाया। मैं तो सभी को अपना

साथी मानता हूं। उनको चिन्ता जो है कि एक तरफ ठेकेदारी समाप्त होने की उन्होंने प्रशंसा की और दूसरी तरफ ठेकेदारों को पेमेन्ट नहीं किया गया, इसकी शिकायत की है। जिस किसी का पेमेन्ट रुका हुआ है उसका कारण है।

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल--

मैंने जमानत के रुपए के लिए कहा था।

श्री शिव प्रसाद सिंह--

(बत्ती आने पर)

उन्होंने हमारे प्राइवेट सेक्रेटरी श्री मुकुट बिहारी के बारे में जिक्र किया और कहा कि पहले मन्त्री जी भी उनकी वजह से बहुत बदनाम हुए। मैं आपको स्पष्ट बतला दूं; वह यहां पर नहीं है, वह सर्विसेज में हैं, वह आपको जवाब भी नहीं दे सकता है। वह व्यक्ति जो सेक्रेटेरियट में काम करता है उसके ऊपर आप का आक्षेप करना ठीक नहीं है। मेरे पास जो भी भेज दिया गया, मैंने कहा कि मैं उससे काम ले लूंगा। जब से वह मेरे पास काम कर रहे हैं, मैं उसके काम से बहुत ही संतुष्ट हूं और उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई शिकायत मेरे पास अभी तक नहीं आयी है। मैं अपने साथी से यह करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि किसी के बारे में कोई आरोप लगाना नहीं चाहिए जब बहुत ही स्पष्ट हो जाय, तभी कहना मुनासिब है, वरना नहीं। माननीय वेद प्रकाश जी ने सहकारी समिति के बारे में कहा है कि उनको काम देना चाहिए। मैं इस भावना का बहुत आदर करता हूं। यह देखना पड़ेगा कि सहकारी समिति है क्या और उनके पास काम करने को कुछ है भी, काम पूरा न हो, आप नाराज हों और वहां उनके पास साधन भी उपलब्ध न हो, लेकिन फिर भी दो-चार जगहों पर हम ट्रायल के रूप में देख रहे है, तब मैं सहकारी समितियों को प्राथमिकता दूंगा। अशोक मार्ग पर बहुखंडी इमारत के बारे में कहा गया। यहां पर 70-80 जगहों पर 70-80 दफ्तर पड़े हुए हैं। एक आदमी को किसी काम के लिए दस जगहों पर जाना पड़ता है तो इस वास्ते जनता की सुविधा को देखते हुए अगर हम इमारतें 100 जगहों पर बनाते तो बहुखंडी इमारत से अधिक पैसा लगता। तो बहुखंडी इमारत को बनाने में इस बात को देखते हुए कम खर्च आएगा? सारे दफ्तर को एक जगह कर दिया जायगा, तो इसमें काफी सुविधा जनता को हो जाएगी। उसमें काफी कार्य हो चुका है और 3 मंजिलें हमारी तैयार हो जाएंगी। दफ्तर पहुंचने पर 5 लाख रुपया जो हम सालाना दे रहे हैं उसकी बचत हो जायगी। अब वह पूर्वी और पश्चिमी के झगड़े की बात कहते हैं, मैं पूर्वी और पश्चिमी के झगड़े की बात में तो पड़ता नहीं हूं। आपके पास किताब है आप देख लीजिए, जिस किसी की जो शंका है उसको देखने से दूर हो जायगी।

एक चीज जिसको हमारे कई माननीय सदस्यों ने इधर से और उधर से भी उठाए। वह वर्कचार्ज में जिन आदमियों की छटनी हुई है उनके बारे में कहा। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि 10 हजार आदमियों को धनाभाव के कारण निकालना पड़ा। उसके बाद जब से मेरे पास चार्ज आया है, मैंने किसी को नहीं निकाला है और मैं यह कोशिश में हूं, मैंने शुरू में ही यह निवेदन किया था कि इस बात की कोशिश की जा रही है कि स्टेट कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन की स्थापना हम कर दें जिससे कि जो सरप्लस स्टाफ है, उनको उधर ड्राइवर्ट कर दें। और उनको वहां पर खपा दूं। सारे

[श्री शिव प्रसाद सिंह]

विभागों से लिखा पढ़ी चल रही है कि उनको किस तरह के व्यक्ति चाहिए। जब तक ऐसी मजबूरी न आ जाए तब तक हम उनको निकालने वाले नहीं हैं।

राज्य सेतु निगम को बैंकों से कितना ऋण मिला। वह मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि 27 सेतुओं के लिए 7 करोड़ 53 लाख रुपए के लिए विचाराधीन है और 15 के लिए 3 करोड़ 80 लाख रुपया स्वीकृत हो गया है। बैंक हमारी प्रोग्रेस को देख कर लोन एडवान्स करते हैं, लेकिन हमको इन्स्टीट्यूशनल फाइनेंस की कोई कठिनाई नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष—

अब कितना समय लेंगे। समय बढ़ाना पड़ेगा।

श्री शिव प्रसाद सिंह—

थोड़ा सा समय और दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

15 मिनट का समय बढ़ा देते हैं।

श्री शिव प्रसाद सिंह—

सभी माननीय सदस्य जो इस सदन में हैं वह पूरे डिपार्टमेन्ट के निरीक्षक हैं जैसा कि मैं हूं। मैं स्पष्ट आदेश कर दूंगा कि जो भी सदस्य जायें उनको पूरे प्रोटोकाल के साथ रिसीव करेंगे आप देखें और जांच करें। कोई कठिनाई नहीं होगी।

दूसरी एक और बात की तरफ मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जो डाक बंगले हैं जो कि आफीसर्स वगैरह के लिए हैं वे बन्द नजर आये हैं। मेरा विचार है कि जनता के आदमियों को भी एकमोडेशन उनमें मिलनी चाहिए। मैं यह आदेश कर देता हूं कि 50 परसेंट एकमोडेशन सभी डाक बंगलों की एक आध को छोड़कर ऐट दि डिसपोजल आफ पब्लिक रहेगी। जिसका किराया तय कर दिया जाएगा।

अब मैं सभी माननीय सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मेरा आदरणीय सदस्य जिन्होंने कट मोशन दिया है उनसे निवेदन है कि उसको वह वापस ले लें और इन अनुदानों पर अपनी स्वीकृति प्रदान करें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

इलाहाबाद के भ्रष्टाचार के बारे में मेरा सुझाव है।

श्री अध्यक्ष—

आप वापस ले रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या 24 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 24—सार्वजनिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 26,53,400 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 34--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 34--आवास भवन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 28,90,900 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 60--के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 60--संचार साधन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,87,71,800 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अमुदान संख्या 61--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 61--कार्यात्मक भवन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 46,74,400 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 62--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि 31, मार्च 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 62—सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,42,22,300 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृति की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 67—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 67—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,36,12,900 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृति की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 68—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अवीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समिति होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 68—कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,37,56,300 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 70—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 70-आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनाशि के अतिरिक्त 1,26,21,300 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 83—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

1975-76 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 24—सार्वजनिक निर्माण कार्य, अनुदान संख्या 34—आवास भवन, अनुदान संख्या 60—संचार साधन, अनुदान संख्या 61—कार्यात्मक भवन, अनुदान संख्या 62—सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान, अनुदान संख्या 67—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 68—कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 70—आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 83—संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने के वाले वर्ष में अनुदान संख्या 83—संचार साधनों पर पंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 17,66,36,300 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप ग्रांट पुट करते समय पेन्सिल से इधर-उधर इशारा करते जाते थे।

श्री अध्यक्ष—

वह आप जानते हैं।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—

बिजली जो काट दी जाती है 5 बजे से 7 बजे तक इससे परीक्षार्थियों में बहुत असन्तोष है।

श्री अध्यक्ष—

एक तो जो कल मैंने कहा था वह सुजाता काण्ड स्वीकार किया है। इसमें कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना देने वाले सदस्यों के नाम भी जोड़ दिये जायेंगे। दूसरा, माननीय मोतीलाल देहलवी का पहले से मैंने कहा था वह स्वीकार किया है। चिनहट के गांवों में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे, इसको स्वीकार किया है।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी—

तो कम से कम मेरा आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, कार्यवाही के लिये मैं भेज रहा हूं।

श्री श्याम मिश्रा (जिला कानपुर)—

मैंने नियम 51 के अन्तर्गत एक प्रश्न डी0 ए0 वी0 कालेज के बारे में दिया है।

श्री अध्यक्ष—

आज का जो मैंने देना था वह दे दिया। यह आप कल दीजियेगा। जब आपकी पारी आयेगी वह स्वीकार हो जायेगा।

श्री श्याम मिश्रा—

आज नहीं होगा वह?

श्री अध्यक्ष—

एक मैं स्वीकार कर सकता हूं, दो स्वीकार कर दिये।

श्री श्याम मिश्रा—

जब आप स्वीकार करते हैं तो यह भी तो होना चाहिये कि कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष--

चिनहट का मामला बहुत जरूरी है।

श्री श्याम मिश्रा---

आप देख लीजिये, हड़ताल होने वाली है।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है।

एक सदस्य---

एक बनारस का मैंने दिया था। करीब 20 दिन से लोग अनशन कर रहे हैं।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)---

अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रस्ताव का क्या हुआ ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैंने बता दिया है..... (व्यवधान)

श्री श्याम मिश्रा--

आप यह तो आश्वासन दे दें..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं उस सिलसिले में कह चुका हूं..... (व्यवधान)

श्री श्याम मिश्रा---

श्रीमन्, वह गम्भीर मामला है, टीचर्स का प्राविडेन्ट फंड काटा गया है.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

जो मेरा निर्णय है वह अंतिम है। आप कृपया बैठें।

श्री श्याम मिश्रा---

(व्यवधान) नहीं तो फिर सोमवार को हमें कामरोको प्रस्ताव लाना पड़ेगा, मजबूर होकर..... (व्यवधान)

एक सदस्य---

यह आपके खिलाफ प्रस्ताव लाने को कह रहे हैं..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय मिश्रा जी, यह धमकी आप दे रहे हैं.....

श्री श्याम मिश्रा--

मैंने कोई धमकी नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें। आप बैठें, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। आप फिर नोटिस दें। दूसरे दिन भी अस्वीकृत हो तो तीसरे दिन फिर दें।

श्री ईश्वरी सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

मान्यवर, जो आइटम 9 पर वक्तव्य होने जा रहा है, उस पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह जो नियम 51 है इसके अन्तर्गत एक से अधिक विषय नहीं उठाये जा सकते.....

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

यह आपत्ति तो उसी समय उठाना चाहिये थी।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, जब मैंने उसको स्वीकार किया था उसी समय उसको उठाना चाहिये था, अब मैं इसको रूल आउट करता हूं।

सरकार के सम्मुख व्याप्त आर्थिक संकट से तथाकथित प्रशासनिक गतिरोध से उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

31 अगस्त, 1974 को वित्त विभाग द्वारा यह आदेश जारी किये गये थे कि वित्तीय वर्ष के अन्तिम महीनों में विभिन्न विभागों द्वारा कोई खरीदारी न की जाय। यह इसलिये किया गया था कि वित्तीय वर्ष के अन्तिम महीनों में अक्सर ऐसे उपकरण और संयंत्रों की भी खरीद कर ली जाती है जो बाद में अनुपयुक्त पाये जाते हैं और शासन को अनावश्यक नुकसान उठाना पड़ता है। कुछ राजकीय कार्यालयों द्वारा इस बात की भी कोशिश की जाती है कि वित्तीय वर्ष के अन्तिम महीने में बजट में आकस्मिक व्यय के लिये व्यवस्थित धनराशि को पूर्ण रूप से अनावश्यक मदों की खरीद में उपयोग कर लिया जाय। ऐसा भी देखा गया है कि मंगाये गये माल के लिये वितीय वर्ष की समाप्ति के अन्तिम दिनों में आवश्यक धनराशि कोषागार से निकाल ली जाती है या बैंक ड्राफ्ट बनाकर रख लिया जाता है जबकि माल की संपूर्ति वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बहुत दिन बाद होती है। ऐसी अनियमितता अधिकतर टाइपराइट,र फर्नीचर, घड़ियां, लेखन सामग्री इत्यादि खरीदने में होती है। शासन की दृष्टि में ये मदे ऐसी नहीं हैं कि उन पर होने वाले व्यय को आगामी वर्ष तक के लिये टाला न जा सके या जिनके शीघ्र ही न खरीदे जाने से शासन को कोई हानि हो। जल्दी में की गयी खरीदारियों से माल भी साधारणतया निम्न कोटि का प्राप्त होता है जिसके कारण वह समय से पहले खराब हो जाता है। इस के अलावा फरवरी के महीने के अन्त में भारत सरकार का बजट पेश होने के कारण मूल्यों में वृद्धि हो जाती है जिसके कारण माल विक्रेता "रेट कान्ट्रेक्ट" से अधिक मूल्य की मांग करते हैं या घटिया किस्म का माल देते हैं। उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से पालन करने के लिये शासन द्वारा यह आदेश दिये गये थे कि आकस्मिक मदों की खरीद के आदेश किसी भी दशा में 1 जनवरी के बाद न दिये जायं और साथ ही आकस्मिक व्यय संबंधी बिलों का भुगतान 28 फरवरी के बाद न किया जाय।

राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए तथा रिजर्व बैंक से लिये गये / जाने वाले अर्थोपाय अग्रिमों को सीमित रखने के लिये दिनांक 6 मार्च, 1975 को समस्त जिलाधिकारियों/ कोषाधिकारियों को यह आदेश दिये गये थे कि कुछ मदों जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों का कार्यक्रम, सीमान्त कृषक अधिकरण, लघु किसान विकास अभिकरण कुछ पर्वतीय क्षेत्रों के आयोजनागत कार्य, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित तथा सेन्ट्रल सेक्टर की योजनाओं से संबंधित आकस्मिक बिलों को छोड़कर शेष बिलों का भुगतान बिना संबंधित विभाग एवं वित्त विभाग की अनुमति के न किया जाय।

उपरोक्त दिनांक 6 मार्च, 1975 को आदेश प्रसारित किये जाने के पश्चात् कुछ आवश्यक मदों पर और छूट प्रदान कर दी गई थी। अन्त में 22 मार्च को यह आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं कि सभी बिलों का भुगतान कर दिया जाय सिवाय वे बिल जो बिजली, टेलीफोन, मकानों का किराया, मोटर कार और उसके पेट्रोल के खर्चे इत्यादि से संबंधित हैं। इन बिलों को रोकने का तात्पर्य यह था कि कि ये इस प्रकार के बिल नहीं है जिनका भुगतान अविलम्ब करना चाहिये। इन बिलों का भुगतान अगले वित्तीय वर्ष में करने में कोई परेशानी विभागों को नहीं होनी चाहिये। इस प्रकार सभी विभागों को अब अवसर दे दिया गया है कि वे अपने कटिन्जेट बिलों का भुगतान ले लें।

जहां तक कैश क्रेडिट लिमिट की बात है यह 1-4-74 से लागू कर दी गयी थी केवल तीन विभागों के अन्दर। ये विभाग सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं वन विभाग हैं। जो बजट के अन्दर प्राविधान किया गया था उसके अनुसार विभागों के स्वयं कहने पर कैश क्रेडिट लिमिट निर्धारित की गयी थी। तदनुसार साख पत्र जारी कर दिये गये। इन्हीं साख पत्रों का हर विभाग के आहरण अधिकारी भुगतान ले रहे हैं तथा चेक इश्यू कर रहे

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

हैं। कुछ जिलों से यह अवश्य शिकायतें आई हैं कि विभाग के अधिकारियों ने अपने साख पत्र से ज्यादा चेक जारी कर दिये हैं जिससे उन चेकों का भुगतान नहीं हो पाया है। बहरहाल जो कोई चेक भुगतान होने से रह गया हैं। वह अगले वित्तीय वर्ष के लिये निर्धारित की जाने वाली नई साख सीमा के अन्तर्गत भुगतान कर दिया जायेगा।

जो भी कदम उठाये गये हैं वे एक वित्तीय नियंत्रण को बनाने के लिये किये गये हैं। केन्द्र ने बराबर इस बात पर बल दिया है कि प्रदेश को अपने बजट के भीतर कार्य करना चाहिये और रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट न लिया जाय। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह नितान्त आवश्यक हो गया था कि वे विभाग जिनमें अधिक खर्चा किया जाता है, वह नियंत्रित कर दिया जाय। इस प्रकार का वित्तीय नियंत्रण केन्द्र में तथा भारत के सभी प्रदेशों में किया जा रहा है।

*श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी के वक्तव्य को पढ़ा और पढ़ कर उसे समझने की कोशिश की है। इस वक्तव्य से मुझे यह पूर्णतया प्रतीत होता है कि वर्तमान प्रशासनिक संकट को छिपाने की कोशिश की गयी है। इसके प्रथम पैरा में आपने कहा है कि हमने कुछ उपकरणों और संयंत्रों की खरीदारी की मुनादी इसलिये कर दी है कि वे बेकार में खरीद लिये जाते हैं जब आवश्यक नहीं होता है। यदि कुछ हद तक आपकी बात को सही भी मान लिया जाय तो इसके तीसरे पैरे में जो माननीय मंत्री जी ने कहा है—बिजली, टेलीफोन, मकानों का किराया, मोटर कार और उसके पेट्रोल के खर्च से सम्बन्धित जो भी खर्चे हैं, उनके बिल का भुगतान आपने रोक दिया है, तो इस भुगतान के रोकने का आपके पास क्या औचित्य है? क्योंकि प्रथम पैरा में आप कह चुके हैं कि इस खर्चे को इसलिये रोका गया है क्योंकि कुछ चीजें ऐसी भी हैं, कुछ संयंत्र ऐसे हैं जिनकी खरीदारी करके उसका दुरुपयोग होता है तो इन बिलों का भुगतान जो रोका गया है, उसका क्या औचित्य है?

माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि चौथे पैरा में केश क्रेडिट लिमिट की बात कही गयी है कि अप्रैल, 74 से वह लागू कर दी गयी थी। स्पष्ट रूप से यह आपके आर्थिक दिवालियेपन का परिचायक है। यदि ऐसा नहीं है तो यह कैश क्रेडिट लिमिट लागू करन का उद्देश्य क्या है? मेरा कहना है कि आपने कैश क्रेडिट लिमिट को सिंचाई विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग और वन विभाग में इसलिये लागू किया कि इस तरह से आपने यह उत्तर प्रदेश के वित्तीय संकट को छुपाने की नीयत से किया। इसलिये मेरा कहना यह है कि ये जो बहुत से ऐसे खर्च जो किये जा चुके है; सिंचाई विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत उनका पेमेंट कैश क्रेडिट लिमिट लगाने से पहले नहीं हो पा रहा था' क्या यह आपके वित्तीय दिवालियेपन का परिचायक नहीं है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्' मैंने विनम्र प्रयास किया है कि जो भी कारण हो उनको स्पष्ट कर दूं। समय-समय पर बजट भाषण में इन कारणों को मैं स्पष्ट कर चुका हूं। जहां तक कंटिन्जेंसी बिलों का प्रश्न है, इस सदन की बनायी हुयी पी० ए० सी० कमेटी जो उसने भी समय-समय पर सिफारिशें कीहैं कि इस खर्चे को सीमित रखा जाय। इस खर्चे को सीमित रखने का प्रयास किया जाय। कंटिजेन्सी बिल्स, कंटिजेंसी एक्सपेंडीचर एक ऐसा एक्सपेंडीचर है जिस पर सदन का कोई कंट्रोल नहीं होता है। यह उनके हाथ में होता है। इसलिये आवश्यकता हुयी कि इसको नियंत्रित किया जाय। यह बहुत आवश्यक था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जहां तक कैश क्रेडिट लिमिट का प्रश्न है। एक सीमा तक खर्च किया जाय इसलिये ऐसा किया गया है। हमारे जो डिवीजन्स हैं, उनके जितने एस्टीमेट हैं, क्योंकि बजट में हर कार्य के लिये डिटेल्ड स्टीमेट होता है। जैसे मान लिया कि इस साल इस सड़क पर 5 लाख रुपया खर्च करना है, 15 लाख 1-2 महीने में खर्च हो जाय या इतने समय में खर्च हो। हर विभाग का अपना बजट होता है कि उसको इस तरह से खर्च करना है। हर डिवीजन की एक लिमिट ह। उस लिमिट के अन्दर अगर है तो पेमेंट कर दिया गया है। अगर इस साल भुगतान नहीं हो पाया है तो जो चेक रह गये हैं उनका भुगतान अगले वित्तीय वर्ष में कर दिया जायगा। तो खर्च पर नियंत्रण रखने के लिये ऐसा किया गया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, जैसा मंत्री जी ने कहा कि 6 मार्च, 1975 को एक आदेश दिया गया कि कुछ बिलों का भुगतान न किया जाय। लेकिन इस आदेश के बावजूद भी क्या मंत्री जी को विदित है कि पर्वतीय क्षेत्र में जो विकास कार्य हैं, वहां कैश क्रेडिट लिमिट होने के अलावा भी, कैश क्रेडिट लिमिट जो है, उसके अलावा फालतू चेकों को काट दिया गया। लिमिट के बावजूद भी। वह इसलिये किया गया कि जैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग के सिंचाई विभाग के जो अधिकारी हैं, उनको ठेकेदारों से कमीशन लेना था। तो क्या इसकी सूचना आपके पास है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, चाहे जो कार्य हों, चाहे वह पर्वतीय क्षेत्र में हों या किसी क्षेत्र में हों। उनके लिये बजट में प्राविधान होता है। कैश क्रेडिट लिमिट हर क्षेत्र के लिये, हर आयोजनागत स्कीम के लिये रखी गयी है। अगर किसी इंजीनियर ने या किसी ने उस प्राविजन से ज्यादा चेक काट दिया है तो उसका पेमेंट रुक जायगा। साख पत्र से ज्यादा चेक अगर काट दिये हैं तो भुगतान रुक जायगा। कैश क्रेडिट लिमिट को अगर एक्सीड किया है तो इन चेकों का भुगतान कुछ समय बाद होगा।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

मान्यवर, अभी मंत्री जी ने बताया तो मैं उस पर कहना चाहता हूं कि जो 10 हजार लोगों की छंटनी हुयी है वह क्यों ? क्योंकि पैसा नहीं था, इसलिये । कंटिजेंसी बिलों का पेमेंट नहीं किया गया, क्योंकि पैसा नहीं था। आपने कहा कि नियंत्रित रखने के लिये ऐसा किया है। आपने एक आर्डर भी भेजा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जो सामान खरीद लिया गया, जो काम पूरा हो गया है, उसको पैसा क्यों नहीं दिया गया ? यह मैं जानना चाहता हूं कि जो काम हो गये हैं जो खरीदारी हो गयी है, अगर वित्तीय संकट नहीं था तो उसका पेमेंट क्यों नहीं हुआ ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, ऐसा कोई कारण नहीं है कि जो सामान खरीद लिया गया है उसका पेमेंट रोका गया हो। मैंने स्वयं कहा है कि अगर यह सारे खर्चे सब कर लिये जायं तो हमारा ट्रेजरी पर कंट्रोल नहीं रहेगा और ओवरड्राफ्ट की संभावना भी होती है। ऐसा करने से हमारा नियंत्रण नहीं रहेगा।

श्री मोहन लाल कपूर—

मान्यवर, अक्तूबर और नवम्बर में जो काम पूरे हो गये, उनका पैसा क्यों नहीं दिया गया ? जैसे अलमारियां या और चीजें हैं, अगर वित्तीय संकट नहीं था तो क्यों पेमेंट नहीं किया गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, ऐसा कोई उदाहरण अगर है तो मुझे इसकी जानकारी करायें। मैं यह नहीं कहता कि ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव हो सकता है।

श्री मोहन लाल कपूर--

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जो सरकारी कर्मचारी रिटायर हो गये हैं? उनकी भविष्य निधि का पैसा उनको क्यों नहीं दिया गया? क्यों रोक लगायी गयी है? 1 साल हो गया 2 साल हो गये, क्यों पैसा नहीं दिया गया?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि कैश क्रेडिट लिमिट को जिन्होंने पार करके सामान खरीद लिया है उन्हीं के पैसा का भुगतान रोक दिया गया है। रिजर्व बैंक ने भी इस तरह के आदेश दिये हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने आपके विभाग के, चाहे पी0 डब्लू0 डी0 के हों या चाहे सिंचाई विभाग के, जिन अधिकारियों ने कैश क्रेडिट लिमिट को पार किया और मनमानी तरीके से सामान को खरीदा या काम कराया या ठेका दिया तो उन सामान देने वालों को, काम करने वालों को दिया है। तो क्या आपने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की है जिन्होंने कैश क्रेडिट लिमिट को पार करके सामान खरीदा है? एक भी ऐसा केस आप बता दें?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, दो प्रकार के प्रश्न हैं जिन्होंने अभी तक नयी प्रणाली जो पिछली बार लागू किया उसका अनुभव न होने के कारण प्रारम्भिक भूल की है उन पर कार्यवाही नहीं की है और दूसरों के प्रति, जिन्होंने लिमिट पार किया है उन पर विभाग कार्यवाही कर रहा होगा।

श्री मोहन लाल कपूर--

मान्यवर, ऐसे वित्तीय संकट को दिग्दर्शित करने वाले अनेक प्रमाण हैं। मंत्री जी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कितनी योजनायें आयीं जैसे आपने 25 प्रतिशत अनिवार्य जमा योजना लागू किया। जो डी0 ए0 दे चुके हैं आपने कहा कि 50 प्रतिशत पोस्ट आफिस में जमा कर दिया जायेगा और केवल 50 प्रतिशत मिलेगा। विद्यार्थियों की 74-75 की छात्रवृत्ति रोक दिया। इसी प्रकार कार्य पूरे हो गये और पेमेन्ट नहीं किया, जमानत का पैसा नहीं दे रहे हैं। तो बतायें क्या यह सब वित्तीय संकट नहीं थे?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, जहां तक कम्पलसरी डिपाजिट का सवाल है, यह छिपाने की बात नहीं है। यह तो एक केन्द्रीय अधिनियम है उसके अन्तर्गत जमा हुआ है। दूसरी बात प्राविडेन्ट फंड और वेतन वाली बातें कहीं। यह सारी डिपाजिट वापस करने वाली बातें हैं। तो यह बातें तो पब्लिक एकाउन्ट में होती रहती हैं। यह सारी कन्सालीडेटेड फंड के ऊपर चार्ज नहीं होता है। तीन फंड होते हैं--कन्सालीडेटेड फंड, दूसरा कन्टिंजेन्सी फंड और तीसरा पब्लिक फंड। जैसा कि माननीय सदस्य जानते ही हैं कि पब्लिक एकाउन्ट में करोड़ों रुपये के ट्रान्जेक्शन होते रहते हैं और उसमें इसका बजट से कोई सीधा संबंध नहीं होता है।

श्री नियाज हसन खां (जिला प्रतापगढ़)--

मान्यवर, मंत्री जी यह बतायें कि क्या यह सही है कि अध्यापकों का वेतन सिंचाई विभाग से दिया है?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, यह सूचना सत्य से परे है।

ग्राम कोटवा नरायनपुर, जिला बलिया के किसानों के खलिहान में नक्सलपंथियों द्वारा आगजनी से क्षति के सम्बन्ध में वक्तव्य

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

गाजीपुर तथा बलिया जिलों की सीमा पर स्थित ग्राम सुरनी, थाना भांवरकोल, जिला गाजीपुर में दिनांक 16/17 मार्च, 1975 को लगभग साढ़े सात बजे सायंकाल करीब पचास साठ व्यक्ति बंदूकों, भालों एवं लाठियों से लैस होकर अचानक पहुंचे और उक्त ग्राम के खलिहान में, जहां ग्राम सुरनी, जिला गाजीपुर के 5 व्यक्तियों एवं ग्राम नरायनपुर, जिला बलिया के 18 व्यक्तियों की कटी हुई फसल मड़ाई के लिये रखी हुई थी, में आग लगा दी जिससे लगभग तीन लाख रुपये का अनाज जल गया। अभियुक्तों ने खलिहान मे उपस्थित एक व्यक्ति, श्री रामानन्द राय को मारा भी जिससे वे वहीं पर गिर गये और खलिहान में लगी आग से जल गये। अभियुक्तों ने, जिनमें अधिकांशतः हरिजन थे, चार बार फायर भी किया जिसके कारण आस-पास के लोग उनके नजदीक तक नहीं पहुंच सके और लगभग आधा घन्टा तक घटना स्थल पर रुकने के बाद अभियुक्त वहां से चले गये। सूचना पाते ही थाना भांवरकोल, थाना मोहम्मदाबाद तथा बलिया जिले के थाना नरही से पुलिस तत्काल घटना स्थल पर पहुंच गयी। गाजीपुर के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा अन्य अधिकारीगण भी मौके पर गये और समुचित मात्रा में पी0ए0सी0 तैनात कर तथा प्रभावशाली पुलिस गश्त की व्यवस्था करके स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया। बलिया जिले के पुलिस अधीक्षक तथा परगनाधिकारी भी मोके पर गये और व्यवस्था बनाये जाने में आवश्यक सहयोग प्रदान किया। इस घटना के सम्बन्ध में 25 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध भा0 द0 वि0 की धारा 147/148/149/302/435/506/504 के अन्तर्गत एक मुकदमा, थाना भांवरकोल में दर्ज किया गया और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिये गाजीपुर तथा बलिया जिलों को पुलिस द्वारा दबिशे दी गयी। इस घटना के संबध में अब तक 8 व्यक्ति गिरफ्तार किये जा चुके हैं तथा एक एक नली पाइप बंदूक भी बरामद की गयी है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिये तत्परता से कार्यवाही की जा रही है। इस मामले की विवेचना करके चार्जशीट न्यायालय को दिनांक 31-3-75 को प्रस्तुत की जा चुकी है। स्थित अब पूर्णरूपेण नियंत्रण में है।

इस घटना के तात्कालिक कारण ग्राम नरायनपुर, जिला बलिया के श्री जनार्दन राय द्वारा दिनांक 12 मार्च, 1975 को अपने खेत में बिखरे हुए अनाज की बालियों को चुनने वाली एक हरिजन बालिका को ढेला मार कर घायल करना बताया जाता है। इस घटना में नक्सलपंथियों अथवा आतंकवादियों का हाथ होना नहीं पाया गया है, वरन् यह घटना स्थानीय कारणों एवं पारस्परिक वैमनस्यता के फलस्वरूप घटित हुई है।

यह कहना सही नहीं है कि उक्त क्षेत्र मे अराजकतत्व रबी की खड़ी फसलों को दिन दहाड़े काटकर लूट लेते हैं तथा प्रशासन और कानून की व्यवस्था अराजकतत्वों के हाथ में चली गयी है। वर्ष 1973-1974 तथा अब तक वर्ष 1975 में फसलों की चोरी अथवा उनके लूटपाट की कुल 11 घटनाओं की रिपोर्ट जिला बलिया के थाना, नरही तथा गाजीपुर जिले के भांवरकोल थाने पर दर्ज हुयी परन्तु निष्पक्ष विवेचना से ज्ञात हुआ कि उनमें से अधिकांश गलत हैं और मुलजिमों का नामजदगी रंजिश के आधार पर की गयी थी। पर्याप्त निष्पक्ष साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण 8 मामलों में अंतिम रिपोर्ट लगा दी गयी। शेष 3 मामलों में चार्जशीट न्यायालय में भेजी गयी। वास्तविक स्थिति यह है कि मजदूरी के प्रश्न को लेकर भूस्वामियों तथा मजदूर वर्ग में वर्ष 1973 से वैमनस्य चला आ रहा है। मजदूर वर्ग जिसमें अधिकांश हरिजन हैं ऊंची दर पर मजदूरी चाहते हैं जबकि भू-स्वामी उनकी मांग के अनुसार मजदूरी देने के लिये तैयार नहीं हैं।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

यह सही नहीं है कि कलकत्ता से नक्सलपंथियों का कोई ग्रुप इस क्षेत्र में अराजक-तत्वों का मार्ग दर्शन कर रहा है। विभिन्न सूत्रों से जांच करने पर इस क्षेत्र में नक्सलपंथी गतिविधियों के होने का कोई प्रमाण नहीं मिला। यह भी सही नहीं है कि इस क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति ऐसी है जिसके कारण आतंक अथवा असंतोष फैला हुआ है। समय समय पर इस क्षेत्र में पी0ए0सी0 की टुकड़ियां नियुक्त की जाती रही हैं और ग्राम नरायनपुर में एक पुलिस चौकी भी स्थापित की गयी है जहां एक सब इन्सपेक्टर, एक हेड कान्सिटेबुल, 5 कान्सटेबुल एवं एक सशस्त्र गार्ड नियुक्त हैं। क्षेत्र में पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था है।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने जो बयान पढ़ा है यह बयान बिल्कुल ही अधूरा है। मैं स्वयं उस गांव में गया था और वहां के किसानों से मालूम किया। यह कोटवा नरायनपुर गांव है 1200 एकड़ का। जो खलिहान है वह गाजीपुर जिले में और रहने वाले किसान हैं कोटवा नरायनपुर के। यह तनाव पारसाल से चल रहा है। बनारस से जो अखबार निकलता है, उसमें तारकेश्वर पांडेय जो संसद सदस्य हैं और जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपना बयान दिया है। जब मैं वहां गया तो लोगों ने फोटो दिखलाये। 40 हजार गांठ बोझा था। इनमें सैकड़ों बोझे मजदूरों के भी थे। जो कटनी से मजदूर आये थे, उनके बोझे थे। यह सारा जिला देना यह केवल मजदूरी का झगड़ा नहीं था। मान्यवर, दूसरे दिन गाजीपुर से दमकल पहुंची तब कहीं यह आग बुझ पाई। वहां एक पीपल का पेड़ था वह अगले दिन तक जल रहा था। इस तरह से अगर 20 रुपया बोझा भी लगावें तो आठ दस लाख की सम्पत्ति और 1200 एकड़ की फसल नष्ट हो गयी। इस रिपोर्ट में केवल यह कहा गया है कि एक किसान ने किसी बाल बीनने वाली मजदूरनी को ढेला मार दिया इसलिये यह घटना घटित हुई। हम स्वयं किसान हैं और जानते हैं कि इस तरह से कोई ऐसा कांड नहीं होता। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बिहार से बराबर आतंकवादी लोग आते रहते हैं और बराबर फरार रहकर वह भूमिगत काम करते हैं और उस जमीन के नीचे सुरंग है। मैं वहां खुद देखने गया था और उसके नीचे हथियार मिले हैं—स्टेनगन और गोलियां। जैसा कि वक्तव्य में कहा गया है कि भांवरकोल पुलिस वहां पहुंच गई घटना स्थल पर, यह ठीक नहीं है। तुरन्त घटना के बाद बलिया की पुलिस जो रामगढ़ इलाके में गस्त लगा रही थी वह पहुंची और भांवरकोल का थानेदार जो हरिजन है, वह भी वहीं पर थे, लेकिन वह नहीं पहुंचे। बराबर यह शिकायत रही है कि भांवरकोल का जो थानेदार है, उसकी आतंकवादियों के साथ सांठ गांठ रही है। यह नक्सलपंथियों का गढ़ है। कुछ कांग्रेस के ही लोगों में मतभेद था.....(व्यवधान)....मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कांग्रेस के ही नेता नगीना सिंह और श्री चन्द्रिका प्रसाद इन्होंने दखल दिया है और जिसकी वजह से यह कांड हो गया। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि भांवरकोल और गाजीपुर का पुलिस प्रशासन बिलकुल उदासीन है। जितनी भी 7 गिरफ्तारियां हुई हैं, वह बलिया की पुलिस ने की है और गाजीपुर की पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की थी बल्कि आतंकवादियों को भगा दिया। तो मैं यह माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उनको यह जानकारी है कि बिहार की पुलिस से बन्दूक छीनकर वह आतंकवादी बराबर उस इलाके में आते जाते हैं और सरकार इन आतंकवादियों को दबाने के लिये क्या कदम उठा रही है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय सदस्य जब यह कहते हैं कि वह स्वयं वहां गांव में गये और देखा और उन्होंने जांच की है तो मैं यह अवश्य चाहूंगा कि वह अपनी जांच रिपोर्ट मेरे पास भेज दें ताकि अतिरिक्त तथ्य के आधार पर आगे जांच की जा सके। मेरा जो वक्तव्य है जो मेरे पास तथ्य आये हैं उसके आधार पर है। यह सही है कि आग का जो कांड हुआ उसमें आग कई घंटों तक जलती

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रही पीपल का पेड़ जलता रहा और दमकल ने जाकर बुझाया। यह भी सही है कि भूमि के नीचे तहखाना था जहां से कारतूस प्राप्त हुये। आप उसे सुरंग भी कह सकते हैं। लेकिन जहां तक देवमुनि का प्रश्न है यह एक कुख्यात व्यक्ति है और कई जुर्मों में फंसा हुआ है, लेकिन जो नामजद रिपोर्ट है उसमें इसका कोई नाम नहीं है। जो एफ0 आई0 आर0 में लिखाया गया है कि उस इलाके के एक जनार्दन राय ने ढेला फेंका तो उसी का उल्लेख मैंने अपने वक्तव्य में किया है। जहांतक भांवरकोल के थानेदार का प्रश्न है, उसने 3 दिन तक कार्य में ढिलाई की इसलिये मैंने पहले ही उसको लाइन हाजिर करने के आदेश कर दिये हैं जहां तक अतिरिक्त तथ्यों का सवाल है तो अगर माननीय सदस्य देंगे तो मैं जांच करवा लूंगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

क्या यह माननीय मंत्रीजी को ज्ञात है कि ऐसे तत्वों की स्थानीय पुलिस से सांठ-गांठ है जिसके कारण उनको प्रोत्साहन मिल रहा है? यदि नहीं, तो क्या इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

यह माननीय नेता जनसंघ दल जानते हैं कि यह एक कठिन परिच्छेद है। जैसा माननीय सदस्य-बलिया ने कहा दो पक्ष हैं और दोनों ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं और दोनों दल बात कहता है, तो सांठ-गांठ की संज्ञा देना कठिन है। इससे जो सही जांच हो रही है, वह भी एक प्रकार की सांठ-गांठ मानी जा सकती है। माननीय सदस्य स्वयं विद्वान हैं वह खुद समझ सकते हैं कि कानूनी ढंग से क्या इसे सांठ-गांठ कहा जा सकता है।

श्री रामजनम राय (जिला गाजीपुर)--

मान्यवर मेरा क्षेत्र भी सुरीं गांव है इस क्षेत्र में आता है। जो माननीय काशीनाथ मिश्र ने कहा है उस सम्बन्ध में मैं अपने को पूर्णतया सम्बद्ध करता हूं और माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि पिछले साल इस सन्दर्भ में 4 हत्यायें हुई और उनकी लाश भी बरामद हुई और साक्ष्य भी थे, मुद्दई भी थे और इन्हीं राजनैतिक दबाव के कारण चारों हत्याओं में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई। फिर कोटवा स्थित जो मिशन है, वह नक्सलपंथियों का प्रमुख अड्डा रहा है। मिशन से साहित्य और आर्थिक सहायता मिलती रहती है और नक्सलपंथियों की पहली मीटिंग वहां हुई थी और नक्सलवादियों का अड्डा वह है और जितने फादर पिछले दो वर्षों में आये हैं उन्होंने इन गतिविधियों को तेज किया है। जहां तक मजदूरी की बात है, श्रम कमिश्नर ने इंक्वायरी की है और यह रिपोर्ट दी है कि मजदूरी का वहां कोई विवाद नहीं है। जो मजदूरी दी जाती है वह ठीक है और प्रदेशीय सरकार जो स्वीकार कर चुकी है वह कुछ मानी में ज्यादा ही है। इसके अलावा यह तहखाना जिस घर में बना हुआ है उसके बगल वाले कमरे में नक्सलवादी नारे लिखे हुये थे। थाना भांवरकोल के थानाध्यक्ष को मैंने इन नारों को स्वयं नोट कराया था और शिव लोटन, शिव वचन आदि नाम के कई अपराधी वहां थे। उनके थाना भांवरकोल के अध्यक्ष से सम्बन्ध है और थानाध्यक्ष, भांवरकोल द्वारा सूचना पा कर सभी अभियुक्त भाग गये और आज 15 दिन हो चुके फिर भी गाजीपुर की पुलिस एक भी अभ्युक्त को गिरफ्तार नहीं कर सकी। माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इस सब का क्या कारण है?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

माननीय सदस्य जो यह सूचना दे रहे हैं कि यह उनका क्षेत्र है तो उन्होंने कोई जांच की होगी। मेरा उनसे आग्रह है कि उस जांच रिपोर्ट की वह मेरे पास भेज देंगे ताकि जो अतिरिक्त तथ्य आयेंगे मैं उनकी जांच करा लूंगा। जहां तक चार हत्याओं का सम्बन्ध है यह सही है कि वहां पर चार हत्यायें हुई लेकिन यह सत्य से परे है कि अभियुक्तों को पकड़ने की कोशिश नहीं की गयी। एक केस में अभयुक्त का सही पता नहीं लग सका लिहाजा न्यायालय ने उसे स्वीकार नहीं किया और दूसरे केस में न्यायालय में विवेचना नहीं हो सकी। एक केस में उन्होंने

[श्री नारायण दत्त तिवारी]
कहा कि झूठी विवेचना से मामला झूठा पाया गया। जहां तक नक्सलवादी नारे लिखे पाये जाने की बात है, उस सिलसिले में दो बातें कही जाती हैं। कुछ कहते हैं पहले से लिखे हुए थे और कुछ कहते हैं कि बाद में लिखे गये। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य की जो जांच रिपोर्ट होगी उससे मैं लाभान्वित हूंगा। जहां तक गिरफ्तारी की बात है, मैं पहले बतला चुका हूं कि 8 अभियुक्त गिरफ्तार किये जा चुके हैं। जैसे रघुनाथ, दया शंकर आदि। बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

सुरनी गांव 16 मार्च की रात्रि की जो हत्यायें हुई और जो 7, 8 अभियुक्त उसमें इन्वाल्व हैं उनके बारे में बतलाया गया क्या उसमे दया शंकर राय भी एक अभियुक्त है जो भूतपूर्व रिटायर्ड कांस्टेबिल हैं और वह उसी गांव का है और उनके पास से स्टेनगन तथा अन्य हथियार बरामद किये गये। दूसरे यह कि इस गांव में जो बड़े बड़े किसान हैं, उनकी आपसी गुटबंदी के कारण एक दूसरे के खलिहान फूंक दिये गये इस तथ्यों की जांच होनी चाहिये। तीसरी बात हरिजन लड़की जिसकी नरही थाने में रिपोर्ट दर्ज है जिसको मारा है जनार्दन ने उसे गहूं की बाल बीनते हुए मार दिया जिसका सर फट गया। तो क्या वह इन तीन-चार बातों की जांच करायेंगे ताकि सही तथ्य सामने आ सकें ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जहां तक जनार्दन प्रसाद का सवाल है वह अवश्य अभियुक्त है जो पकड़ा भी जा चुका है, लेकिन यह रिटायर्ड कांस्टेबिल है ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है। बाकी जो बंदूक है जो इनसे प्राप्त हुई इसकी सूचना मेरे पास नहीं है अगर माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो मैं जांच अवश्य कराऊंगा।

श्री काशीनाथ मिश्र--

जहां तक पाइप वाली बंदूक का सवाल है (व्यवधान) वह दूसरे आदमी से बरामद हुई। वह देवराज है। डिसमिस्ड कांस्टेबिल से इसका मतलब नहीं है। जहां तक यह कहना कि बड़े लोगों की आपसी दुश्मनी है वह बात नहीं है। वह तो बड़े-बड़े लोगों या हरिजन आदि का नाम लेना उचित नहीं है। इसमें सभी लोग हैं हरिजन भी हैं, भूमिधर भी हैं, अहीर भी हैं, ब्राह्मण भी हैं यह आतंकवादियों का एक गैंग है। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वह निष्पक्ष रूप से कानून और व्यवस्था की बात को लेकर देखें। बलिया और गाजीपुर में आपका प्रशासन निष्क्रिय है इस आधार पर आप जाच करायें। माननीय ऊदल कहते हैं कि किसानों का एक गिरोह है आपसी झगड़े में फूंक दिया तो ऐसा बात नहीं है, पूरे गांव का एक ही खलिहान है जिसमें हजारों मन अनाज में आग लगा दी। उसमें एक 35 वर्ष के नवयुवक ने संघर्ष किया तो उसको मार कर फेंक दिया जाता है। तो यह मामला गंभीर है मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वहां पर कानून और व्यवस्था को नजरअंदाज करके नक्सलियों ने आतंक फैलाया है। जैसा मंत्री जी ने कहा मैं लिख कर दूंगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं माननीय सदस्य से बिलकुल सहमत हूं कि बिना किसी पक्ष का विचार किये हुए न्याय के आधार पर कानूनी व्यवस्था बनाये रखने के लिये इसकी अवश्य जांच करायेंगे।

श्री अध्यक्ष--

अब कार्यसूची की संख्या 11 पर 105 रुपये प्रति कुन्तल भाव पर काश्तकारों से जबरन गेहूं की लेवी (व्यवधान)

श्री रघुनाथ (जिला बलिया)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में एक प्रश्न और करना चाहूंगा कि जो मंत्री जी ने वक्तव्य दिया वहां पर हमारी पार्टी की मीटिंग हुई मैं खुद वहां गया था। हमारी पार्टी की मीटिंग में मजदूरों के ऊपर और हमारी पार्टी के ऊपर कुछ लोगों ने हाथ के बम फेंके। मजदूरों को इसमें साथ जोड़ना ठीक नहीं है, उनको बदनाम किया जा रहा है। यह आतंकवादियों द्वारा किया जा रहा है। यह बिलकुल सही है जो मंत्री जी ने वक्तव्य दिया वह सही है।

काश्तकारों से लेवी के गेहूं के मूल्य के सम्बन्ध में चर्चा का स्थगन

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)---

अध्यक्ष महोदय, यह नयी मद लेने से पहले मैं इस सिलसिले में अर्ज करना चाहूंगा कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है। इस पर सभी सहमत होंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम है वह 12 बजे तक कम से कम माननीय सदस्यों को मिल जानी चाहिये थी। हमें यह 3 बजे तक भी नहीं मिली। आपके दफ्तर में भी मालूम कराया मालूम हुआ कि फूड सेक्रेट्री के यहां साइक्लोस्टाइल हो रही है। मैं मानता हूं कि चूंकि महत्वपूर्ण विषय है इसलिए माननीय खाद्य मंत्री को काफी इस पर विचार विमर्श करना पड़ा होगा। इसलिये उनको देर हो गयी। अभी यह हमको मिला ठीक सवा पांच बजे। मैं समझता हूं कि दूसरे दोस्तों को इसके बाद मिला।

कई सदस्य---

मिला ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

तो इसको टाल दें?

चौधरी चरण सिंह---

उसको मैंने पढ़ना शुरू किया और अभी पांच मिनट पहले खत्म किया, पूरा आध घंटा लग गया। तो आज इस पर बहस न की जाय कल की जाय। दूसरा मेरा सुझाव यह है कि आपके यहां 425 मेम्बर्स हैं। उनमें 300 रोज रहते ही हैं। इतना महत्वपूर्ण विषय है दो घंटे नाकाफी होगा बहस करने के लिये। इसलिये कल चार बजे ठीक ले लिया जाय और चार बजे से सात बजे तक कम से तीन घंटे बहस हो।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मेरा भी एक निवेदन है।

चौधरी चरण सिंह---

मंडे को रखिए मेरा सुझाव है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

माननीय नेता विरोधी दल ने जो कहा है, उससे मैं पूर्णतया सहमत हूं। आपसे यह प्रार्थना है, सोमवार को रखिए, एक कोई ऐसी व्यवस्था करें नियमों में कि जो सरकार का वक्तव्य हो उसकी कापियां पहले आ जांय। दूसरा विषय जो सदन में चल रहा है, हमारा ध्यान तो उधर है, उस बीच में, इस नीयत से हमारे हाथ में रख देती है कि हमें पढ़ने का मौका न मिले। नौ पन्ने का वक्तव्य, दो चार मिनट पहले हमको मिलता है, कैसे हम तैयार हों? इसकी व्यवस्था करें। आगे चल कर ऐसा न हो। ऐसे मैं घोर विरोधी हूं।

श्री अध्यक्ष---

अब ऐसा है कि इस वक्त हम ढाई घंटे से ज्यादा नहीं दे सकते नियमों के अनुसार।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)---

इसको सोमवार के लिये रखिए।

एक सदस्य---

उसकी प्रतियां इधर भी बटवा दी जायं (कांग्रेस बेंचेज में)।

श्री अध्यक्ष---

जैसा माननीय नेता विरोधी दल ने कहा, सोमवार के लिये स्थगित कर दिया जाय। मैं उससे सहमत हूं। जैसा उन्होंने कहा, समय हम ढाई घंटे से ज्यादा नहीं दे सकते, नियमों के अनुसार दो घंटे की जगह ढाई घंटे कर सकते हैं।

चौधरी चरण सिंह—
तीन कर दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—
नियम में है ?

चौधरी चरण सिंह—
नियम तो है । हाउस सब कुछ कर सकता है । मैं प्रस्ताव पेश करता हूं कि उस नियम में "ढाई" के बजाय "तीन" पढ़ लिया जाय ।

खाद्य तथा रसद मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—
तीन घंटे स्वीकार कर लें ।

चौधरी चरण सिंह—
एक बात और कहना चाहता हूं । मैं आपके जरिये अपने माननीय सदस्यों से जो उधर बैठे हैं, उनसे अपील करना चहता हूं कि इस मामले को पार्टी का क्वेश्चन न मानें । और माननीय तिवारी जी से तथा बहन राजेन्द्रकुमारी जी से अपील करता हूं कि डिसिप्लिन. . . . .

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—
मैं कह रही हूं कि तीन घंटे स्वीकार कर लीजिये । मैं तो कह रही हूं ।

श्री अध्यक्ष—
ढाई घंटे मैं दे सकता हूं । ढाई घंटे सोमवार के लिये देता हूं । आज स्थगित करता हूं । अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 50 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
4 अप्रैल, 1975 ।

नत्थियां

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 263 पर)

तालिका

क्रम-सं0	जिले का नाम		प्रभावित ग्रामों की संख्या	फसलों को हुई अनुमानित हानि का प्रतिशत
1	2		3	4
1	देहरादून	..	35	10 प्रतिशत से 50 प्रतिशत हानि
2	सहारनपुर	..	..	10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक।
3	मुजफ्फरनगर	..	63	10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक।
4	अलीगढ़	..	265	201 ग्रामों में प्रतिशत से कम तथा 64 ग्रामों में 80 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक।
5	आगरा	..	35	20 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक।
6	एटा	..	..	10 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक।
7	बिजनौर	..	36	32 गांवों में 10 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तथा शेष 4 गांवों में 70 प्रतिशत तक।
8	बदायूं	..	384	3 ग्रामों में 50 प्रतिशत से अधिक हानि तथा 381 ग्रामों में 50 प्रतिशत से कम हानि।
9	शाहजहांपुर	..	177	74 गांवों में 25 प्रतिशत तथा 103 ग्रामों में 50 प्रतिशत से अधिक।
10	फर्रुखाबाद	..	90	8 ग्रामों में 50 प्रतिशत से कम हानि हुई, 5 ग्रामों में 50 प्रतिशत से 74 प्रतिशत तक हानि तथा 77 ग्रामों में 75 प्रतिशत से अधिक हानि।
11	जालौन	..	2	12 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक।
12	ललितपुर	..	84	74 गांवों में 20 प्रतिशत से कम और 10 गांवों में 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक।
13	गोरखपुर	..	25	20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक।
14	बस्ती	..	69	केवल लाही की फसलों को 10 प्रतिशत हानि।
15	रायबरेली	..	145	10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक।
16	सीतापुर	..	314	38 गांवों में 50 प्रतिशत से अधिक, शेष 276 गांवों में 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक।
17	खीरी	..	23	25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक।
18	फैजाबाद	..	22	6 गांवों में कोई हानि नहीं हुई, शेष 16 गांवों में 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक हानि हुई।
19	गोण्डा	..	26	50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक।
20	बहराइच	..	94	24 गांवों में 40 प्रतिशत, 30 गांवों में 10 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक और शेष 40 गांवों में 50 प्रतिशत से अधिक।

सहायता का विवरण

ओला पीड़ित क्षेत्रों में कृषीय देयों की वसूली में उत्पीड़क कार्यवाही नहीं की जा रही है तथा 50 प्रतिशत से अधिक हानि वाले क्षेत्रों में किसानों को सरकारी देयों में छूट/स्थगन देने की दृष्टि से नियमानुसार प्रारम्भिक सहायता प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अधिक क्षतिग्रस्त जिलों में सहायता की जो कार्यवाही की गई, वह निम्न-लिखित है :—

अलीगढ़—

पीड़ित कृषकों को सहायता हेतु 250 टन बाजरा क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, आगरा द्वारा आवंटित किया गया जो सस्ते गल्ले की दुकानों से वितरित किया जा रहा है। कृषकों को आपदा तकावी वितरण हेतु 3 लाख रुपये आवंटित किया गया जो तीनों प्रभावित तहसीलों में एक-एक लाख के हिसाब से भेज दिया गया ।

एटा—

माह फरवरी के अतिरिक्त इस जिले में मार्च में भी ओलावृष्टि हुई थी। क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में 3,18,500 रुपये आपदा तकाबी तथा 60,000 रुपया निःशुल्क सहायता के लिये रुपये वितरण की व्यवस्था की गई।

बदायूं—

माह फरवरी के अतिरिक्त इस जिले में मार्च में भी ओलावृष्टि हुई। क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में 5,000 रुपये निःशुल्क सहायता तथा 20,000 रु० आपदा तकावी से रूप में वितरण की व्यवस्था की गई।

शाहजहांपुर—

प्रभावित ग्रामों में आपदा तकावी वितरित की जा रही है।

फर्रुखाबाद—

पच्चीस हजार रुपये की धनराशि सामान्य आपदा तकावी वितरण हेतु स्वीकृत की गई है।

नत्थियां

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 264 पर)

गिरफ्तार किये गये उन 31 किसानों की सूची, जिनके पास 3 1/8 एकड़ से कम भूमि थी।

नाम किसान	सहकारिता देयों की बकाया धनराशि जो वसूल होनी थी।
1	2
	रु0
1—श्री राम चरन, पुत्र कमला सिंह, निवासी छती ..	3,189.84
2—श्री लालाराम, पुत्र ख्यालीराम, निवासी शेरपुर ..	780.75
3—श्री उदैसिंह, पुत्र खसिराम, निवासी कुर्सन्डा	1,350.75
4—श्री सामलिया, पुत्र सीताराम, लोधई	870.75
5—श्री खचेर सिंह, पुत्र बीरी सिंह, लोधई	1,033.75
6—श्री शेर सिंह, पुत्र राधाविशन, सरोठ	19,600.00
7—श्री राम सिंह, पुत्र मुर्लीधर, मई	1,380.50
8—श्री मोहनलाल, पुत्र तुलाराम, मई	3,470.00
9—श्री भगवान सिंह, पुत्र मुर्लीधर, उजना ..	788.45
10—श्री मक्खन लाल, पुत्र शिवलाल, निवासी पोला रावल ..	3,753.00
11—श्री राजपाल सिंह, पुत्र गंगाधर, वनगढ़	663.25
12—श्री परसोती, पत्र थूरे, निवासी हामन	936.20
13—श्री जानकी प्रसाद, पुत्र मल्हजी, निवासी सहवल ..	428.00
14—श्री शिवराम, पुत्र छिद्दू, निवासी मिठावली ..	1,364.37
15—श्री रामजी लाल, पुत्र चूरामन, नि0 गढ़ीगुमीना ..	1,816.00
16—श्री राम गोपाल, पुत्र कोकाराम डगमरा	508.28
17—श्री बदन सिंह, पुत्र चूरा, नि0 न0 बनारसी ..	764.80
18—श्री हुब्बलाल, पुत्र श्री होती लाल, नगरियां ..	835.00
19—श्री बंशीधर, पुत्र मल्हाराम, धनोली	656.00
20—श्री राजन लाल, पुत्र पूरन सिंह, नि0 भावीसिंह ..	1,270.50
21—श्री बाबू लाल, पुत्र रतन लाल, नि0 हतकोली ..	2,158.75
22—श्री बोधाराम, पुत्र रामसहाय, नि0 नमेवा सहवल ..	430.17
23—श्री होतीलाल, पुत्र रेवतीलाल, कोकना खुर्द ..	412.75
24—श्री कुन्दन, पुत्र कल्लू, बेदई	336.31
25—श्री नरायन प्रसाद, पुत्र फूलचन्द, सेवरिया ..	734.50
26—श्री सुल्तान सिंह, पुत्र कोमल सिंह, नि0 बेदई ..	771.68
27—श्री तेज सिंह, पुत्र किशुना, गोगला	529.12
28—श्री कप्तान सिंह, पुत्र गुलाब सिंह, बेदई	459.74
29—श्री फूल सिंह, पुत्र समाराम, बधेना	510.36
30—श्री नेकसा, पुत्र बहोरी, नि0 झुन्ना	706.00
31—श्री पतिराम सभाजीत, बेदई	4,240.00

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 34 का उत्तर पीछे पृष्ठ 275 पर)

ओलावृष्टि से प्रभावित ग्रामों की सूची अनुमानित क्षति सहित

तहसील अतरौली		तहसील कोल	
गांव का नाम	अनुमानित क्षति का प्रतिशत	गांव का नाम	अनुमानित क्षति का प्रतिशत
1—गोतली	90	1—पोहिना	30
2—नरौरा अमांपुर	85	2—पला	20
3—चौमुहा	95	3—करतली	20
4—मुरादपुर	90	4—छेरत सुढ़हाल	40
5—कुदौली	80	5—नगौली	80
6—तेहरा	85	6—रामपुर	50
7—जमालगढ़ी	95	7—साथा	80
8—मोहसनाबाद	90	8—कासिमपुर	60
9—मढौली	95	9—भीमगढ़ी	60
10—अतरौली पट्टी शेरसिंह	85	10—जारौठी	60
11—बहरावत	95	11—लुहारा	60
12—अशरफाबाद	90	12—तालिबनगर	80
13—गयासपुर	80	13—चाऊपुर	50
14—रतालेपुर	85	14—रामपुर	20
15—मीरगढ़ी	80	15—सनामई	25
16—झूमरका	80	16—गोपालपुर	25
17—मौसमपुर	75	17—पिलौना	40
18—महगमा	80	18—सियेपुर	20
19—गिजरौली	85	19—गोधा	30
20—नोरथा	75	20—पड़की	25
21—मधुपुर	75	21—अहक	90
22—औरनी	80	22—पड़का सुलतानपुर	95
23—अहदपुरा	85	23—बहरामपुर	70
		24—गेगड़ी	70
		25—सलेमपुर	50
		26—अहरौली	85
		27—ढेकुरा	85
		28—मुजफ्फरा	75
		29—इस्माइलपुर	50
		30—छलेसर	70
		31—भंवायन	70
		32—खेड़ा खुर्द	50
		33—खेड़ा बुजुर्ग	50

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 11 का उत्तर पीछे पृष्ठ 280 पर)

चकबन्दी अधिकारी, रसूलाबाद

1--सिहुवामीरा
2--गोपालपुर जम्मू
3--सेननाथ मोहम्मदनगर
4--पांवा
5--सुजानपुर निवादा जैसिंह
6--फतेहपुर रसूलाबाद
7--मित्रसुनेपुर गजैन
8--अगदपुर
9--किशनपुर
10--दहेली
11--मलखानपुर जमधर
12--भैसांया
13--देवगांव चक्कर उर्फ निमू
14--राना छटहा
15--कठारा
16--डुन्डामहुवा
17--गहलू
18--अमरोहिया
19--क्कारेरामपुर
20--सिठऊमताना
21--लालामगत
22--मेघजाल
23--गम्भीरा
24--अटियारामपुर
25--सुजानपुर
26--होकेपुर
27--मानपुर गजेन
28--सिठऊपुरवा
29--भीखदेव

चकबन्दी अधिकारी, डेरापुर

30--करामऊ
31--रानीपुर
32--पलिया
33--मिर्जापुर खुर्द
34--उदनापुर
35--जोरेपुर
36--सरगांव खुर्द
37--मामूरीपुर
38--कटेही
39--अलावलपुर
40--विजहरा
41--उलरापुर
42--उमरी बुजुर्ग
43--दस्तमपुर
44--डिडौली
45--टिडवा
46--हरामऊ
47--बड़ागांव मिरखी
48--रैरी
49--जिगन्निस
50--चिरौली
51--फदनपुर
52--चैकजहली
53--पवनई
54--मड़पुरा
55--लाहपुर पैठ
56--मुगीसापुर
57--सब्दलपुर
58--नन्दपुर
59--सलेमपुर
60--मड़ावल
61--डूडीवरी
62--खैरवा
63--जहली
64--बुधावल
65--शाही
66--मझगवां
67--बलाईखुर्द
68--बिरिया डेरापुर
69--डेरापुर

चकबन्दी अधिकारी, सन्दलपुर

70--अनन्तपुर
71--अरतपुर
72--महासिंहपुर
73--उदयपुर
74--रायपुर
75--मुरादपुर

76—चकही
77—मयामऊ
78—फरीदपुर
79—परहतपुर
80—फिरोजापुर
81—मुर्कीविलपुर
82—अलियापुर
83—आराजी मिर्जापुर
84—अवगैली
85—सुधवापुर
86—पल्हनापुर
87—रामगड़ी
88—रणधीरपुर
89—चमरौवा
90—बीसलपुर
91—तुतुवापुर
92—सुधुवापुर
93—जगन्नाथपुर
94—मिर्जापुर
95—तलुवापुर
96—असलनापुर
97—महमूदापुर खुर्द

चकबन्दी अधिकारी, चेकना गांव

98—हाफिजपुर
99—शकरपुर
100—रनसिंहपुर
101—कुलमऊ
102—मनकी
103—शाहपुर रसूलाबाद
104—केशीपुर
105—जगदीशपुर
106—प्रधानपुर
107—पिपरीपतरहार
108—छतरसा
109—राजपुर
110—जलौहुली
111—औरगांबाद झंडा
112—परौहुली
113—दवौली
114—नारखास
115—सकरसी
116—भटसरा
117—आलमपुर खेड़ा
118—कटिका
119—करियाझला
120—चिरखिरी
121—परजनी
122—गढ़ी महेरा
123—शाहपुर डेरापुर
124—लक्ष्मनपुर पिलख
125—तेजपुर
126—जिस्टामऊ
127—किशवापुर
128—मालतीपुर
129—सवलपुर
130—सन्दना
131—भन्देमऊ
132—ननकापुर डेरापुर
133—छबोनी
134—चन्दकुरा
135—नवाबपुर
136—बरी
137—जोरा

चकबन्दी अधिकारी, झींझक

138—बनोपारा जिनई
139—जेन्दामऊ
140—अभियापुर
141—महाराजपुर
142—बनीपारा दनू
143—बनीपारा जौहर
144—अजनपुर खुर्द
145—मियानी
146—नुनरिया
147—कृपालपुर
148—देवरां
149—विरिया रसूलाबाद
150—जलालपुर रसूलाबाद
151—सुन्दरपुर गजैन
152—गढ़ियाडेरापुर
153—खानपुर चैन
154—गौरी
155—नयौवा
156—सन्दूपुर
157—बड़ागांव
158—सरकौड़ा
159—इकरामपुर

160—ठेनामऊ
161—घुस्टी
162—रतनियापुर
163—भूपतियापुर
164—गाऊपुर
165—मुलही
166—देवकी पुरवा
167—बनीपारा डगरहा
168—जुजमइया
169—बिजयीपुर
170—निगुहिया
171—डिलौलिया
172—मुर्री
173—खजुरी
174—महुवा
175—मुडेरा विक्रमसिंह
176—कठरां
177—नासिरसेन्डा
178—गहिलापुर
179—नहेली
180—सिहवानार
181—गजेनखास
182—रसचल रावग गांव
183—सिंहपुर।

हरियाणा अभिलेखागार

पी० एस० यू० पी० एल—116 वि० सभा—(531)—1976—840।